खण्ड-374, अंक-3
सोमवार, 21 माघ, शक संवत् 1907
(10 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	2–72
सदन में मन्त्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	72–73
विमिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना (जारी) ..	73
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह के निधन की सूचना जिलाधिकारी, इटावा द्वारा समय से न भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	73–75
विमिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गये निर्णय की सूचना (जारी)	75
सदन में मन्त्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	75
विमिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना ..	75–76
सदन में मन्त्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	76–77
मिर्जापुर जनपद के छानबे क्षेत्र में गंगा की धारा के कटान से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगर में मूस्खलन से हो रही भयंकर क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील के बीज एवं उर्वरकों के वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
आवास विकास परिषद, सीतापुर द्वारा दुर्बल आय के भवनों के निर्माण में मूल्य निर्धारण एवं सीमा निर्धारण में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
आगरा जनपद के थाना नारवी के थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम बिदिरिका के श्री चन्द्रपाल सिंह एवं उनके पुत्र श्री राकेश पाल सिंह के साथ किए गये अमानुषिक कुकृत्यों केसम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
मथुरा जनपद के गोकुल क्षेत्र में मांट ब्रांच गंगा नहर व इसके कतिपय रजबाहों से निकलने वाली माइनरों में जल रिसाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	80–83
कार्यसूची के कतिपय अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	83–84
दिनांक 7–2–86 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अनुपूरक प्रश्न का स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा तथ्यों से विपरीत उत्तर देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	84–86

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज्यपाल द्वारा सदन आहूत किए जाने के उपरान्त ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	87–89
विधान सभा के एक वर्ष में तीन सत्र तथा नब्बे दिन का उपवेशन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89
कृषि मन्त्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में 'माया' पत्रिका में प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास	90
परिवहन मन्त्री के शोधन वक्तव्य को संसदीय कार्य राज्य मन्त्री द्वारा पढ़े जाने पर आपत्ति -	90–93
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	93–105
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ..	105–118
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	118
नत्थियां	119–127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राम लाल, श्री	सीतापुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
निर्भयपाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी		

नोट–श्री सिब्ते रजी, शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री, कु0 सरस्वती मम्माल, श्रम राज्य मंत्री, श्री निसार महमद अंसारी, लघु उद्योग राज्य मंत्री ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 10 फरवरी, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रानीखेत स्थित फल एवं उद्यान निदेशालय को पंतनगर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने की कथित सम्भावना

**1—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र के रानीखेत नामक स्थान पर स्थित फल एवं उद्यान निदेशालय को पंतनगर विश्वविद्यालय में मिलाये जाने की संभावना से सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है, साथ ही उपरोक्त निदेशालय के कर्मचारी व अधिकारी भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त तथाकथित समाचार का खण्डन कर वहां पर निदेशालय के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी नहीं ।

खण्डन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश की औद्यानिक कार्यक्रमों के संचालनार्थ एक निदेशक नियुक्त है । वैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक का एक पूर्णकालिक पद है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कुछ जानकारी विनम्र शब्दों में चाहता हूं। स्वनाम धन्य पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो प्रदेश में हार्टिकल्चर के विकास के लिए फलोपयोग उद्यान का एक निदेशालय रानी खेत में खोला था, जिसका निदेशक पूर्णकालिक होता था और एक अतिरिक्त निदेशक होता था, जो गढ़वाल मंडल में तैनात रहता था और यहां पर उसका लाईजन आफिसर रहता था, जो उन दोनों में समन्वय का काम करता था, लेकिन आज पर्वतीय क्षेत्र में जो निदेशक बैठता था वह पद भरा नहीं गया है, बल्कि विभाग का विशेष सचिव उसे 2 वर्ष से देख रहा है। अतिरिक्त निदेशक पर्वतीय क्षेत्र में बैठता था, उस पर संयुक्त निदेशक कार्यरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि न निदेशक का पूर्णकालिक पद भरा गया है, और न ही अतिरिक्त निदेशक का पूर्णकालिक पद भरा गया है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये पद कब तक भर दिये जायेंगे और निदेशक पूर्ण रूप से कब से अपने हेडक्वार्टर पर बैठना शुरू कर देंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उप-निदेशक के पदों की प्रोन्नति नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी ज्येष्ठता सूची में कुछ कठिनाइयां थीं, कुछ विवाद था, लेकिन अब न्याय विभाग की राय से उसे हल कर लिया गया है। शीघ्र ही संयुक्त निदेशक के पदों की प्रोन्नति कर अतिरिक्त निदेशक के पदों पर तैनाती कर दी जायेगी। जैसे ही प्रोन्नति हो जायेगी निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के सभी पद भर दिये जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में हार्टिकल्चर के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए दो निदेशालय कायम किये गये थे और दोनों निदेशक पूर्णकालिक काम करते थे। क्या अब आपके विभाग की अवनति हो गई है कि दोनों निदेशालयों को एक में कर दिया गया है? क्या माननीय मंत्री जी दोनों निदेशालयों-पर्वतीय और मैदानी को फिर से अलग-अलग करने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या कृषि औद्यानिक विभाग में कुछ काम भी हो रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। औद्यानिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रयास किये जा रहे हैं। अभी तक यह औद्यानिक विकास पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा हो रहा था लेकिन अब यह प्रयास किया जा रहा है कि औद्यानिक विकास मैदानी इलाके में भी पूरी तरह से किया जायेगा। अच्छा कोआर्डिनेशन हो सके, इसके लिए एक ही निदेशक का पद रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में अच्छा काम हो वहां पर एक अतिरिक्त निदेशक का पद रखा गया है, जिसको पूरा अधिकार होगा कि वह वहां के कार्यों को देखे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर दो भागों में दिया है। प्रथम भाग में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके बारे में जानना चाहता हूं कि 1980 से 1983 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ओर से एक परिपत्र प्रदेश सरकार को भेजा गया था? जिसमें यह कहा गया था कि उद्यान विभाग के जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको उस क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कर दिया जाय और डेवलपमेंट सेंटर्स को अलग कर दिया जाय। क्या इस परिप्रेक्ष्य में बताने का कष्ट करेंगे कि जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं–रानीखेत, सहारनपुर और बस्ती, उनकी रिसर्च एक्टिविटीज को कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न किये जाने का क्या कारण है? दूसरी बात, एक अतिरिक्त निदेशक के पद को भरे जाने के बारे में आपने कहा है कि संयुक्त निदेशक के पद में विवाद था। विगत सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि विवाद समाप्त हो गया है और कार्यवाही की जा रही है, तो फिर सितम्बर से अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कृषि अनुसंधान परिषद् की तरफ से इस तरीके का एक पत्र था कि जो रिसर्च सेंज हैं, यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर कर दी जायं, तो इस प्रकार की कोशिश हो रही है और एक बैठक भी हुई है। सिद्धांतः तय कर लिया गया है कि रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाय। दूसरा जो प्रश्न था कि रानीखेत और बस्ती में जो फार्म्स हैं, उनके ट्रांसफर के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ। जहां तक निदेशालय का प्रश्न है, उसको स्थानान्तरित करने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

चूंकि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पर सरकार बहुत जोर दे रही है, यह जो उद्यान का केन्द्र है रानीखेत का, इसको देखने का मुझे भी मौका मिला, पहाड़ों की तरक्की के लिये, चूंकि आवागमन के साधन कम हैं, अतः वहां पर पूर्णकालिक रूप से निदेशक की आवश्यकता है, क्या इनकी नियुक्ति करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने अभी यह कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में अतिरिक्त निदेशक का एक पूर्णकालिक पद है। शर्मा जी का सुझाव अच्छा है, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि काफी संघर्ष के बाद पृथक-पृथक दो निदेशालयों की स्थापना शासन ने की थी? वह कौन सी परिस्थिति आ गई कि जिसके कारण निदेशालय एक कर दिया गया? क्या जो स्थिति है, उसको

देखते हुए हार्टीकल्चर की प्रगति को देखते हुए, विशाल क्षेत्र को देखते हुए, क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना की जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने अभी निवेदन किया कि पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र दोनों में औद्यानिकी का विकास करना है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, इसका प्रयास करना है । पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों के अच्छे कोआरडीनेशन के लिए एक निदेशालय और निदेशक की व्यवस्था की गई है, फरवरी, 1984 में दोनों को एक किया गया था । माननीय ओझा जी का कहना ठीक है कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इसलिए कि वहां पर स्वतंत्र रूप से वह कार्य कर सके, पूर्णकालिक एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की जा रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी के प्रश्नोत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि संयुक्त निदेशक के पदों की अवधि समाप्त हो गई, यह बात सितम्बर में कही थी । तो सितम्बर से अब फरवरी का महीना चल रहा है तो इसमें इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या सौदे में या ताल-मेल में अन्तर आ रहा है जिसके लिए यह नहीं हो पा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय पाण्डेय जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ताल-मेल में अन्तर आ रहा है । उसकी तिथि तो अब शीघ्र ही तय होने वाली है । पहले इसमें न्याय विभाग की राय ली गई उसके बाद कैबिनेट का एप्रूवल लिया गया । आपके मन में कोई ऐसा अन्देशा नहीं होना चाहिए ।

सिटी बसों के किराये में वृद्धि

**2–श्री सरदार सिंह तथा श्री मित्रसेन–

क्या परिवहन मंत्री प्रदेश में बस (सिटी बस) भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)–

वर्तमान समय में नगर बसों का किराया 5 किलोमीटर स्टेज तक 45 पैसे एवं 5 किलोमीटर से अधिक तथा 12 किलोमीटर की स्टेज तक 85 पैसे है। 12 किलोमीटर से अधिक की सिटी बस की यात्रा करने वाले यात्रियों से उक्त दर पर किराया न लेकर साधारण यात्री दर पर किराया लिया जाता है । 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर साधारण यात्री दर पर कुल किराया रु0 1·80 एवं 20 किलोमीटर की यात्रा पर रु0 2·30 प्रति यात्री कुल किराया लिया जाता है।

फुटकर पैसे की अनुपलब्धता से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाई एवं नगर सीमा में 12 किलोमीटर से अधिक वृद्धि हो जाने के कारण नगर बसों के किराये का अभिनवीकरण इस सिद्धान्त पर किया गया कि किराया व यात्रीकर मिलाकर कुल किराया 50 पैसे के गुणांक में हो जाय तथा नगर सीमा 12 किलोमीटर के स्थान पर 20 किलोमीटर निर्धारित कर दी जाय एवं किराये की स्टेज 5 किलोमीटर की सीमा के आधार पर निर्धारित की जाय। वर्तमान में 15 किलोमीटर पर यात्री को रु0 1·80 एवं 20 किलोमीटर पर रु0 2·30 देने पड़ रहे हैं तो अब अभिनवीकरण के पश्चात् क्रमशः रु0 1·50 एवं 2·00 देने पड़ेंगे।

इस हेतु परिवहन अनुभाग-4 की

अधिसूचना संख्या 5656 टी/30-4-94 के एम-85 दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 के द्वारा सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गई थी तथा 30 दिन का समय प्रदान किया गया था। यह अवधि 30-1-86 को समाप्त हो चुकी है तथा कोई आपत्ति एवं सुझाव न प्राप्त होने के कारण अन्तिम अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी, 1986 को जारी की गयी है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस अभिनवीकरण से बसों का किराया बढ़ा है और यात्री पर और अधिक भार बढ़ा है या कम हुआ है?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, इसे व्यवहारिक रूप में समझा जाय तो दिन प्रति दिन जो कठिनाइयां आती थी तो लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और इससे फायदा भी हुआ है।

श्री मित्रसेन–

इस अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत कितने परसेन्ट किराया बढ़ा और विभाग को कितने पैसे की आमदनी हुई है?

राजकुमार संजय सिंह–

अभी यह इतनी जल्दी शुरू हुआ है इसलिये इस संबंध में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अभी कुछ दिन पहले ही तो यह हुआ है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में जो यह धोखाधड़ी हुई है, जो आपकी ओर से सुझाव देने की तिथि निर्धारित की गई थी वह केवल तीन दिन के लिये ही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आज मुझे पता लग जाय कि इस सम्बन्ध में सरकार ने सुझाव आमंत्रित किये हैं, सरकार लोगों का मत जानना चाहती है तो यदि मैं आज ही पत्र लिखूंगा तो भारत सरकार की इतनी सुन्दर डाक-तार व्यवस्था है कि मेरा पत्र तीन दिन में नहीं पहुंच पायेगा। तो मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि केवल इसलिये कि इनको किराया बढ़ाना है और उसके बाद नियमों की आड़ में बहाना लेने के लिए तीन दिन की छूट दी गयी, जिसे मैं धोखाधड़ी की संज्ञा देता हूं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई आपत्तियां या सुझाव आए नहीं होंगे, तो जो विज्ञप्ति जारी हुई है आपत्तियों और सुझाव के लिये, उसकी सीमा एक महीना निर्धारित करेंगे और दूसरी चीज यह है कि जो आपने रेजगारी की बात कही कि उसकी सुविधा के कारण 50 पैसा कर दिया है, तो आपने 45 पैसे के स्थान पर 40 पैसे क्यों नहीं किया, 85 पैसे के स्थान पर 80 पैसा क्यों नहीं किया, जिससे कि जनता को राहत मिलती, तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा न करने का क्या कारण है और जो आपत्तियां और सुझाव नहीं आ सके हैं इसलिये उसे स्थगित कर दुबारा फिर विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कृपा करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, उसका समय निर्धारित किया गया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले साल जब बजट रखा गया था तो चर्चा के समय भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा

की गयी थी और और रेजगारी की भी बात की गयी थी, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किराया बढ़ाने की मंशा नहीं थी। यह सब सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिये किया गया है। किराया बढ़ाने की योजना नहीं थी, लेकिन इससे थोड़ा किराया जरूर बढ़ गया है, परन्तु जितनी असुविधा किराया बढ़ने से नहीं हुई है, उससे अधिक असुविधा पहले थी।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि किराए का अभिनवीकरण हुआ है तो उससे रोडवेज विभाग को कितना लाभ होने की सम्भावना है?

राजकुमार संजय सिंह–

यह तो बाद में ही बताया जा सकता है, अभी इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है और उससे आपका खर्चा भी बढ़ा है, आपने अभिनवीकरण की बात कहकर धोखाधड़ी करके तीन दिन का समय आपत्तियों और सुझाव के लिए दिया तो एक पोस्ट कार्ड भी पहुंचने में सात दिन का समय ले लेता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ने जो किराया बढ़ाया है, जनहित को देखते हुए उसे वापस लेने का कष्ट करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, यह कार्य जनहित में किया गया है, इसलिये इसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कल्यान सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विज्ञप्ति के लिये नियम बने हुए हैं और उसके अनुसार विज्ञापित किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी वह नियम पढ़कर सुना दें जिसमें विज्ञप्ति की 3 दिन की अवधि दी हुई है?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने 30 दिन कहा था, शायद आपने सुना नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति एवं फर्जी प्रमाण पत्र

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 103 अध्यापकों की नियुक्तियां फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर किए जाने का मामला शासन के संज्ञान में है और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद का शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सम्बोधित दिनांक 26 फरवरी, 1985 का पत्र शासन को मिला है? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर उन्हें दण्डित कराने में शासन को क्या कठिनाई है?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मामला शासन के संज्ञान में है, किन्तु प्रश्नगत पत्र शासन में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। प्रत्यक्षतः दोषी पाये गये तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजेश्वर उपाध्याय

तथा उप विद्यालय निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में आवंटित धनराशि

*2–श्री कल्याण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश के बजट में शिक्षा मद के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एजूकेशन) पर प्रति योजना में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई? क्या यह सच है कि प्राइमरी शिक्षा को आवंटित धनराशि का प्रतिशत प्रति योजना घटता गया है? यदि हां, तो घटोत्तरी का प्रतिशत क्या है और उसके कारण क्या है?

राजकुमार संजय सिंह–

वर्ष 1951-52 (प्रथम पंचवर्षीय योजना) से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निर्दिष्ट बजट आवंटन की दो तालिकाएं संलग्न हैं (क) और (ख) । तालिका 'क' में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के आंकड़ों में आयोजनागत और आयोजनेत्तर दोनों ही पक्षों का बजट पृथक-पृथक अंकन न होने से सम्मिलित रूप में प्रदर्शित है, शेष आंकड़े आयोजनागत बजट के हैं। तालिका "ख" में पर्वतीय क्षेत्र के शैक्षिक बजट के आंकड़े वर्ष 1976-77 से जब से सेक्टर वार आवंटन उपलब्ध है प्रदर्शित हैं। तालिका "क" के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के 48.59% की तुलना में केवल दो वार्षिक योजनाओं 1966-67 और 1967-68 तथा छठी पंचवर्षीय योजना में ही प्रतिशत घटा है। प्रतिशत घटने का कारण विभिन्न सेक्टरों की उनकी आवश्यकतानुसार धनराशि का आवंटन है। तालिका "ख" के अनुसार पंचम पंचवर्षीय योजना के वर्षों की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के वर्षों में प्रतिशत बढ़ा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 119 पर।)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में "क" और "ख" के अंशों में कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। तालिका "ख" में इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की प्राइमरी एजूकेशन के ऊपर जितना व्यय हुआ है, उसका उल्लेख किया है और यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी एजूकेशन पर पैसा ज्यादा खर्च किया गया है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जो तालिका 'क' दी गयी है उसमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में जो छठी पंचवर्षीय योजना की धनराशि कम हुई है उसका क्या कारण है?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, योजना में प्राविधान था लेकिन कुछ पैसा दूसरी योजना में ज्यादा खर्च हो गया इसलिए ऐसा हुआ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक नीतिगत सवाल जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना के अन्तर्गत आप प्राइमरी एजुकेशन के अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित करने जा रहे हैं बच्चों की संख्या के अनुपात में?

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना आपके पास हो तो दे दीजिए।

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, लगभग 65 प्रतिशत दी जा रही है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में मैदानी इलाके में जो खर्चा हुआ है वह पहले से घट गया है इसमें इन्होंने कहा है कि सेक्टरों में घट गया है। यह जानकारी आपको नहीं है, अगर है तो मैं जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर होने वाले सम्भावित कौन-कौन से खर्चे थे जो दूसरे सेक्टर में स्थानान्तरित कर दिये गये थे वह कौन-कौन खर्चा कितना-कितना रुपया दूसरे-दूसरे किस-किस सेक्टर में ट्रान्सफर कर दिया गया जिसके कारण शिक्षा के मद में कमी दर्शायी गयी ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, आप तथ्यशः उत्तर दिलाने की कृपा करें। मान्यवर, इन्होंने सदन को सूचना दी, अगर सूचना सही है मैं सूचना सही नहीं मानता हूं मैंने माननीय मंत्री जी को बेईमान नहीं माना है। इन्होंने कहा कि पैसा दूसरे सेक्टर में ट्रान्सफर कर दिया गया। मान्यवर, आप मेरा संरक्षण करें, माननीय मंत्री जी हमें बतायें कि कौन-कौन से ऐसे खर्चे थे जो दूसरी जगह ट्रान्सफर हो गये। अगर यह जानकारी इस समय इनके पास नहीं है तो इसको आप कृपया स्थगित कर दें क्योंकि पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा है न टाट पट्टी है और न भवन हैं जिसके कारण हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। चूंकि यह बात उनके मुंह से निकल गयी इसलिए मैं यह अधिकार समझता हूं और इसीलिए मैंने आपके माध्यम से जानकारी चाही। जानकारी न आने पर मैंने प्रार्थना की है कि इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी और माननीय नेता बी0 जे0 पी0 आपकी भावनाओं का आदर करते हुए, जो सूचना इस समय माननीय मंत्री जी के पास नहीं है उसके लिए इस समय उनके पास यही जबाब है कि सूचना इस वक्त उनके पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रश्नोत्तर काल का समय नष्ट नहीं करना चाहता। आप हमें संरक्षण दें। अगर यह सूचना नहीं थी तो पहले ही यह उत्तर दे देना चाहिये था। इसलिये उत्तर में जो विसंगतियां है उनको देखते हुये मान्यवर, या तो आप इसे स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पास भेज दें प्राइमरी शिक्षा के बारे में और करोड़ों विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु हम यह प्रश्न कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने वह धनराशि ट्रांसफर की है और उसके बाद कहते हैं कि इसकी सूचना नहीं है। तो इससे मामला साफ नहीं हुआ है। हमारी प्रार्थना है कि यदि आप इस प्रश्न को स्थगित नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें। ऐसा उत्तर देकर सरकार सदन को गुमराह

कर रही है और इनकी सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है । मान्यवर, इसीलिये मैंने 10 मिनट का समय लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो विनम्रतापूर्वक यही कहा कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुये जब उनको सूचना की आवश्यकता पड़ गई तो जाहिर है कि मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि दूसरे सेक्टर्स पर पैसा ज्यादा खर्च हो गया इसलिये इसमें कमी हो गई । कायदे से जो सवाल माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उठाया था उसके अनुसार इसे स्थगित करना चाहिए था लेकिन आपने आज्ञा नहीं दी । मैं एक दूसरा प्रश्न करके उसका उत्तर चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सातवीं योजनाकाल में प्राइमरी एजूकेशन पर 65 प्रतिशत धनराशि खर्च करेंगे उसके बारे में मुझे शंका है कि जिस तरह से पिछले वर्षों में जितनी धनराशि आवंटित की गई थी उसमें कुछ धनराशि दूसरे सेक्टर्स में खर्च कर दी गई, ऐसा न करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एजूकेशन की दुर्दशा को देखते हुये और पुराने अनुभव को देखते हुए इस 65 प्रतिशत धनराशि को दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्ट न करके केवल प्राइमरी एजूकेशन के लिये ही इयर-मार्क करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको आप देख लें ।

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, इसको देख लिया जायेगा।

बलभद्र इण्टर कालेज, बल्देव, जिला मथुरा की प्रबन्ध समिति का चुनाव

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बलभद्र इण्टर कालेज, बल्देव, जिला मथुरा की प्रबन्ध समिति के चुनाव कई वर्षों से नहीं हो रहे हैं और अवैध प्रबन्धक मण्डल के द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन अविलम्ब नवीन प्रबन्धक मण्डल गठित करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी नहीं, चुनाव होते रहे हैं । दिनांक 7 जुलाई, 1985 को प्रबंध समिति का गठन हो चुका है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी आप हमारा संरक्षण करने की कृपा करें । मैंने 2-5-85 को यह सवाल किया था और तभी से इस सवाल को मंत्री जी टाल रहे हैं । अंतिम बार इस सवाल को टालने की तिथि 2-9-85 है । जो उत्तर इस समय दिया गया है, वह उस समय भी दिया जा सकता था। मंत्री जी को दिया जा सकता था । मंत्री जी को विदित है कि इसमें घोटाला हुआ है और चुनाव होते रहते हैं । 7 जुलाई 1985 को चुनाव हो गया था । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि इस विद्यालय में दो प्रबन्धक मण्डल चल रहे हैं और दो चुनाव हुये हैं और दोनों अपनी-अपनी जगह दावा किये हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न दुहरा दें ।

श्री सरदार सिंह –

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय वहां पर दो प्रबंधक मंडल, दो प्रबंध समितियां चल रही हैं और दोनों का चुनाव हुआ है, क्या यह सही है?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, प्रबंध समितियों के निर्वाचन के जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार बलभद्र इण्टर कालेज बल्देव, जिला मथुरा की प्रबंध समिति का चुनाव भी हुआ। नियमानुसार चुनाव की अवधि 5 वर्ष दी जाती है किन्तु उसमें यह प्राविधान भी है कि यदि पांच साल की अवधि में चुनाव न हो सके तो विशेष परिस्थितियों में 6 माह का समय दिया जाता है। वह समय दिया गया और उसी के अनुसार चुनाव वहां पर हुये हैं और वही समिति कार्य कर रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह के विवाद हैं, उनको समाप्त करने के लिये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय ?

राजकुमार संजय सिंह–

माननीय विधायक जी की इच्छा है, इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरे प्रश्न का हां या ना में उत्तर देना चाहिये था ।

श्री सरदार सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि इसमें भारी वित्तीय अनियमिततायें हैं, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं हुआ है और बड़ी मात्रा में घोटाले हैं इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, जो सवाल किया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब दिया । जो सूचना चाही थी उसके हिसाब से प्रबंध समिति के जो चुनाव हुए वह नियमित थे । इसके अलावा घोटाले की तमाम बातें माननीय सरदार सिंह जी करते हैं, उसकी सूचना दें तो जांच हो जायेगी।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, फैजाबाद के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

*4–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, टांडा जनपद फैजाबाद में वर्ष 1981-82 व 82-83 का हरिजन छात्रवृत्ति का पैसा 90 हजार रुपया प्रधानाचार्य ने फर्जी बाउचर लगाकर प्राप्त कर लिया है? क्या यह सही है कि इस अनियमितता की जांच विभाग द्वारा जून, 1984 से की जा रही है? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो सूचना मेरी है उसके हिसाब से जिन वर्षों का मैंने उल्लेख किया है उसमें सभी हरिजनों की छात्रवृत्तियों का पैसा प्रधानाचार्य हड़प लिये हैं। जो यहां उत्तर आया है वह अधिकारियों की सांठ-गांठ से दे दिया गया

है । तो मेरी मांग है कि जितनी छात्र-वृत्तियां दी गयी हैं उनको सत्यापित करवाने का कष्ट करेंगे यहां से किसी उच्च अधिकारी को भेज कर ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सवाल किया गया है उसमें 90 हजार की धनराशि बताई गयी है। जबकि इसमें धनराशि 7,272 रु0 है। जितना रुपया हरिजन छात्रों का था वह पास बुक में ट्रांसफर कर दिया है। आपकी सूचना के अनुसार थाने में भी मालूम किया गया वहां पर भी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्यों के वेतन का भुगतान

*5–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों में सन् 1980 से 1984 तक जिन व्यक्तियों ने प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर कार्य किया है उन्हें दिनांक 30 जून, 1985 तक उस काल का प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां।

समय-समय पर प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण तथा सेवा निवृत्ति आदि के फलस्वरूप कार्यभार छोड़ने के कारण प्रधानाचार्य के जो पद रिक्त हो जाते हैं उन पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न कारणों से नियमित नियुक्ति न किये जाने के कारण पाठन कार्य के हित में स्थानीय स्तर पर कार्यकारी व्यवस्था कर ली जाती है, जिसमें किसी प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पद का कार्य भी ले लिया जाता है। परन्तु चूंकि उसकी प्रधानाचार्य पद पर यह नियुक्ति नियमित नहीं होती इसलिये ऐसी स्थानीय कार्यकारी व्यवस्था की कोई विज्ञप्ति, ऐसी व्यवस्था के चलते रहते, नहीं की जाती और उन्हें अपने प्रवक्ता पद का वेतन ही मिलता रहता है। जब ऐसे रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हो जाती है और स्थानीय स्तर पर की गई कार्यकारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात शिक्षा निदेशक द्वारा शासन को इस आशय के प्रस्ताव भेजे जाते हैं कि कार्यकारी व्यवस्था में जिस प्रवक्ता ने प्रधानाचार्य पद पर वास्तव में कार्य किया उसकी औपचारिक नियुक्ति की विज्ञप्ति निर्गत कर दी जाये। ऐसी विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात ही उन्हें प्रधानाचार्य पद का वेतन मिलता है । अतः विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न सामान्यतया नहीं उठता।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न को देखने की कृपा करें। मैंने सीधे-सीधे प्रश्न किया है कि 1980 से लेकर 1984 तक जिन लैक्चरर्स ने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है अभी तक उनको प्रधानाचार्य नहीं बनाया गया है। पर्वतीय अंचल में 1980 से लेकर आज तक कहीं भी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है। जो आपने उत्तर दिया है वह स्थिति तो तब होती है जब तीन चार

महीने की बात हो। यहां पर तो लगातार 5 वर्षों से लैक्चरर्स प्रधानाचार्य का कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको नियुक्ति मिलनी चाहिये। अगर प्रधानाचार्य न भी करें तो अलग से भत्ता या वेतन वृद्धि दी जाती है वह दी जानी चाहिये। तो मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि 1980 से लेकर 1985 तक जो लेक्चरर निरन्तर प्रधानाचार्य का कार्य कर रहे हैं वह अभी तक प्रधानाचार्य क्यों नहीं हुए हैं?

राजकुमार संजय सिंह –

मान्यवर, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि व्यावहारिक व्यवस्था ऐसी है कि जिस दरम्यान लेक्चरार प्राचार्य के पदों पर काम करते हैं तो उस समय उसकी नोटिस वहां से नहीं आती है बल्कि अवधि समाप्त होने के बाद निदेशालय, लखनऊ को जानकारी दी जाती है और तब कार्यवाही होती है। पांच वर्षों में कार्य कोई कर रहा है तो उस बीच इसलिए व्यावहारिक कार्यवाही करना नहीं होता है क्योंकि उस बीच विज्ञप्ति जारी की जाये तो अनियमितता की बात हो सकती है। इसलिये जिस अवधि में लेक्चरार प्राचार्य रहता है तो उस बीच कोई कार्यवाही नहीं होती है।

जहां तक प्रश्न विलम्ब का है तो यदि अध्यापक ने एक साल, छः महीने या दो साल काम किया है प्राचार्य के पद पर, तो इस व्यवस्था में जब वह अपने मूल प्रवक्ता के पद पर पहुंच जाता है तो उसके पश्चात् ही कार्यवाही होती है। कार्यवाही में थोड़ा समय लगता है। लेकिन वह समय ऐसा नहीं है जिससे समझा जाये कि विलम्ब हुआ है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में किसी राजकीय विद्यालय का प्राचार्य ड्राईंग डिसबर्सिंग अधिकारी होता है। वेतन निकालने और वितरण करने में सक्षम होता है। उसकी नियुक्ति निदेशालय या जिला विद्यालय स्तर से होती है। उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि इस तरह की सूचना यहां या निदेशालय को नहीं थी। तो यह शासन की निष्क्रियता या निकम्मेपन का नमूना इससे अच्छा क्या होगा? मान्यवर, एक नहीं अनेक विद्यालयों में 5 वर्षों तक लेक्चरर और प्राचार्य नियुक्त रहे और शासन को जानकारी न हो, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि प्राचार्य का कार्य उन्होंने कैसे सम्भाला, किसके आदेश से उनको प्राचार्य का कार्य सौंपा गया? क्या इसकी भी जानकारी विभाग या निदेशालय को नहीं थी। ड्राईंग एन्ड डिसबर्सिंग की पावर उनको किसने दिया? मंत्री जी ने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि किन-किन लोगों ने प्राचार्य के पद पर कार्य किया और न निदेशालय को जानकारी है, तो उनका विभाग उनको 5 वर्षों तक जो भत्ता देय है वह नहीं देना चाहता है, इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या जिन अध्यापकों ने प्राचार्य के पद पर कार्य किया है 5 वर्षों तक उनको जो भत्ता देय है वह दिलायेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, श्री बाजपेयी जी ने तमाम बातें बिना समझे विश्लेषण लगाते हुए कहीं जबकि मैंने पहले ही कहा है कि व्यावहारिक व्यवस्था के अनुसार जिस बीच में कोई लेक्चरार प्राचार्य के पद पर काम करते हैं उस अवधि में सूचना नहीं भेजी जाती है इसलिये उस बीच कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन जब प्राचार्य ओरिजिनल पोस्ट पर आ जाता है तो कार्यवाही होती है और जिस-जिस अवधि की नोटिस आती है उसकी विज्ञप्ति की जाती है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, पर्वतीय अंचल की जटिल समस्या के बारे में अनुरोध करूंगा कि नियम और उप नियमों में न जाकर स्थिति का अवलोकन करें कि पिछले 5 वर्षों में वहां ढाई हजार अध्यापक विद्यालयों में नहीं हैं। मार्च आने वाला है, परीक्षा 11 तारीख से प्रारम्भ कर रहे हैं और वहां न एल0 टी0 ग्रेड के टीचर हैं और न लेक्चरार हैं एवं न प्राचार्य हैं, अतः ऐसी स्थिति को देखते हुए वहां जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल कम हो रहा है, इसलिये मंत्री जी क्या यह आश्वासन देंगे कि शीघ्रातिशीघ्र प्राचार्य एल0 टी0 ग्रेड और लेक्चरार ग्रेड अध्यापकों की वहां नियुक्तियां कर देंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

माननीय नौटियाल जी ने अभी जो प्रश्न किया, इसका कोई तारतम्य पिछले प्रश्न से नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह का प्रश्न करें, जिसका उन्हें सन्तोषजनक उत्तर दिया जा सके।

श्री मैनेजर सिंह–

अभी परिवहन मंत्री जी ने कहा, उन्होंने व्यवस्था दी कि यह प्रश्न नहीं उठता, यह नया प्रश्न करें, तो वह सन्तोषजनक उत्तर देंगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका अधिकार भी उनमें निहित हो गया है? क्या आपने उन्हें हमारे प्रश्नों के बारे में व्यवस्था देने के लिए प्राधिकृत कर दिया है? जब आपने एक प्रश्न स्वीकार किया है तो मंत्री जी को कहां अधिकार है यह कहने का कि यह प्रश्न नहीं बनता?

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

आप सुनते हैं नहीं, यों ही जवाब दे देते हैं। क्या मंत्री जी जो चाहें उत्तर दे देंगे?

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी से बेगारी ली जा रही है और वह बेगारी में कोई काम सही कैसे कर सकते हैं? उनका कहना है कि अभी तक हम बेगारी ले रहे थे, अब हम ही से वीर बहादुर सिंह बेगारी ले रहे हैं, इसलिये वह इच्छा से नहीं अनिच्छा से सारे उत्तर दे रहे हैं।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

आप इसको तो स्थगित कर दीजिये। उनकी बात अनुचित है, यह हमारी मौलिक आपत्ति है, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना ही काफी है मंत्री जी के लिए।

श्री महेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम धरौली, जिला प्रतापगढ़ के चक से निकाला गया मार्ग

*6–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या शासन को जानकारी है कि श्री महेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम धरौली विकास खण्ड मगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ की चक के बीचोबीच से सम्पर्क मार्ग खण्डवा मदाफरपुर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रतापगढ़ द्वारा गैर कानूनी ढंग से चलाया जा रहा है तथा इस मार्ग को चक के एक किनारे से चक रोड से होते हुए बनाने का आदेश जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दिया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

सम्पर्क मार्ग मदाफरपुर से धरौली, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम धरौली, विकास खण्ड मगरौरा जनपद-प्रतापगढ़ के चक से यद्यपि गुजरती है किन्तु चक के बीचो बीच से नहीं। इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 1977-78 में खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कराया गया था तथा उसी एलाइनमेन्ट पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा मिट्टी का कार्य वर्ष 1984-85 में कराया गया है। क्योंकि यह मार्ग पहले ही से खाद्यान्न योजना के अंतर्गत बना था। दुबारा उसी एलाइनमेन्ट पर अतिरिक्त कार्य कराने में कोई गैर कानूनी बात प्रतीत नहीं होती।

इस मार्ग को चक के एक किनारे से चकरोड से होते हुये बनाने का कोई आदेश जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा नहीं दिया गया है।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 77-78 में, जो उन्होंने खाद्यान्न योजना में इस सड़क को लिया था, उस पर कितना धन व्यय हुआ है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

आपने अपने उत्तर में कहा है कि 77-78 में खाद्यान्न योजना में इस सड़क को ले लिया गया था, जब ले लिया गया था तो सवाल पैदा होता है कि इस पर उस समय कितना रुपया खर्च हुआ था?

श्री अध्यक्ष–

यह उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

नहीं दिया है और इसमें वास्तविकता यह है कि यह सड़क ली ही नहीं गई थी, बनवाई ही नहीं गई थी, इसका मेरे पास अधिकारियों का स्टे आर्डर है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, आप अपना प्रश्न कर लीजिए।

श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि अगर वर्ष 77-78 में खाद्यान्न योजना में यह कार्य कराया गया था जैसा उन्होंने कहा है कि कराया गया था, तो उस समय 77-78 में इस पर कितना धन व्यय हुआ है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, आप प्रश्न इनका देखें– क्या शासन को जानकारी है कि श्री महेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम धरौली विकास खण्ड मगरौरा, जनपद प्रतापगढ़ की चक के बीचोबीच से सम्पर्क मार्ग खण्डवा मदाफरपुर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रतापगढ़ द्वारा गैर कानूनी ढंग से चलाया जा रहा है तथा इस मार्ग को चक के एक किनारे से चक रोड से होते हुए बनाने का आदेश जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? तो यह पूछ रहे हैं कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जो मार्ग बनाया गया है, जो जिलाधिकारी ने कहा कि किनारे से बनवाइये, उसका इसमें पालन नहीं हुआ है। खाद्यान्न योजना में कितना रुपया खर्च हुआ था उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

[सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री शारदा प्रताप–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

राजकीय बालिका विद्यालय, डुमरियागंज, बस्ती की छात्राओं का परीक्षाफल

*2–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका विद्यालय डुमरियागंज जनपद बस्ती की कक्षा 10 की सभी छात्राओं का जो हाई स्कूल संस्थागत परीक्षा 1984 में सम्मिलित हुई थी अब तक परीक्षाफल घोषित न करने का क्या कारण है? यदि हां, तो उन सबका परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

राजकुमार संजय सिंह–

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डुमरियागंज, बस्ती की 1984 की हाईस्कूल संस्थागत सभी 49 छात्राओं का परीक्षाफल सारणीयन पंजिका में विद्यालय एवं केन्द्र का नाम मुद्रित न होने के कारण घोषित नहीं हो सका था। जांचोपरान्त वांछित सूचनाएं सारणीयन पंजिका में अंकित करके, सभी छात्राओं का परीक्षाफल घोषित कर 30 जुलाई, 1985 को संबंधित विद्यालय की प्रधानाचार्या को उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सारणीयन पंजिका में विद्यालय एवं केन्द्र का नाम नहीं दर्ज हो पाया जिससे नतीजा नहीं निकला और 49 लड़कियों का एक साल बरबाद हो गया। तो पंजिका में नाम न दर्ज करने की जिम्मेदारी किसकी थी और नाम क्यों नहीं दर्ज किये गये। नाम न दर्ज किये जाने का क्या कारण है ? जिसने नाम नहीं दर्ज किये उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, सारणीयन पंजिका में नाम न दर्ज करना यह अवश्यमेव आपत्तिजनक है। इससे मिलती जुलती अन्य अनियमितताएं जो इस दरम्यान हुई हैं उन अनियमितताओं की जांच करने के लिये हरकौली कमीशन बैठाया गया है। तो जब उसकी जांच रिपोर्ट आयेगी उसके बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक कमीशन की आड़ लेकर अधिकारियों को दंडित किये जाने से बचाने का प्रयास किया गया है। जिन छात्राओं के इनके कर्मचारियों और अधिकारियों के अन-उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से परीक्षाफल घोषित नहीं हो सके और वह शिक्षा में एक साल पीछे रह गयीं तो क्या शासन इनको एक वर्ष के लिये विशेष अवसर देकर अगली परीक्षा देने का अवसर देगा अथवा इनको एक वर्ष की क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगा? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

राजकुमार संजय सिंह–

जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कोई बात नहीं की जा सकती ।

(ता0प्र0सं0–3 पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी की रक्षा करिए लेकिन हमारे भी अधिकारों की रक्षा करिये। 49 लड़कियों का एक साल बरबाद हो गया।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये। मैंने प्रश्न नं0 3 ले लिया है।

परिवहन निगम–क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

*3–श्री कृष्णदत्त उर्फ बाल राज (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की सेवा करने के उपरांत भी नियमित नहीं किया गया है? क्या यह भी सही है कि उनका दैनिक वेतन जो रु0 9.61 है वह वर्तमान सामान्य बाजारू श्रमिकों से भी कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला, लखनऊ में वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी हेल्परों में केवल एक कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत है, शेष कर्मचारी 3 वर्ष से कम अवधि के हैं । प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान में स्टाफ स्वीकृत जनशक्ति से अधिक होने के फलस्वरूप एवं नियमित पद रिक्त न होने के कारण इनका नियमितीकरण नहीं किया जा सका है । जो उक्त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उ0 प्र0 शासन श्रम विभाग–3 से जारी अधिसूचना संख्या–2799/36-3-1009/एम डब्लू/75, दिनांक 25-2-81 के अनुसार न्यूनतम वेतन रुपया 9.61 प्रतिदिन की दर से दिया जा रहा है । शासनादेश के अनुरूप है ।

*4–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[20वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद, प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन की मरम्मत

*5–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि **जनपद फैजाबाद में बेसिक** शिक्षा परिषद् **द्वारा संचालित प्राइमरी** पाठशाला अथवा **जूनियर हाई स्कूल के भवन** की मरम्मत का कार्य किन कारणों से वर्ष 1981 से नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा जनपद फैजाबाद को 1981 से 1984 के बीच कोई अनुदान दिया गया था? यदि हां, तो उसके उपयोग न करने का दोषी कौन है और यदि नहीं दिया गया था तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में स्वीकृत धनराशि से केवल नगर क्षेत्रों के विद्यालयों की मरम्मत का कार्य हुआ है । जिला परिषद् द्वारा अभी तक किसी विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है । इसके कारण निदेशक (बेसिक शिक्षा) से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

जी हां । नगर पालिकाएं फैजाबाद, टांडा तथा अयोध्या एवं जिला परिषद्, फैजाबाद ।

चूंकि उपरोक्त स्थानीय निकायों ने 1981-82 तथा 1982-83 के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसलिये उन्हें 1983-84 तथा 1984-85 के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त नहीं की गई ।

प्रदेश में रियायती दरों पर क्रय की गई फिएट कार

*6–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में लगभग 2000 ऐसी फिएट कारें हैं, जो टैक्सी के परमिटों

के रियायती दरों पर खरीदी गई हैं पर उनका प्रयोग निजी प्रयोग के लिए किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिए कोई व्यवस्था सोची है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

राजकुमार संजय सिंह–

दिनांक 15-12-85 के पूर्व तक प्रदेश में 616 ऐसी फिएट कारें थीं जो टैक्सी के परमिटों के रियायती दरों पर क्रय की गई थी उनमें से 75 कारें निजी प्रयोग के लिए परिवर्तित करा ली गई हैं ।

स्पेशल मोटर कैब परमिट धारक को अपने वाहन को काली-पीली नहीं रंगाना होता था किन्तु अन्य टैक्सियों को इन रंगों में रंगाना आवश्यक होता है । इस कारण स्पेशल मोटर कैब का निजी प्रयोग किए जाने तथा परमिट का दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती थी ।

दिनांक 23-8-85 को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने वाली टैक्सियों को छोड़कर अन्य सभी टैक्सियों को काले-पीले रंग में रंगाना आवश्यक हो गया है। इस व्यवस्था से फिएट कारों के लिए दिए गए परमिटों के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी तो आपने दे दी कि दुरुपयोग न हो इसलिए इसकी व्यवस्था हो गयी लेकिन फिर भी दुरुपयोग हो रहा है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सर्वे हुआ था तो उसमें आपने जिन लोगों को पाया कि आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके प्रति आपने अब तक क्या कार्यवाही की ?

राजकुमार संजय सिंह–

उन पर कार्यवाही हुई जिनसे 75 कारों का मामला सामने आया और अभी करीब 616 मामलों की जानकारी हाल ही में आ जानी चाहिए थी । इस पर आदेश दे दिए गये हैं कि एक माह के अन्दर समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाए और जो गाड़ियां बची हैं, जिनकी एक्साइज ड्यूटी आदि पेड नहीं हुई है, उसके बारे में केन्द्र को लिखा जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

यह तो मान्यवर स्वत: और पूरक प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि विभाग आपको सहयोग नहीं दे रहा है जबकि शासन बराबर आदेश दे रहा है । मैं जानना यह चाह रहा था मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपने अब तक क्या कार्यवाही की दण्डात्मक या सिर्फ सूची ही तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि मैं अखबारों में इसकी चर्चा बहुत सुन रहा हूं कि उनके प्रति कड़ी कार्यवाही हो रही है, अगर हो रही है तो वह किस प्रकार की है उसे कृपया सदन में बता दें?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही के पश्चात् ही 75 कारों का मामला जिसमें परिवर्तन आया है और कार्यवाही में जो थोड़ी सुस्ती थी, उसको दूर किया गया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया । जिन टैक्सी वालों को लिग-लाईज्ड करने और उन्हें निजी रूप में प्रयोग करने की इजाजत दे दी गई परन्तु उन्होंने जो गलत कार्य किया या कर रहे हैं उनके प्रति आपने क्या कार्यवाही की ? मान्यवर, यह उत्तर आप दिलवा दीजिए ।

श्री कौशिक रमाशंकर –

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने

उत्तर में कहा कि 600 मामले एक हैं और 75 कारों के मामले हैं जिन्हें रियायती दर पर गाड़ियां खरीदीं और निजी रूप में बदल दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 75 लोगों ने रियायती दर पर टैक्सी के लिए गाड़ियां खरीदीं थीं और अब वह निजी रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उनसे पैसा वसूल किया गया जो रियायत उन्होंने प्राप्त की थी और उनके द्वारा ऐसा किये जाने पर उन्हें कुछ दण्डित भी किया गया या नहीं ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, जो स्पष्ट बात है वह यह कि प्राइवेट गाड़ियों का रोड-टैक्स कम पड़ता है और टैक्सियों का रोड टैक्स अधिक । दूसरी ओर मान्यवर, जो दूकानदार हैं उन्हें फिएट कारों का कोटा जो आम पब्लिक से ताल्लुक रखता है, वह कम होता है और टैक्सियों का अधिक तो यह लोग करते क्या हैं टैक्सियों के नाम से बुक कराते हैं और इस्तेमाल अपने निजी तौर पर करते हैं । और ऐसा करते यह लोग इसलिए हैं कि टैक्सी के लिए 7,000 की छूट एक्साईज की मिल जाती है । तो जब इस प्रकार के मामले प्रकाश में आए । इन गाड़ियों के टैक्स के सिलसिले में केन्द्र सरकार को लिखा गया है और यहां भी लिखा गया है कि दुबारा इस प्रकार का मामला फिर सामने न आने पाये ।

श्री मैनेजर सिंह –

माननीय मंत्री जी ने जैसा कि बताया कि फिएट गाड़ियां यदि टैक्सी के रूप में खरीदी जाएं तो उस पर 7 हजार रु0 एक्साइज के रूप में छूट मिलती है तो जिन 75 कार वालों ने इस प्रकार की छूट प्राप्त कर निजी प्रयोग में गाड़ी चला रहे हैं तो क्या इन गाड़ी वालों से रोड टैक्स टैक्सी के आधार का लिया गया है और जब इन्हें प्राइवेट रूप में चलाने की इजाजत दी गई तो छूट की धनराशि वसूलने की कार्यवाही की गई या नहीं ? रोड टैक्स आपने टैक्सी के हिसाब से जमा करा लिया है कि नहीं ?

राजकुमार संजय सिंह–

ये जो 75 गाड़ियां हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इन गाड़ियों को हम प्राईवेट गाड़ियों के रूप में प्रयोग करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह –

जितने दिनों तक उन्होंने उन गाड़ियों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया, उन दिनों का रोड टैक्स उनसे लिया गया कि नहीं ?

राजकुमार संजय सिंह–

टैक्सी का परमिट जब ये लेते हैं, तो उसी समय उनसे टैक्स जमा करा लिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि आज मैंने टैक्सी खरीदी है, तो मैं कितने दिनों तक उस गाड़ी को टैक्सी के रूप में चलाऊंगा, तो उसके बाद हम उसे कार के रूप में ट्रान्सफर करा सकते हैं, उसके लिए कितनी अवधि निर्धारित है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो 7 हजार रुपये की बचत एक्साईज से हुई थी, जब आपने उन गाड़ियों को प्राइवेट में ट्रान्सफर कर दिया, तो क्या आपने 7 हजार रुपये वापस लिया ? हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि जो 75 गाड़ियां थीं, उनके बारे में जांच कराने की कृपा करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, पूरी जांच कराई जायेगी ।

01

प्राइमरी पाठशाला, पूरेमया पाण्डेय, जिला आजमगढ़ के प्रधानाध्यापक श्री हरी वंश सिंह की अनुपस्थिति एवं वेतन

*7–श्री दुर्गा प्रसाद यादव (अनुपस्थित)– क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशाला पूरेमया पाण्डेय ब्लाक अहिरौला, जिला आजमगढ़ के प्रधानाध्यापक श्री हरी वंश सिंह माह जुलाई, 1984 से आज तक विद्यालय पर नहीं उपस्थित हुए तथा माह जुलाई, 84 से नवम्बर, 84 तक बिना कार्य किए उन्होंने वेतन लिया है ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

प्राप्त सूचना स्पष्ट तथा पूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

बाराबंकी, इब्राहिमा घाट और धौरहरा घाटों के पट्टे सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*8–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)– क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के इब्राहिमा और धौरहरा घाटों के पट्टे देने में राज्य सरकार से आदेशों की अवहेलना करते हुए मल्लाहों की उपेक्षा की गयी है और क्या बाराबंकी मल्लाह सहकारी समिति, श्री राम सागर द्वारा इस संबंध में अक्तूबर, 85 में शासन को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय –

जी नहीं।

श्री राम सागर अध्यक्ष मल्लाह सहकारी समिति, धौरहराघाट द्वारा इस संबंध में शिकायती पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में 5 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ। इसी समिति के सचिव श्री हरिराम द्वारा इसी विषय पर शिकायती पत्र अक्टूबर, 1985 में दिया गया था जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई और निराधार पाया गया। श्री राम सागर की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उन्हें दो बार पत्र भेज कर अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करने तथा शिकायत की पुष्टि हेतु आमंत्रित किया किन्तु वह पुष्टि हेतु उपस्थित नहीं हुए।

राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में प्रवक्ता के रिक्त पद

*9–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर में सात में से चार प्रवक्ता के पद 1979, 1981 से रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों पर अस्थाई व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चार पदों हेतु सम्प्रति वर्ष 1984 में लोक सेवा आयोग को अधियाचन निदेशालय द्वारा भेजा गया, किन्तु आयोग ने अभी तक साक्षात्कार की तिथि तक निर्धारित नहीं की है तथा संबंधित विषय में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र शिक्षा निदेशालय में ही पड़े हैं ? यदि हां, तो जब तक लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों का नाम नहीं प्राप्त हो जाता तब तक के लिए तदर्थ नियुक्ति करने में सरकार को क्या कठिनाई है और ये नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ?

राजकुमार संजय सिंह–

राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में रिक्त पदों में से वर्ष 1977 से एक तथा वर्ष 1981 से दो पद रिक्त हैं।

तदर्थ नियुक्ति प्रतिबंधित होने के कारण ।

आयोग को अधियाचन 12-12-83 को भेजा गया है परन्तु आयोग द्वारा साक्षात्कार की तिथि के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

निदेशालय स्तर से कोई भी प्रार्थना पत्र इस हेतु आमंत्रित नहीं किए गए परन्तु तदर्थ नियुक्ति हेतु कतिपय प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी के उत्तर से प्रदर्शित हो रहा है छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है और आयोग ने भी कोई तिथि निश्चित नहीं की है, तब तक उन्हें तदर्थ नियुक्तियों को खोलने में क्या परेशानी है?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, इस समय प्रतिबन्ध लगा हुआ है, यह सरकार जब प्रतिबन्ध हटायेगी, तो जरूर नियुक्तियां कर ली जायंगी ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, अध्यापकों के अभाव में छात्रों का बहुत अहित हो रहा है। मान्यवर अध्यापकों के पद दस वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं, तब तक के लिए माननीय मंत्री जी अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगे और जो छात्रों का अहित हो रहा है। उसकी क्षतिपूर्ति भी करायेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, दिखवा लिया जायगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 10 वर्षों से वहां पर प्रवक्ता नहीं है और वहां पर छात्रों से बराबर फीस ली जाती है, परन्तु उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका उच्च शिक्षा आयोग अकर्मण्य है, जिसमें आपकी सरकार शामिल है । तो क्या माननीय मंत्री जी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तत्काल शिक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, नहीं ।

बरेली, बहेड़ी में बस-अड्डा के निर्माण की मांग

*10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में परिवहन निगम की बसों के लिए कोई बस अड्डा नहीं है जिसके कारण वहां यात्रियों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब वहां पर बस अड्डा बनवाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में परिवहन निगम की बसों के लिए बुकिंग स्टेशन किराए के कमरे में स्थित है । बुकिंग स्टेशन के आगे यात्रियों की सुविधा के लिए एक टिन का शेड तथा 3 बेन्चें लगाई गई हैं ।

बुकिंग स्टेशन के सामने स्थानाभाव के कारण बसें मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़ी होती हैं, जिससे यात्रियों को कभी-कभी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान बुकिंग स्टेशन को नैनीताल रोड एवं बाईपास के निकट स्थानान्तरित करने हेतु नगरपालिका बहेड़ी का प्रस्ताव माह दिसम्बर, 1985 में निगम को प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है

कि जो बस अड्डा बनाने का विचार है वह विचाराधीन है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहेड़ी, जिला बरेली की बहुत बड़ी तहसील है और मुख्यालय है । यह बरेली राज मार्ग पर स्थित है । इस बात के महत्व को देखते हुए माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मौजूदा बुकिंग आफिस जो है वह सात बजे से तीन बजे तक खुलता है, जिसके कारण उससे पहले और पीछे आने वाली बसों का रिकार्ड मौजूद नहीं रहता है और उस बुकिंग आफिस के पास एक मैखाना भी है, जहां ड्राइवर अपनी प्यास शान्त करते हैं, तो क्या मंत्री जी जब तक यह विचाराधीन है तब तक कृपा करके जो बुकिंग आफिस है उसके कार्यकाल का समय बढ़ाने और उस मैखाने को बन्द करने की कृपा करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, यात्रियों को परेशानी होती है यह सही है, लेकिन वहां चार-छः बसें खड़ी हो जाती हैं उसके बाद स्थान नहीं रहता है कि और बसें खड़ी हो सकें । इसीलिए यह मामला विचाराधीन है और बुकिंग आफिस खुलने का समय सात से तीन बजे तक का है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जब यह बस अड्डा बनवायेंगे तो उसके बाद सभी सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुमाऊं डिपो की जो बसें जाती हैं उनकी बुकिंग बहेड़ी से नहीं करते हैं, तो जब तक दूसरा बस अड्डा बनवायेंगे तब तक सभी बसों की बुकिंग वहीं से करवाने की कृपा करेंगे। दूसरी बात वर्तमान बुकिंग स्टेशन को नैनीताल रोड एवं बाईपास के निकट स्थानांतरित करने हेतु नगरपालिका बहेड़ी का प्रस्ताव विचाराधीन है तो यह बस अड्डा एसी जगह बनवायेंगे, जहां यात्रियों को सब सुविधायें प्राप्त हो सकें?

राजकुमार संजय सिंह–

अगर एसी समुचित स्थान पर जमीन मिलेगी तो एसी व्यवस्था जरूर की जाएगी।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदपुर बरेली की बहुत बड़ी तहसील है यहां कोई बस अड्डा नहीं है, फतेहगंज में भी यही समस्या है तो क्या मंत्री जी फरीदपुर तथा फतेहगंज में भी बस अड्डा बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे ताल्लुक नहीं रखता है।

गाजियाबाद, दादरी में बस स्टापेज की मांग

*11–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं, एटा, कासगंज, हाथरस व अलीगढ़ आदि से दिल्ली आने-जाने वाली बसें दादरी, जिला गाजियाबाद पर नहीं रोकी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या एसा उक्त आदेश है ? यदि नहीं, तो बसें क्यों नहीं रोकी जाती ? क्या मंत्री जी बसें रुकवाने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि दादरी जनपद गाजियाबाद में सब डिपो बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त डिपो कब तक बना दिया जायेगा ?

राजकुमार संजय सिंह–

बदायूं डिपो द्वारा संचालित बदायूं-दिल्ली सेवा का स्टापेज दादरी पर नहीं है, क्योंकि यह लम्बी दूरी की सेवा है, लेकिन एटा, कासगंज, हाथरस एवं अलीगढ़ डिपो की दिल्ली जाने वाली बस सेवायें दादरी पर रुकती हैं । दादरी में सब-डिपो बनाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उत्तर दिया गया है वह निहायत बे-बुनियाद है । अगर झूठ वर्ड असंसदीय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यह उत्तर झूठा है । एक भी बस उस स्थान पर नहीं रुकती है इसी 22 तारीख और 25 तारीख को हड़ताल हुई । बस स्टैण्ड पर कोई क्लर्क नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

बस रुकती नहीं है इसकी जानकारी मंत्री जी को है ।

श्री अध्यक्ष–

कौन सी बस, कोई नम्बर है, कोई सूचना आपके पास है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

जो बसें आती हैं, बदायूं, कासगंज और बुलन्दशहर-अलीगढ़ से वह अन्दर बस स्टैण्ड पर रुकती हैं ।

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, बदायूं-दिल्ली एक्सप्रेस सेवा है, अगर हर जगह रुकेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा । दादरी, बुलन्दशहर की जो बात कही गई है, दादरी में बस स्टैण्ड है, एक्सप्रेस सेवा की बसों को छोड़कर सभी बसें वहां रुकती हैं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का चयन वेतनमान

*12–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों को चयन वेतनमान 1-7-84 से दिया जा रहा है जबकि जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों तथा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को चयन वेतनमान 1-7-79 से दिया जा रहा है? यदि हां, तो इस विभेद का कारण क्या है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् में सहायक अध्यापकों को चयन वेतनमान किस तारीख से दिया जा रहा है, जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को तथा सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल को किस तारीख से दिया जा रहा है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रधानाध्यापक प्राईमरी पाठशाला और सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल को 1-7-79 से दिया जा रहा है। सहायक प्रध्यापक प्राईमरी को 1-1-84 से दिया जा रहा है, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल को 1-3-83 से दिया जा रहा है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मंत्री जी ने बताया कि प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों की तारीख बाद में है और जूनियर हाई स्कूल की तारीख पहले है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विभेद किस आधार पर है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

चयन वेतन मान में प्रधानाध्यापक प्राईमरी तथा सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल का निर्धारण हुआ था लेकिन सहायक अध्यापक प्राईमरी और प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल का निर्धारित नहीं हुआ था, अध्यापकों की मांग पर मंत्रि परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जिस तारीख से प्राईमरी के प्रधानाध्यापकों को दिया जा रहा है उसी तारीख से सहायक अध्यापकों को देंगे।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

चूंकि अध्यापकों की मांग पर यह निर्धारण हुआ है इसलिये दोनों को एक तिथि से देने का प्रश्न नहीं उठता है।-

सुल्तानपुर-चांदा मार्ग पर सिटी बस के संचालन की मांग

*13–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि सुल्तानपुर से चांदा तक चलने वाली सिटी बस को बन्द कर दिया गया है जबकि इस सिटी बस के चलने से जनता को काफी राहत मिली ? क्या इस बस के चलने से विभाग की आमदनी में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो कितनी आमदनी में वृद्धि हुई ? क्या परिवहन मंत्री जनता की दिक्कत को देखते हुए उक्त सिटी बस को पुनः चलाये जाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

प्रश्नगत मार्ग पर कभी कोई सिटी बस संचालित नहीं थी । इस मार्ग पर एक बस जनवरी, 84 में चलायी गयी थी जिसकी आय कम होने के कारण निगम हित में बन्द करना पड़ा । उक्त सेवा की आय 2.30 पैसे प्रति कि0 मी0 थी। उपरोक्त सेवा का पुनः संचालन आय कम होने के कारण सम्भव नहीं है ।

उक्त मार्ग पर यात्रियों को आवागमन की पर्याप्त सुविधा देने हेतु सुल्तानपुर डिपो की 4 बसें, वाराणसी डिपो की एक बस, चारबाग डिपो की 1 बस तथा जौनपुर डिपो की 5 बसें प्रतिदिन चांदा होकर गुजरती है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के अनुसार इस प्रश्नगत मार्ग पर कभी कोई सिटी बस चली ही नहीं और 1984 में चली भी तो आय कम होने के कारण उसको रोक दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र की तरह से प्रश्नगत मार्ग पर भी बिना लाभ हानि की बात सोचे बसें चलाने का कष्ट करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, जो प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र की बात कही गयी तो वहां पर कोई सिटी बस चलती ही नहीं । जहां तक इस मार्ग की बात है, वह बहुत छोटा रूट है, जहां बस चलाने से लाभ नहीं है। वैसे चांदा रूट पर 11 बसें पहले से ही चलती हैं।

आगरा जिले की एतमादपुर स्थित भवन विहीन भारतीय जूनियर हाईस्कूल

*14–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर, तहसील टूण्डला, जिला आगरा के भारतीय जूनियर हाईस्कूल को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो मान्यता कब दी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के पास कोई भवन नहीं है और बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं ? यदि हां, तो बिना अपना भवन होने के विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का क्या औचित्य है ? क्या ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त

किये जाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इस विद्यालय को वर्ष 1955-56 में विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी । उस समय मान्यता हेतु विद्यालय के निजी भवन आदि के विषय में नियम लागू नहीं थे । विद्यालय का अपना भवन नहीं है । विद्यालय विवादित भूमि पर लगता है तथा टीन शेड में छात्र पढ़ते हैं । भूमि/भवन विवादित है और प्रकरण उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है ।

कुंवर भानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तो वे निर्देश क्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, नियमानुसार कार्यवाही करने का जहां तक सवाल है, वह यह है कि चूंकि विद्यालय का भवन और भूमि नहीं है और जहां विद्यालय चल रहा है वह स्थान विवादित है और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में, चूंकि वहां भवन व भूमि होनी चाहिए, इस सिलसिले में यह निर्देश दिये गये कि देखें कि क्या कोई दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारा कहना है कि इस विद्यालय के जो प्रबन्धक हैं, वह सत्तारूढ़ दल के एक असरदार व्यक्ति हैं और उसके प्रभाव में भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, जो दूसरे की है और इसके साथ-साथ विद्यालय के लिये जो सरकार से पैसा मिलता है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विद्यालय नाम की कोई चीज वहां नहीं चल रही है । क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में भूमि और पैसे के दुरुपयोग की जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

विद्यालय टीन शेड में चल रहा है । जांच का कोई सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसकी जांच करवा लीजिये ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

वैसे जांच की आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी इसको दिखवा लिया जायगा ।

माध्यमिक विद्यालयों के प्राइमरी शिक्षकों की समस्या से सम्बन्धित विधायकों का पत्र

*15–**कुंवर रेवती रमण सिंह–**

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-7-85 को माध्यमिक विद्यालय के साथ चलने वाले प्राइमरी शिक्षकों की समस्या के सम्बन्ध में 21 माननीय विधायकों का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां ।

माननीय विधायकों को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि 21 विधायकों ने जो पत्र लिखा था, वह क्या था और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, उसमें डिमान्ड यह की गयी थी कि 1971 से पहले जो व्यवस्था है कि जो भी लड़कों के स्कूलों के साथ लड़कियों के प्राइमरी सेक्शन्स है वहां मिडले सेलेरी दी जाती है । जहां लड़कियों के सेक्शन्स हैं, वहां पर नहीं दी जाती है । पहले जो व्यवस्था थी, उसको मैंने देखा । हर चीज देखने के बाद यह विचार किया गया कि लड़कों को मिलनी चाहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वह पत्र क्या है, उसमें क्या मांगे थीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

राजकुमार संजय सिंह–

यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को संबोधित है, "उ0 प्र0 बेसिक शिक्षक संघ के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 16 वां दिन है, उनकी मांग शासन द्वारा दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वयन हेतु आदेश निर्गत कराना है जो पूर्ण न्यायोचित प्रतित होता है ।

मुझे यह मालूम हुआ है कि दिनांक 25-7-85 को शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमण्डल एनेक्सी स्थित आपके कार्यालय में आपसे मिला था आप द्वारा व्यक्त किये गये सद्भावों से शिक्षक वर्ग पूर्ण आश्वस्त है और उन्हें पूर्ण आशा है कि उनकी यांग के संबंध में शीघ्र ही शासन आदेश निर्गत करेगा ।

इतना होने पर भी ये शिक्षक आमकी भावना के अनुसार स्वतः अपने अनशन को समाप्त किये जाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उन्हें पिछले 10 महीनों से दिये जाने वाले आश्वासनों का कटु अनुभव है जिससे भयभीत से हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण को समाप्त कराने हेतु शीघ्र ही आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें ।"

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह आदेश निर्गत करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, ऐसा आदेश निर्गत करने से करीब 4 करोड़ रुपये का भार शासन के ऊपर आता है । मैं समझता हूं कि यह भार शासन को वहन करना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, उसमें कोई समय सीमा निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, शीघ्र किया जायेगा ।

उप शिक्षा निदेशक पद हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*16–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप-निदेशक स्तर के रिक्त 32 पदों में से 10 पदों पर 19-2-85 को पदोन्नतियों के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अधीन कितनी नियुक्तियां

की गई और आरक्षित कोटे की कुल मिलाकर इस समय स्थिति क्या है ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी नहीं ।

32 पद रिक्त नहीं थे । दिनांक 19-2-85 को केवल उप शिक्षा निदेशक के 10 रिक्त पदों के लिये तदर्थ चयन किया गया था ।

प्रश्नगत चयन में आरक्षित कोटे के अधीन कोई अधिकारी तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । उप शिक्षा निदेशक व उनके समकक्ष वेतन मान के केवल 31 पद हैं जिनमें से 2 पदों पर अनु0 जाति के अधिकारी कार्यरत हैं ।

श्री राज किशोर सिंह–

मैं जानना चाहूंगा कि इन 10 रिक्त पदों में चयन करने का क्या आधार अपनाया गया ? दूसरे, क्या उस वक्त अनुसूचित जाति के बारे में कोई ध्यान था अथवा नहीं ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक ने सूचना दी थी कि 32 पद रिक्त हैं, उसमें 32 पद नहीं अपितु 10 पद रिक्त थे, उसके लिये व्यवस्था की गयी । तीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री चन्द्र प्रकाश, श्री पंचम लाल तथा श्री भगवान स्वरूप पदोन्नति के उपयुक्त नहीं पाये गये, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया । मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि पहले से वहां इस जाति के दो व्यक्ति कार्यरत हैं, वह अभी भी काम कर रहे हैं।

श्री राज किशोर सिंह–

जिन 10 लोगों का चयन किया गया, वह दस व्यक्ति सवर्ण जाति के हैं । उनमें 6 ब्राहमण हैं, एक कायस्थ है, दो ठाकुर हैं, एक खत्री है ।

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, यह तो कोई रिकार्ड नहीं होता है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे और रिकार्ड मंगाकर देखेंगे और, क्या यह जो अनियमितता हुई है, उसको दुरुस्त करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, हर चीज स्पष्ट है ।

पर्वतीय जनपदों के ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का सेमिनार*

*17–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय जनपदों में ग्राम प्रधानों तथा प्रमुख क्षेत्र समितियों का दो दिवसीय सेमिनार 8 व 9 जून 1985 को जनपद पौड़ी मुख्यालय पर निदेशक पंचायत राज द्वारा आयोजित किया गया ? यदि हां, तो सेमिनार के आयोजन का क्या उद्देश्य था, उसमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया और कितनी-कितनी संख्या में प्रत्येक वर्ग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया ? सम्मेलन के आयोजन पर मदवार कितनी धनराशि व्यय की गयी ? सेमिनार के चर्चा के क्या विषय थे और किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 9 जून, 1985 को एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया ।

पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों की पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण का उद्देश्य था ।

सम्मेलन में ग्राम्य विकास मंत्री, पौड़ी क्षेत्र के मा0 विधायक के अतिरिक्त आठ ब्लाक प्रमुख, 16 ग्राम प्रधान, 30 विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा 17 कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था जिसमें से 2 ब्लाक प्रमुखों के अलावा सभी ने भाग लिया । उक्त सम्मेलन की व्यवस्था पर 2340 रु0, भोजन एवं आवास व्यवस्था पर 4354 रु0, यातायात पर 3714 रु0, तथा लेखन सामग्री पर 1732 रु0 कुल 12140 रु0 मात्र व्यय किये गये ।

सेमिनार में चर्चा के निम्नलिखित विषय थे जिन पर चर्चा की गई :–

1–वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा ।

2–वर्ष 1984-85 में पंचायत उद्योगों की उपलब्धियां तथा नये पंचायत उद्योगों की स्थापना ।

3–पंचायत टैक्स का निर्धारण एवं वसूली ।

4–सिविल वनों एवं वन पंचायतों को सक्रिय बनाने तथा उनकी आय में बढ़ोत्तरी ।

5–स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था तथा

6–पर्वतीय क्षेत्र की विशेष कठिनाइयों पर विचार विमर्श ।

बुलन्दशहर के प्राइवेट रूटों की बसों का दिल्ली के लिये संचालन

*18–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 को जनपद बुलन्दशहर के प्राइवेट रूटों की लगभग सभी यात्री गाड़ी (बसों) अपने-अपने रूटों पर न चलकर अन्य व्यवसायिक उपबन्धों के तहत दिल्ली को गई थीं? यदि हां, तो क्या उक्त बस मालिकों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से उक्त सम्बन्ध में अनुमति लेकर सरकारी खजाने में वांछित फीस जमा करा दी थी ? यदि नहीं, तो उक्त बस मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जनपद बुलन्दशहर के किसी वाहन स्वामी ने 31-1-85 को व्यवसायिक उपबन्धों के तहत कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था तथा इस हेतु कोई परमिट दिल्ली जाने के लिये, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ द्वारा जारी नहीं किया गया। बुलन्दशहर के प्राइवेट आपरेटरों द्वारा प्राइवेट रूटों पर न चलकर दिल्ली जाने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई है । ये प्राइवेट आपरेटर यात्रीकर के लिये लम्पसम समझौते के आधार पर चलते हैं । इसलिये नियमानुसार प्रतिदिन ढोई गई सवारियों के विवरण बनाने की इन्हें आवश्यकता भी नहीं है । इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये बसें अपने रूटों पर न चलकर अनधिकृत रूप में दिल्ली गई थीं। इसलिये किसी वाहन स्वामी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री विष्णु देव–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मुरादाबाद, अमरोहा, राजकीय इण्टर कालेज में सिलाई विषय के प्रवक्ता का रिक्त पद

*20–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज में बोर्ड द्वारा 1977 में सिलाई विषय कक्षा 11 में स्वीकृत किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा प्रवक्ता की नियुक्ति वर्ष 1977 से अब तक नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रवक्ता (सिलाई) की न्यूनतम अर्हता निर्धारित न हो पाने के कारण उक्त पद नहीं भरा जा सका । अर्हताओं का निर्धारण नियमावली में किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर, चौधरी छोटूराम इण्टर कालेज के प्रवक्ता श्री प्रह्लाद सिंह का वेतनक्रम

1–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में चौ0 छोटूराम इण्टर कालेज (पूर्वनाम जाट इण्टर कालेज), मुजफ्फरनगर में कार्यरत श्री प्रह्लाद सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता को पी0 जी0 डी0 कोर्स करने के पश्चात् भी प्रवक्ता का वेतनक्रम नहीं दिया गया जबकि इस सम्बन्ध में सरकार के दो स्पष्ट जी0 ओ0 1-ए1/6302/पन्द्रह-1606 (25)/1965 दिनांक जनवरी 13, 1966 तथा 2-ए-1/1780-पन्द्रह-1527/1927/1966 दिनांक 19 अप्रैल, 1966 है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री प्रह्लाद सिंह के बारे में शिक्षा निदेशक की आख्या 28-1-86 को प्राप्त हुई है जो परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त इसमें निर्णय लिया जायगा।

श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक, राजकीय हामिद इण्टर कालेज, रामपुर का स्थानान्तरण

2–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय संवर्ग में नियुक्त अध्यापक जो पर्वतीय संवर्ग में विकल्प लेकर सी0 टी0 वेतन क्रम से एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति पा चुका हो, क्या उनका मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरण नहीं हो सकता है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक, एल0 टी0 राजकीय हामिद इण्टर कालेज, रामपुर का स्थानान्तरण पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में किया गया?

श्री सिब्ते रजी–

पर्वतीय संवर्ग का विकल्प लेकर अध्यापक का मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरण नहीं हो सकता है।

श्री अरविन्द कुमार सक्सेना ने मैदानी संवर्ग का विकल्प चुना था। अतः उनका स्थानान्तरण मैदानी संवर्ग में किया गया।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, बड़ागांव बराहिमपुर, जिला फैजाबाद के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

3–श्री देव कुमार यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क0प्रा0पा0 बड़ागांव बराहिमपुर, टांडा-पश्चिमी फैजाबाद के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन मार्च/अप्रैल, 82 का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी संबंधित अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान कराकर दोषी

व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

मात्र एक (1) प्रधानाध्यापक एवं दो (2) सहायक अध्यापिकाओं का वेतन रोका गया है।

अनुपस्थित रहने के कारण।

परीक्षण कराया गया है। अध्यापक/अध्यापिकाओं का मार्च/अप्रैल 82 का पूरा वेतन देय नहीं है। कार्यविधि के देय वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ जिले के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

4–श्री भगौती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का चयन वेतनमान

5–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा (मुरादाबाद) में ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जिनका सेवाकाल 16 वर्ष पूरा हो चुका है किन्तु उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

दो अध्यापिकाएं ऐसी हैं जिन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया गया है।

चयन वेतनमान प्रोन्नति न होने की स्थिति में वृद्धि रोध की समस्या के निराकरण हेतु दिया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दो अध्यापिकाओं को 16 वर्ष की सेवा पूरी करने के पहले ही उच्च वेतनमान में प्रोन्नति दी गयी थी, परन्तु उन्होंने प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अतः उन्हें चयन वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठा।

ग्राम सिरौली, बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण

6–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरौली विकास खंड दरियाबाद जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल का भवन विगत 5 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बाराबंकी को 16-3-85 को कोई पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अधूरे भवन निर्माण को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी नहीं।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है अब पुनः अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है तथा धनराशि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

श्री दीनानन्द सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, हरिपुर, जिला बलिया के विरुद्ध अपराध का आरोप

7–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय राम इकबाल

सिंह, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, हरिपुर ब्लाक दुबहड़ परगना/जिला बलिया के विरुद्ध अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, 307 आई0 पी0 सी0 के जघन्य अपराध आदि के गम्भीर आरोप हैं? क्या यह भी सही है कि स्थानीय विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व उपेक्षा के कारण उक्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे सहायक अध्यापक का कहीं दूरस्थ स्थानान्तरण कर शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दंडित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री राम इकबाल सिंह सहायक अध्यापक को धारा 382 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत 6 माह की सजा व 200 रु0 का आर्थिक दण्ड दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपील सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी।

राजकीय प्राइमरी पाठशाला, जमशेदपुर, इलाहाबाद के भवन हेतु पत्र

8–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शिक्षा मंत्री को सम्बोधित राजकीय प्राइमरी पाठशाला जमशेदपुर, ब्लाक सैदाबाद, इलाहाबाद के भवन निर्माण किये जाने विषयक श्री बलवीर सिंह दबथुआ, एम0 एल0 सी0 का दिनांक 21 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ मण्डल के माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर लागू की गयी प्रशासनिक योजना

9–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मंडल में ऐसे गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौन-कौन हैं जहां अभी तक प्रशासनिक योजना (नवीन संशोधित) लागू नहीं हो सकी है? लागू न हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक लागू हो जायेगी?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है। विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करायी जायेगी।

बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालाएं एवं जूनियर हाईस्कूलों के भवनों हेतु आवंटित धनराशि

10–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 76-77 से लेकर 84-85 तक प्रा0पा0 और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु कुल कितना धन किन-किन विभागों को निर्माण करने के लिए कब-कब दिया गया और उनमें से कितने भवन कब-कब बनकर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित हुए? क्या यह सत्य है कि संबंधित विभागों ने जिन्हें निर्माण करना था समय से धन प्राप्त करने के बावजूद भवन नहीं बनाये और अब 6-7 वर्ष के अन्दर लागत खर्च बढ़ जाने के कारण भवन बनाने को तैयार नहीं हैं? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मंत्री जी उन विभागों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी

जनपद बस्ती में प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1976–77 से 1984–85 तक विभिन्न निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत धनराशि एवं निर्माण की स्थिति निम्नवत है––

क्रम-सं0	वित्तीय वर्ष	निर्माण एजेंसी	विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत धनराशि रु0 हजार	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की सं0	पूर्ण	प्रगति पर	विभाग को हस्तांतरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1976-77 से 1980-81 तक	आर0 ई0एस0	प्रा0 पा0	73797	238	165	55	143
2	1978-79 से 1980-81 तक	,,	जू0हा0 स्कूल	80537	9	7	2	7
3	1981-82 से 1984-85 तक	पी0 डब्लू डी0	प्रा0 पा0	822698	180	20	39	6
4	1981-82 से 1984-85 तक	,,	जू0हा0 स्कूल	408480	40	7	12	13

निर्माण एजेंसियों द्वारा किन परिस्थितियों में निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में जांच कराई जायगी।

फैजाबाद जिले के डिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0टी0सी0 मास्टरों को प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग

11–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी राजाज्ञा संख्या 8831x15-(5)-77-449/76, दिनांक 16 जून, 1978 के अनुलग्नक 'ख' में डिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0 टी0 मास्टरों के पदों को समाप्त करके उन्हें योग्यतानुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर स्थापित करने का जो आदेश निर्गत किया था और जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 8073/15(5)-77-2-78 दिनांक 28 जुलाई, 1978 द्वारा उक्त पदों को समाप्त करके उक्त राजाज्ञा के अनुसार संबंधित सभी अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करने का आदेश निर्गत किया था, का अनुपालन जनपद फैजाबाद में आज तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और उक्त राजाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और राजाज्ञा के अनुपालन न होने से विभाग पर जो अधिक व्यय भार पड़ा है उसे किससे वसूल किया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

सम्बन्धित अधिकारियों को कई अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं। परन्तु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। शिक्षा निदेशक

(बेसिक) को अर्ध शा0 पत्र भेजकर सूचना तथा अब तक सूचना न भेजने के कारण मांगे जा रहे हैं।

12–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आजमगढ़ के जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं के हरिजन अध्यापकों का आरक्षण कोटा

13–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों का हरिजन कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषद् एवं नगर पालिका के अध्यक्षों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति नहीं की गई है बेसिक शिक्षा परिषद् के गठनोपरान्त की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा पूर्ण है। कुल मिलाकर अभी तक निर्धारित कोटा पूर्ण नहीं हो पाया है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा में पूर्ण सेवा काल का कथित समायोजन

14–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर पेंशन गणना हेतु उनके द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गई गैर सरकारी सेवा को भी जोड़ कर पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके द्वारा पूर्व की गई राजकीय सेवा की अवधि पेंशन गणना जोड़कर पेंशन निश्चित की जा सके और एकरूपता स्थापित हो सके?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद, अशरफपुर की प्राइमरी पाठशाला का भवन

15–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक कटेहरी में स्थित प्राइमरी पाठशाला अशरफपुर बरवा का नव निर्मित भवन इतना अधिक जर्जर है कि उसके नीचे छात्रों/छात्राओं को बैठाया जाना खतरनाक है? यदि हां, तो उक्त भवन का टेक्निकल (आडिट) सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा भवन निर्माण में हुये व्यय की वसूली संबंधित दोषी लोगों से करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, फैजाबाद के अध्यापकों की प्रबन्ध समिति में सदस्यता

16–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद को हाई स्कूल स्तर की मान्यता उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 अध्याय 7 परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता की धारा 3-छ के अन्तर्गत विद्यालय की प्रशासन योजना निर्देशक द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त प्रदान की गयी है? यदि हां,

तो क्या प्रशासन योजना में जिन दो वरिष्ठतम अध्यापकों का नाम प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्यों के रूप में भेजा गया उनका चुनाव प्रशासन योजना की धाराओं में निहित प्रतिबन्धों के अनुसार वरिष्ठता सूची की एक-एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को प्रबन्धक द्वारा देने के उपरान्त किया गया? यदि नहीं, तो निदेशक द्वारा असंवैधानिक रूप से प्रशासन योजना अनुमोदित करके उक्त विद्यालय को अनियमित ढंग से मान्यता दिलाने पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

प्रशासन योजना में मात्र पदेन सदस्यों के पद का उल्लेख है। अतः सदस्यों के नाम भेजने का प्रश्न नहीं उठता है। वैसे लिखित रूप में वरिष्ठता सूची से सभी अध्यापकों को अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, फैजाबाद के वेतन का अनियमित भुगतान

17–श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सरन तथा श्री भोपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद के वर्तमान प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में दिनांक 16-7-76 से एक वर्ष के परीक्षण काल पर दिखाकर दिनांक 16-7-77 को संवैधानिक तौर पर स्थायी प्रधानाध्यापक अंकित करके वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल, 82 से मई, 84 तक अनियमित ढंग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका वेतन आहरित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदान का इस प्रकार दुरुपयोग करने के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

प्रस्तुत प्रकरण में मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद से प्राप्त सूचना का परीक्षण शिक्षा निदेशक द्वारा किया जा रहा है। जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सावित्री बाजपेयी, उप बालिका निरीक्षिका, मैनपुरी के विरुद्ध शिकायती पत्र

18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सावित्री बाजपेयी, उप बालिका निरीक्षिका, मैनपुरी में सेवारत हैं और इनके विरुद्ध श्री राम सिंह भू0पू0 एम0 एल0सी0 ने 1982-83 में उनको शिकायती पत्र भेजा था उसके आधार पर बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने शिकायती पत्र के तथ्यों को सही मानते हुये दिनांक 9-5-83 को जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विष्णू दयाल त्रिपाठी, अध्यापक नगर पालिका, हरदोई की पेंशन

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णू दयाल त्रिपाठी अध्यापक दिनांक 30 जून, 1981 को नगर पालिका, हरदोई से सेवा निवृत्त हुए? यदि हां, तो उन्हें राजाज्ञा संख्या 5187/15151-7979/77, दिनांक 8-3-78 के अनुसार पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

अध्यापक द्वारा इस राजाज्ञा में प्रतिपादित योजना को अपने ऊपर लागू न किये जाने का विकल्प दिये जाने के कारण।

बांदा, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, करबी की सफाई कर्मचारी, श्रीमती शांति का वेतन मान

20–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, करबी की सफाई कर्मचारी श्रीमती शान्ती पत्नी मुन्ना लाल को विगत 6-7 वर्षों से केवल पचीस रुपये मासिक वेतन मिलता है? यदि हां, तो वेतन बढ़ाने की उनकी मांग पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? पूरे प्रदेश में स्कूल कालेजों के सफाई कर्मचारियों की वेतन स्थिति क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

श्रीमती शान्ती नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। इन्हें कार्यालय आकस्मिक व्यय से भुगतान किया जाता है।

विद्यालय के लिये पद स्वीकृत न होने के कारण वेतन देने अथवा वेतन बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

जहां पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां उन्हें स्वीकृत वेतनमान में पूर्ण वेतन दिया जाता है। जहां अंशकालिक कर्मचारी हैं वहां कार्यालय आकस्मिक व्यय से निश्चित राशि के भुगतान पर काम में लगाया जाता है। अतः वहां वेतन का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् पाठशालाओं में गांव शिक्षा समितियों का गठन

21–डा0 शिवानन्द नौटियाल –

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश संख्या बे0शि0परि0/9325-9518/एक-12/78-79 दिनांक 21 अगस्त, 1978 के जारी होने के बाद जनपद पौड़ी एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन कब किया गया और समितियों की बैठकें नियमानुसार किये जाने और उनके निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है? क्या यह सत्य है कि गांव समितियों की बैठकें नियमित नहीं होती हैं और उनकी कार्यवाही पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और गांव शिक्षा समिति के मुख्य-मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य क्या-क्या हैं तथा नियमित बैठकें आमंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0 के आदेश संख्या/बे0शि0प0/ 9325-9418/ एक-12/ 78-79 दिनांक 21 अगस्त, 78 के जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद् पाठशालाओं में माह अगस्त, 1983 में गांव शिक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है।

शिक्षा समिति के सचिव, जो कि विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है का कर्तव्य होता है कि वह इन समितियों की नियमित बैठकें बुलायें। ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकें बुलाने के लिए क्षेत्रीय प्रति उ0वि0नि0 के माध्यम से विद्यालय के प्रधान अध्यापक/सचिव को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि इन समितियों की नियमित रूप से बैठकें बुलाई जायं तथा उनकी कार्यवाही पंजिका में अंकित की जाय।

अभी तक इन समितियों की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संस्तुतियां प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य हैं:-

(क) बेसिक स्कूलों के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को सुझाव देगी और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किए जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

समिति की नियमित बैठक करने के लिए समिति का सचिव उत्तरदाई है।

वाराणसी, श्री विश्वनाथ सनातन धर्म, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति

22–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हैं ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति का भी मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के कार्यालय में पिछले 9-10 वर्षों से शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित कोई मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति के प्रबन्धक के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा इंटर मीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 छ (3) (ख) के अन्तर्गत दिनांक 14-7-1975 को अननुमोदित कर दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के समक्ष इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16छ(3)(ग) के अन्तर्गत अपील योजित की गयी। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-76 तथा उसके पश्चात 10 बार तिथियां निर्धारित की गयीं परन्तु विद्यालय प्रबन्धक के या तो सुनवाई के समय अनुस्थित रहने अथवा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों का उल्लेख करते हुये अपील की अंतिम सुनवाई में अवरोध उत्पन्न करने के कारण अपील अनिर्णीत रही। इसके विपरीत श्री शुक्ला ने 7-6-85 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया और अपील कर निर्णय के लिये अनुरोध किया प्रबन्धक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 5-10-85 को पुनः एक अवसर दिया गया था पर भेजी गयी सूचना वापस आ गयी। अपील पर सुनवाई की तिथि दिनांक 10-2-86 निर्धारित की गयी है।

श्री छोटे लाल, भूत पूर्व सहायक अध्यापक, जिला शाहजहांपुर का आवेदन-पत्र

23–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी 85 में श्री छोटे लाल भू0 पू0 सहायक अध्यापक जिला शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ कोई आवेदन पत्र शिक्षा निदेशक, कैम्प कार्यालय लखनऊ को इस आशय का दिया था कि उन्हें भी राजाज्ञा के अनुसार पुनः सेवा में लिया जावे ? यदि हां, तो इस आवेदन पत्र में तथ्य क्या थे? उपरोक्त हरिजन भू0 पू0 सहायक अध्यापक को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा और इस शिथिलता के लिये कौन अधिकारी दोषी है?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के समायोजन एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश

24–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में 1982-1983 में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी समायोजन प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कब प्रस्तुत किया गया और उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा समायोजन प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किए गए है? और समायोजन आदेश कब निर्गत किए गए है? शिक्षा सत्र के 6 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी समायोजन/स्थानान्तरण न कर, विद्यालयों में समुचित शिक्षण व्यवस्था न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है?

श्री सिब्ते रजी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त सूचनानुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के परिषदीय अध्यापकों के स्थानान्तरण/समायोजन के आदेश दिनांक 15-8-82 से पूर्व ही निर्गत किये गये थे। छात्र संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सत्र के मध्य में समायोजन/स्थानान्तरण का पूरक प्रस्ताव जनपदीय स्थानान्तरण उप समिति के अनुमोदन के उपरान्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक पौड़ी को दिनांक 17-1-81 को प्रस्तुत किया गया जिसे उप शिक्षा निदेशक पौड़ी ने दिनांक 28-1-83 को अनुमोदित किया। तदुपरान्त दिनांक 29-1-83 को संबंधित अध्यापकों के आदेश निर्गत किए गए ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गढ़वाल मण्डल के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग

25–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं है जो विगत दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही विद्यालय में कार्यरत है? इनके इतने लम्बे समय तक एक ही विद्यालय में बने रहने का औचित्य क्या है तथा इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की दिशा में सरकार की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों तथा हाई स्कूलों के 10 वर्ष से एक ही

विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं की संख्या निम्नवत है :–

जनपद	संख्या
(1) चमोली–	155
(2) देहरादून–	144
(3) पिथौरागढ़–	17
(4) टिहरी गढ़वाल–	46
(5) पौड़ी गढ़वाल–	218
(6) उत्तरकाशी–	23

विभागीय नियमानुसार वार्षिक प्रबन्ध में स्वीकृत संख्या के अनुसार पांच प्रतिशत अध्यापकों को ही स्थानान्तरित किया जाता है ।

पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का चयन

26–डा0 शिवानन्द नौटियाल –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि/स्थल का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

भूमि स्थल चयन की कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । विद्यालय भवन का निर्माण वहीं किया जाता है जहां ग्राम सभा द्वारा निःशुल्क एवं निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराई जाय ।

यदि भूमि के सम्बन्ध में विवाद होता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर भूमि का निरीक्षण करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल जिले के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

27–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवन हैं जो विगत डेढ़ वर्ष से निर्माणाधीन चले आ रहे हैं और अभी तक उनका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है? इस विलम्ब के कारण क्या है तथा विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है ? इन विद्यालय भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर पठन पाठन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी –

42 प्राइमरी स्कूल तथा 19 जूनियर हाई स्कूल जिनकी सूची संलग्न है ।

भूमि आदि की रजिस्ट्री विभाग के नाम ग्राम सभाओं द्वारा समय से न होने के कारण भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ ।

निश्चित अवधि बताना तो संभव नहीं है, परन्तु यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्माण यथासम्भव शीघ्र पूर्ण हो जाय और उन्हें पठन पाठन के लिए उपलब्ध कराया जाय । संबंधित ग्राम सभाएं तथा निर्माण एजेन्सी खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विलम्ब के प्रति उत्तरदायी हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 123-124 पर)

शिक्षा विभागों में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के रिक्त पद

28–श्री राम आसरे वर्मा –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1984-85 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों की पूर्ति न किए जाने के क्या

कारण है? क्या शासन तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा गया है आयोग ने प्रश्नगत रिक्तियों को विज्ञापित करा दिया है । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षित है ।

मैदानी क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा है । इससे छूट अभी नहीं दी गई है । पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों हेतु विज्ञापन निकाला गया था परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के कारण अग्रिम कार्यवाही स्थगित है ।

श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, मेहन्दूपार, बस्ती द्वारा लिया गया चार्ज एवं बकाया वेतन एवं आडिट रिपोर्ट

29–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय जब जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार, विकास खंड सांथा, जनपद बस्ती में स्थानान्तरित होकर आये तो उन्हें स्टाक बुक के अनुसार स्पष्ट चार्ज नहीं दिया गया था जिसके बारे में श्री उपाध्याय ने तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकास खण्ड सांथा से कई बार अनुरोध किया था ? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन प्रति उप विद्धालय निरीक्षक, विकास खण्ड सांथा ने दिनांक 31-3-80 को जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार, वि0 खण्ड सांथा के निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण आख्या के बिन्दु 1ए पर अपनी टिप्पणी 'विद्यालय का चार्ज स्पष्ट नहीं है विवाद श्री जयराम मिश्र भू0 पू0 प्रधानाध्यापक तथा श्री राम लखन शुक्ल सहायक अध्यापक के मध्य है'' अंकित किया है? यदि हां, तो क्या अपने 31-3-80 के निरीक्षण के बाद तत्कालीन प्रति उप विद्धालय निरीक्षक ने स्टाक बुक के आधार पर सम्पूर्ण चार्ज दिलाने की कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय ने जूनियर हाई स्कूल महेन्दूपार में दिनांक 13-10-79 प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था और उक्त तिथि को ही विद्यालय के स्टाक बुक के अनुसार समस्त चार्ज प्राप्त कर लिया था । केवल धन संबंधी स्वीकृत पत्र उन्हें उस समय प्राप्त नहीं हो पाया जो विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री जयराम मिश्र द्वारा उन्हें दिनांक 23-8-81 को उपलब्ध करा दिया गया। विद्यालय के अभिलेखों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि श्री उपाध्याय ने चार्ज न मिलने की शिकायत अपने उच्चाधिकारियों को की हो । जहां तक प्रति उप विद्यालय निरीक्षक विकास खण्ड सांथा द्वारा दिनांक 31-3-80 को विद्यालय के निरीक्षण का प्रश्न है, इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में कुछ बताने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि मामला पांच वर्ष पुराना है ।

30–श्री दिवाकर विक्रम सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन सांथा, जनपद बस्ती ने जू0 हा0 स्कूल से सम्बन्धित

अभिलेखों (जो उनके पास उपलब्ध हों) की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा दिनांक 9-1-81 को उनके बस्ती कार्यालय पर तथा दिनांक 19-9-81 को तहसील मुख्यालय बांसी में कराई थी ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा कोई अनियमितता पायी गयी थी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो अक्टूबर, 88 से जनवरी, 81 तक का वेतन उस समय तथा अब तक रोके जाने का औचित्य क्या है जब कि फरवरी, 81 से श्री उपाध्याय का वेतन पुनः दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने अपने पत्र दिनांक 4-1-86 द्वारा आदेश कर दिए है कि श्री उपाध्याय को जो भी देय हो उसका भुगतान कर दिया जाये ।

31–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0प्र0 संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-1-81 को श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जू0 हा0 स्कूल मेहन्दूपार ने अभिलेखों की आडिट जांच तहसील मुख्यालय बांसी पर कराया था ? यदि हां तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या कोई राजकोष धन का व्यपहरण आडिट जांच के समय प्रकाश में आया था? यदि हां, तो यह व्यपहरण किस समय का है और किस अधिकारी की जांच द्वारा इसे पाया गया ?

श्री सिब्ते रजी–

मामले की जांच कराई जायेगी ।

32–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपाध्याय को फरवरी, 75 तथा जुलाई, 76 से अक्टूबर, 76 तक के बकाये वेतन का भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

भुगतान के आदेश कर दिए गए हैं ।

33–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया तथा सितम्बर, 81 एवं जुलाई, 82 का वेतन अब तक न भुगतान करने पर किसी को दोषी न पाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री साबिर हसन खां, अध्यापक, जी0 आई0 सी0, शाहाबाद, रामपुर के जी0 पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान

34–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0 आई0 सी0 शाहाबाद, जिला रामपुर के सहायक अध्यापक श्री साबिर हसन खां जो कि दिनांक 7-6-79 को रिटायर हुए हैं, को किन कारणों से जी0 पी0 एफ0 की अदायगी अभी तक नहीं हुई तथा पेंशन के आदेश हो जाने के बाद भी पेंशन की रकम रोक देने के क्या कारण है ? सरकार कब तक इसकी आदायगी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

श्री साबिर हसन खां के जी0 पी0 एफ0 के अन्तिम भुगतान का प्रकरण

प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, शाहाबाद, रामपुर के पत्र दिनांक 7-1-84 द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा जा चुका है । किन्तु महालेखाकार से भुगतानादेश प्राप्त न होने के कारण जी0 पी0 एफ0 की अदायगी नहीं हुई है ।

श्री खां के पेंशन प्रकरण पर महालेखाकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है । किन्तु चूंकि श्री खां द्वारा लगभग तीन वर्ष की अधिक सेवा की गई है इस सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा वांछित कतिपय सूचनाओं के अभाव में उन्होंने पेंशन भुगतानादेश निर्गत नहीं किया है ।

उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, पिथौरागढ़ का ज्ञापन

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष (नारायण दत्त भट्ट) द्वारा प्रेषित पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 1-11-82 का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्प्रति, शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं ।

बेसिक शिक्षकों के पेंशन की धनराशि डाक द्वारा भेजे जाने की मांग

36–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षकों को अपनी अल्प पेंशन राशि को लेने के लिए अपने-अपने जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस अल्प राशि को बैंक या डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी, जिससे पेंशन पाने वाले इन शिक्षकों के धन व समय की बचत हो सके ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

कहीं-कहीं जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है और कहीं-कहीं नहीं ।

इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा परन्तु निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूलों के परीक्षाफल का प्रतिशत

37–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 81-82, 82-83 तथा 83-84 में पर्वतीय जनपदों के इण्टर व हाई स्कूल के बोर्ड की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं की प्रतिशत सफलता क्रमशः कितनी रही ? क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में उपरोक्त कक्षाओं के अध्यापकों के पदों को न भरे जाने के परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ा ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में इन पदों को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल के संस्थागत एवं

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल उत्तीर्ण प्रतिशत वर्ष 1981 से पूरे प्रदेश का एक साथ तैयार किया जाता है, जनपदवार नहीं । पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में उपरोक्त कक्षाओं के अध्यापकों के पदों के न भरे जाने के कारण परीक्षाफल पर पड़े प्रभाव की स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है ।

विद्यालय कर्मचारी संगठन, अल्मोड़ा के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव

38—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद अल्मोड़ा के द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में दिनांक 23 सितम्बर, 84 को पारित प्रस्तावों की प्रति पत्रांक 475/तीन/84-85 दिनांक 2 अक्टूबर, 1984 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उनके 16 सूत्रीय मांगों पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

कुछ मांगों पर कार्यवाही की जा चुकी है । कुछ अन्य मांगें विचाराधीन हैं ।

पिथौरागढ़ तथा चमोली में राजकीय इण्टर कालेजों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का सम्पादन

39—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पांच शिक्षा सत्रों में जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें क्रमशः किन-किन तिथियों में सम्पन्न की गयीं, ये तिथियां लिखित परीक्षाओं से पूर्व थीं या बाद में ? सरकार भविष्य में इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लिखित परीक्षाओं से पूर्व अवश्यमेव सम्पन्न कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1981 से 1984 तक विगत वर्षों में जनपद पिथौरागढ़ तथा चमोली के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान विषयों की सम्पन्न प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि सहित विषयवार सूचना संलग्न है† । (परिशिष्ट 1 व 2) जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1985 की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षा के पूर्व दो चरणों में सम्पन्न कराई गई । पर्वतीय क्षेत्र में मौसम की खराबी तथा लिखित परीक्षा से पूर्व विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण जनपद चमोली में वर्ष 1985 में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रयोगात्मक परीक्षायें संबंधित विषयों की लिखित परीक्षा के उपरान्त ही सम्पन्न कराई गई हैं । जनपद उत्तर काशी में संबंधित विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षा के उपरान्त सम्पादित करायी गयीं । तिथि सहित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षा के पूर्व सुचारुरूप से संपन्न कराने हेतु परीक्षकों तथा विद्यालयों को पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों के बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की पदोन्नति

40—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1967, 1968 और 1969 से जो अध्यापक और अध्यापिकायें पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0

†छापी नहीं गयी

सी0 वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक किन कारणों से स्थायी एवं पदोन्नत नहीं किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चमोली, श्री शम्भू दयाल कोठियाल, अध्यापक राजकीय इन्टर कालेज, नन्द प्रयाग, का निलम्बन एवं वेतन का भुगतान

41–डा0 शिवानन्द नौटियाल –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, रा0 इण्टर कालेज, नन्दप्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 20-6-81 को उप निदेशक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया और फिर उनको निलम्बित कर दिया गया तथा पुनः 14-5-82 को उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया, तो निलम्बन के समय का जो वेतन का अवशेष है उसका भुगतान 30-4-85 को क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी है तथा उन्हें इसके लिए क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी –

जनहित में ।

जी हां ।

विचाराधीन था ।

अब श्री कोठियाल के संपूर्ण अवशेष वेतनादि का भुगतान दिनांक 13.9.85 को हो चुका है ।

विलम्ब से भुगतान करने हेतु उत्तर-दायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

गाजियाबाद, स्व0 श्री हर स्वरूप, सेवा निवृत्त, हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदतनगर की पारिवारिक पेंशन का भुगतान

42–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हर स्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदतनगर, डाकखाना बाबूगढ़ जिला गाजियाबाद का स्वर्गवास 7-12-68 को हो गया था इनकी विधवा श्रीमती परसन्दी देवी को लाभत्रयी योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 लखनऊ की धारा-34 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है तथा पारिवा-रिक पेंशन कब से दी जाने लगेगी ?

श्री सिब्ते रजी –

श्री हर स्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, डाकखाना बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद का स्वर्गवास दिनांक 8-12-68 को हुआ था ।

श्रीमती परसन्दी देवी (विधवा), पत्नी स्व0 श्री हर स्वरूप के उपलब्ध प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-12-71 के संदर्भ में सूचित किया गया था कि उन्हें 31-12-70 तक की पारिवारिक पेंशन स्वीकार कर दी गई है जो पूर्ण है और आगे देय नहीं है । उक्त भुगतान चेक नं0 बी 7/77 501702, दिनांक 16-10-81 द्वारा किया जा चुका है ।

बुलन्दशहर, ग्राम सालाबाद, घमेड़ा, चितसोना निन्वाना की प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण

43–श्री किरनपाल सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील बुलन्द-शहर के अन्तर्गत ग्राम सालाबाद, घमेड़

तथा चितसोना निन्वाना, ग्राम धमेड़ा कीरत में क्रमशः जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण 30 जून, 1984 तक पूर्ण होना निश्चित था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों के अब तक निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? उक्त विद्यालय के भवन कब तक निर्मित हो जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी --

जी हां ।

विद्यालय हेतु भूमि समय से उपलब्ध न होने एवं निर्माण लागत में बृद्धि के कारण । प्रश्नगत स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल सालाबाद धमैड़ा, प्राइमरी पाठशाला धमेड़ा कीरतपुर तथा प्राइमरी पाठशाला नीमचाना के भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्राइमरी पाठशाला चितसोना अलीपुर के भवन का निर्माण अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके लिए निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

बुलन्दशहर स्व0 श्री मुनउव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक खुर्जा, की पारिवारिक पेंशन का भुगतान

44—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनउव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर का 27 सितम्बर, 1980 को स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो उनकी विधवा मुईतिजा खातून को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन नहीं मिली है ?यदि हां, तो क्यों तथा कब तक सभी भुगतान कराकर पारिवारिक पेंशन दिला दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

सचिव उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती मुईतिजा खातून को बीमें की धनराशि रु0 12356 का भुगतान किया जा चुका है। शेष देय बकाये आदि की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

फैजाबाद, ग्राम देवगांव, में प्राइमरी पाठशाला के निर्माण की मांग

45—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल खोले जाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा मेवापुर मुत्ताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती, के सेवा निवृत्त, अध्यापक, श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, जूनियर हाई स्कूल, एकडंगवा, की पेंशन

46—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा जिला बस्ती की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुई थी तथा 30 जून, 80 को वह सेवा निवृत्त हुए इस प्रकार कुल 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त वह सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी का पेंशन 30 वर्ष 10 माह के वेतन तथा सेवाकाल के आधार पर न बनाकर केवल 30 वर्ष के सेवाकाल के आधार पर ही बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

उनके मामले में लागू शासनादेशों के अनुसार ही पेंशन स्वीकृत की गई है ।

गाजीपुर जिले के भवन विहीन सीनियर बेसिक स्कूल व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

47—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने स्कूल और कालेज हैं और कितनों को मान्यता मिली हुई है तथा यह बताने की कृपा करें कि कितने मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवन ही नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

गाजीपुर जनपद में 142 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 93 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं सभी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं और सभी वे पास अपना निजी भवन है । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मकतबों में बेसिक शिक्षा की पढ़ाई

48—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कितने ऐसे मकतब हैं जिनमें दोनों तालीम के साथ-साथ दर्जा 5 तक की बेसिक शिक्षा दी जाती है? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाइज इन पर सरकार की ओर से क्या खर्च आता है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त एंव सहायता प्राप्त 814 ऐसी संस्थाएं है जिनमें दोनों तालीम के साथ-साथ दर्जा 5 तक की बेसिक शिक्षा दी जाती है ।

इन संस्थाओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का जिलेवार विवरण संलग्न है:—

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 125-127 पर)

आजमगढ़ जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के सेवा निवृत्त अध्यापकों की पेंशन का भुगतान

49—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में प्राइमरी अध्यापक जो आज से चार पांच वर्ष पूर्व से वर्ष 1984 तक की अवधि में सेवा निवृत्त हो गए हैं, उनकी पेंशन, प्राविडेंट फंड तथा अन्य धनराशि जो देय है, आज तक उन्हें नहीं मिली है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना संलग्न है ।

50—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के बार-बार कहने पर कार्यालय कोई कार्यवाही नहीं करता है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

पत्रजात अपूर्ण होने के कारण ।

51—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार आजमगढ़ जिले के ऐसे सेवा निवृत्त अध्यापकों के समस्त बकाया धनराशि पेंशन आदि दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी, नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा के संस्कृत प्रवक्ता, श्री अम्बिका दत्त पाठक के प्रमोशन के विरूद्ध शिकायती पत्र

52—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा जिला वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री अम्बिका

(†छापी नहीं गयी)

दत्त पाठक को संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन अर्सा दो वर्ष से करके अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पास भेजा है? क्या यह सही है कि उक्त पद के लिए शिक्षा आयोग को अभियाचन आज तक नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण से अधियाचन नवीन निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त न होने के कारण उत्तर-प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन नहीं भेजा जा सका है । विद्यालय से आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दे दिए गये हैं।

53–श्री राम सजीवन–

क्या यह सही है कि इस गलत प्रमोशन के बारे में भू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने मा0 शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 व निदेशक को 6-4-85 को पत्र लिखा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या पूरी कार्यवाही का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव को सम्बोधित श्री ऊदल भूतपूर्व सभापति, लोक लेखा समिति उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र दिनांक 12-4-85 (न कि दिनांक 13-4-85) प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य आरोपों के साथ श्री अम्बिका दत्त पाठक संस्कृत अध्यापक के गलत प्रमोशन का भी आरोप था । इस पत्र में निहित आरोपों की तुरन्त जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिए गए थे । निदेशक ने उपशिक्षा निदेशक, वाराणसी को जांच करके जांच आख्या तथा कृत कार्यवाही की सूचना भेजने हेतु निर्देश दे दिया है । निदेशक की आख्या प्रतीक्षित है ।

बाराबंकी बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पड़ी हुई स्लेटें व कुर्सिया

54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में लगभग 1500 लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां तथा लगभग 6000 स्लेटें पिछले एक वर्ष से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है ? क्या यह सही है कि सामग्री की नीलामी होने वाली है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इनके रखने का उद्देश्य क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 शिक्षक

55–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कितने शिक्षक 31 मार्च, 85 तक बेरोजगार थे?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न में सम्पूर्ण प्रदेश के बारे में सूचना चाही गई है जिसे एकत्र किया जा रहा है।

प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त पद

56–श्री फजलुल बारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के प्राइमरी व जूनियर स्कूल में उर्दू टीचर्स की जगहें रिक्त है? यदि हां, तो वह कितने स्थान हैं और उसे अब तक क्यों नहीं भरा गया?

श्री सिब्ते रजी–

पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूचना चाही गई है। पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। शिक्षा निदेशक (बे0शि0) को पुनः लिखा जा रहा है।

मुरादाबाद, राजकीय इण्टर कालेज, अमरोहा के सहायक अध्यापक का बकाया वेतन एवं सी0टी0 ग्रेड में स्थायीकरण एवं वेतन का निर्धारण

57–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, अमरोहा जनपद मुरादाबाद में कार्यरत ऐसे कितने सहायक अध्यापक हैं, जिनको वर्ष 1963 में एल0टी0 ग्रेड में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न किये जाने के फलस्वरूप सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त किया गया था? क्या यह सही है कि इन सहायक अध्यापकों का सी0 टी0 ग्रेड में वेतन निर्धारण कर, उनको देय धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों तथा देय धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

केवल एक अध्यापक।

जी हां। वेतन निर्धारण का प्रश्न महालेखाकार द्वारा की गयी आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन है।

निर्णय हो जाने के पश्चात् ही तद्नुसार देय धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा।

58–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ऐसे सहायक अध्यापकों का सी0 टी0 ग्रेड में स्थायीकरण भी अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको कब तक स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

विलम्ब का कारण सम्बन्धित अध्यापक का एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित हो जाना है। सम्प्रति, स्थायीकरण का प्रकरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली के विचाराधीन है उन्हें शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश तार द्वारा दिनांक 27-1-86 को दिये जा चुके हैं।

59–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन सहायक अध्यापकों की एल0 टी0 ग्रेड में की गयी पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण कर, उनको देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सेवा निवृत्त से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में पदोन्नति होने पर नियमानुसार वेतन-निर्धारण करके तद्नुसार भुगतान किया जा रहा है।

श्री नौबत सिंह ग्राम गणेशपुर, अलीगढ़ को बहाल किये जाने सम्बन्धी कथित आदेश

60–श्री कल्यान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नौबत सिंह आर्य ग्राम गणेशपुर, डा0 जिरौली धूप सिंह, जिला अलीगढ़ को दिनांक 23-5-85 को शिक्षा मंत्री ने सवेतन बहाल किये जाने का आदेश दिया था? यदि हां, तो अभी तक नौबत सिंह को सवेतन बहाल न किए जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

ऐसा कोई आदेश सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाई स्कूलों और इण्टर कालेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों का डी0ए0 एवं उनकी सेवा पुस्तिकाएं

61—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को श्री गोविन्द नारायण मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 17-11-83 संख्या 2132 क/पन्द्रह-8-3004 (8)/82 शासनादेश के अनुसार उ0 प्र0 के कितने जिलों में राहत (डी0ए0) दी जा रही है? क्या यह शासनादेश सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पहुंच गया? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री सिब्ते रजी—

दस जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शासनादेश वहां पहुंच गया है तथा भुगतान भी हो रहा है। शेष जिलों में सूचना एकत्र की जा रही है।

62—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेन्शन निर्धारण के समय उनकी सेवा पुस्तिकायें डी0 डी0 आर0 के कार्यालय में मंगायी जाती हैं? यदि हां, तो बाद में यह सेवा पुस्तिकायें सम्बन्धित विद्यालयों को वापस न दिये जाने के क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

आडिट के उद्देश्य से सेवा पुस्तिकायें आवश्यकतानुसार रोक ली जाती है।

इलाहाबाद मण्डल के राजकीय इण्टर कालेजों के शिक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड

63—श्री आसान सिंह तथा

श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल के कितने राजकीय इण्टर कालेजों के शिक्षक 31 दिसम्बर, 1984 तक सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने के योग्य हो गये थे, उनमें से कितनों को सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया और कितनों को नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

72(34 प्रवक्ता, 21 एल0टी0 एवं 17 सी0टी0 वेतनक्रम के) अध्यापक।

67(33 प्रवक्ता, 21 एल0टी0 एवं 13 सी0टी0 वेतनक्रम के) अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया।

5(1 प्रवक्ता एवं 4 सी0टी0 वेतनक्रम के) अध्यापकों को।

गोपनीय आख्याओं के अभाव में एवं अर्हता पूर्ण न करने के कारण।

64—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रशिक्षकों का वेतनमान

65—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कई वर्षों से कार्यरत प्रशिक्षित (जे0टी0सी0) प्रशिक्षकों को वर्तमान वेतन आयोग द्वारा जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में रु0 450-720 का नहीं दिया जा रहा है तथा अन्य सभी जे0टी0 सी0 प्रशिक्षत अध्यापकों को उक्त वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त वेतनमान न प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को दिलाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

जी नहीं।

सी0टी0 पद पर कार्यरत एवं वेतनमान रु0 400-620 में कार्यरत राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों को 10 वर्ष

की सेवा के उपरान्त ही उक्त रु0 450-720 का वेतनमान दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शिक्षा प्रसार कार्यालय शिक्षण संस्था नहीं हैं और वहां कार्यरत प्रशिक्षकों (इन्स्ट्रक्टर्स), को अध्यापकों की श्रेणी में नहीं माना जाता।

66—श्री सुखपाल पाण्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लखीमपुर, ग्राम कानाखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल के अध्यापक, स्व0 श्री राम कुमार मिश्र की पारिवारिक पेंशन

67—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले के विकास खण्ड भिनौली के ग्राम कानाखेड़ा स्थित बेसिक जू0हा0 स्कूल (बेसिक शिक्षा परिषद्) में कार्यरत स0आ0 श्री राम कुमार मिश्र जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 29-1-85 को हो गई थी उनके आश्रितों को अभी तक पेन्शन, बीमा प्राविडेन्ट फन्ड का धन न मिलने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धन कब तक दे दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

स्व0 श्री राम कुमार मिश्र की पत्नी श्रीमती विद्यावती को सामूहिक जीवन बीमा, प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। श्रीमती विद्यावती को रु0 175 प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब कोई अवशेष शेष नहीं है।

बाराबंकी, नेशनल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल के कर्मचारी श्री जावेद हुसेन का निलम्बन भत्ता

68—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल जनपद बाराबंकी के निलम्बित कर्मचारियों को किस दर से निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है तथा उक्त निलम्बित कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी ने भी निलम्बन भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में पत्रांक शि0स0/16325-27/83-84 दिनांक 28-2-84 द्वारा कोई आदेश दिए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया गया है? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी—

कथित विद्यालय के एक मात्र निलम्बित कर्मचारी (लिपिक) श्री जावेद हुसेन को अक्टूबर, 85 से वेतन के 3/4 की दर से निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी द्वारा निलम्बन भत्ते के भुगतान के संबंध में दिनांक 28-2-84 को आदेश दिये गये हैं।

प्रबंधक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद द्वारा भी 7 अक्टूबर, 85 को निर्देश दिये गये हैं। अक्टूबर 85 से पूर्व का अवशेष वेतन बिल संस्था द्वारा लेखाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

69—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, जनपद बाराबंकी में इस समय कितने कर्मचारी किन-किन तिथियों से निलम्बित हैं तथा इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किस पर कितने समय से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

कथित विद्यालय में इस समय एक कर्मचारी (लिपिक) दिनांक 24-11-83

से निलम्बित है तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद के स्तर पर दिनांक 17-9-84 से लम्बित है।

पूर्ण अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रशासनिक कार्यवाही में विलम्ब हुआ। वांछित अभिलेख प्राप्त हो गये हैं जिनका परीक्षण मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जा रहा है।

हरदोई, नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जूनियर हाई स्कूल का अनुदान

70—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरियांवा जिला हरदोई को जू0 हाई स्कूल से हाई स्कूल की मान्यता 20 अगस्त, 1980 को मिली जिससे जू0 हाई स्कूल को मिलने वाला अनुदान बन्द कर दिया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ ने आदेश दिया कि अनुदान बराबर जारी रखा जाये जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 83-84 तक अनुदान दिया गया और अब न्यायालय का आदेश बरकरार रहने पर भी अनुदान रोक देने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अनुदान रोका नहीं गया।

मिर्जापुर, जिगिना-मिझपुर मार्ग का निर्माण

71—श्री धनराज यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जिगिना वि0 क्षेत्र विजयपुर, जनपद मिर्जापुर से मिझपुर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा अब तक कितना धन उक्त मार्ग पर व्यय हुआ एवं कार्य की प्रगति क्या रही तथा उक्त मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम जिगिना विकास क्षेत्र विजयपुर जनपद मिर्जापुर से मिझपुर मार्ग का निर्माण कार्य 1 दिसम्बर, 1979 में प्रारम्भ हुआ। इस मार्ग पर रु0 19.43 लाख व्यय हुआ।

कुल स्वीकृत 16 कि0मी0 में जुलाई, 1985 तक 9 कि0मी0 लेपन, 1.6 कि0मी0 ऊपरी सतह कुटाई 0.40 कि0मी0 मध्य सतह कुटाई तक तथा 5 कि0मी0 मिट्टी का कार्य पूर्ण है तथा अवशेष कार्य धन उपलब्ध होने पर जून, 1986 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

फैजाबाद, आर्य कन्या इण्टर कालेज टाण्डा की प्रबन्ध कार्यकारिणी में अध्यापिकाओं का प्रतिनिधित्व और अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची

72—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा, जिला फैजाबाद में वर्ष 75-76 से वर्ष 85-86 तक कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में प्रति वर्ष कौन-कौन अध्यापिका/अध्यापक प्रतिनिधि के रूप में रहते आये हैं?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय की कार्य कारिणी समिति में वर्ष 1975-76 से 1984-85 तक प्रतिवर्ष श्रीमती शोभा श्रीवास्तव एवं श्रीमती फूलमती गुप्ता प्रतिनिधि के रूप में रहती आयी हैं। वर्ष 1985-86 में कु0 बीना वर्मा एवं श्रीमती अनुसुइया देवी हैं।

73–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी तथा
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा जिला फैजाबाद में अध्यापिकाओं/अध्यापकों की कोई वरिष्ठता सूची बनी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, विद्यालय में अध्यापिकाओं/अध्यापकों की वरिष्ठता सूची बनी है। वरिष्ठता सूची संलग्न† है।

वरिष्ठता सूची में अध्यापिका वर्ग प्रवक्ता ग्रेड में श्रीमती आशा रानी श्रीवास्तव को उर्मिला पाण्डेय से वरिष्ठ दिखलाया गया है। किन्तु मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद के दिनांक 28-10-85 के आदेश द्वारा श्रीमती उर्मिला पाण्डेय को श्रीमती आशा रानी श्रीवास्तव से ज्येष्ठ घोषित किया गया है।

फर्रुखाबाद, राजकीय इण्टर कालेज, उमरी के अध्यापक श्री योगेश्वर सहाय विद्यार्थी द्वारा परिवार नियोजन अपनाने सम्बन्धी वेतन वृद्धि

74–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, उमरी जिला फर्रुखाबाद के अध्यापक श्री योगेश्वर सहाय विद्यार्थी को सन् 1981 में परिवार नियोजन अपनाने के बाद भी अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि न दिये जाने का क्या कारण है ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

श्री योगेश्वर सहाय विद्यार्थी को एक जीवित तथा दो मृत (कुल तीन) बच्चों के पिता होने के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धि देय नहीं है। उन्हें इस निर्णय की सूचना 10-3-83 को ही दी जा चुकी है।

आगरा मण्डल, के उपविद्यालय निरीक्षकों का यात्रा भत्ता

75–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मंडल के जनपदों में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का वित्तीय वर्ष 83-84 व 84-85 का यात्रा भत्ता नहीं दिया गया और इसके भुगतान न करने के क्या कारण है ?

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर, श्रमिक बाल विद्या मन्दिर, देवरी देवी, पुरान की प्रधानाध्यापक का वेतन

76–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में श्रमिक बाल विद्या मंदिर देवरी देवी पुरान कानपुर की प्रधानाचार्य को सितम्बर, 1984 से वेतन नहीं दिया जा रहा है तथा उनके निष्कासन की भी कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस मामले की जांच कराकर उक्त प्रधानाध्यापिका को वेतन दिये जाने तथा सेवा में रखे जाने का निर्देश करेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है। उक्त विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा किसी

†छापी नहीं गई।

प्रकार का अनुदान भी नहीं दिया जाता है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे विद्यालय के संबंध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद, जूनियर हाईस्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

77—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अप्रैल, 85 में कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई तथा 12-7-85 को जनपद में उर्दू अध्यापकों के कितने स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

जूनियर हाई स्कूलों में 110 तथा प्राइमरी स्कूलों में 131 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। जूनियर हाई स्कूलों में 12 स्थान तथा प्रा0 स्कूलों (ग्रामीण क्षेत्र) में 6 एवं प्रा0 स्कूलों (नगर क्षेत्र) में 2 स्थान रिक्त थे ।

कार्यवाही की जा रही है । निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

जौनपुर, ग्राम मछली गांव में अवैध ईंट के भट्ठे से आमों को क्षति

78—श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री त्रिभुवन नाथ सिंह, अध्यक्ष, उ0 प्र0 ग्राम प्रधान संघ , जौनपुर को उनकी शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् जौनपुर के पत्रांक मेमो /लाइसेन्स/182—837 दिनांक 28-12-82 द्वारा यह सूचित किया था कि ग्राम मछलीगांव वि0 खं0 बदलापुर, तह0 शाहगंज, जिला जौनपुर में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठे को बन्द कराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो ईंट भट्टा अब तक बन्द न होने के क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है।

79—श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या यह भी सही है कि उक्त भट्ठे के आसपास के आम के बागों को भारी क्षति पहुंच रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बन्द कराने एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्राप्त सूचना के अनुसार आम के बागों को क्षति नहीं हो रही है किन्तु बाग एक मील की दूरी से कम में स्थित है अतः इस मामले की पुनः जांच के लिए कहा जा रहा है।

गोरखपुर, स्वावलम्बी इण्टर कालेज, बिशुनपुरा के शिक्षकों के पी0 एफ0 की धनराशि

80—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज बिशुनपुरा के वर्तमान शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पी0 एफ0 की धनराशि जी0 पी0 एफ0 में अब तक स्थानान्तरित नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्तेरजी—

जी हां,

सम्बन्धित पास बुक डाक घर से ब्याज लगकर वापस न आने के कारण पी0 एफ0 की धनराशि जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरित नहीं हो सकी।

बांदा के बखारा परसौजा पुरवा तरौंहा जूनियर हाईस्कूलों के चपरासियों के वेतन का भुगतान

81—श्री राम सजीवन

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट ब्लाक के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल बखारा परसौंजा, पुरवातरौहा व शिवरामपुर के चपरासियों के वेतन का भुगतान जुलाई सन् 1983 से अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं? और उनका भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, किन्तु पुरवा तरौंहा का भुगतान यथावत् चल रहा है।

जुलाई, 1985 से नियमित भुगतान किया जा रहा है। जुलाई, 1983 से जून, 1985 तक के बकाया वेतन के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सुल्तानपुर, ग्राम रासूलपुर स्थित स्कूल में अध्यापकों, बच्चों के बैठने व पानी की व्यवस्था

82—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकूल जिला सुल्तानपुर में स्थित नव निर्मित स्कूल में अध्यापकों, बच्चों को बैठने तथा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो अब तक उसकी व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

पंचायत उद्योगों द्वारा साज सज्जा की आपूर्ति न किये जाने के कारण।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूलों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों का वेतनमान

83—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100—180 के स्थान पर रु0 80—125 हो गया था? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो गये? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना अभी भी एकत्र नहीं हो सकी है, यद्यपि शिक्षा निदेशक को कई अनुस्मारक भेजे गये। अन्तिम बार तार से अनुस्मारक दिनांक 19-1-86 तथा 4-2-86 को भेजे गये। शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

पिथौरागढ़, राजकीय, हाई स्कूल व इण्टर कालेज, गंगोलीहाट, पीपलकोट बेरीनाग के अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची

84—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज गंगोलीहाट, पीपलकोट बेरीनाग (जनपद पिथौरागढ़) के अध्यापकों को विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भांति उसी दिन से ज्येष्ठता व स्थायीकरण नहीं दिया गया, जबकि रा0 इण्टर कालेज नारायणनगर (पिथौरागढ़) में अध्यापकों को उनके प्रधानाचार्यों के साथ ही ज्येष्ठता दी गयी है? शासन ने

इस विषय पर तुरन्त क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। राजकीय इण्टर कालेज नारायण नगर (पिथौरागढ़) के अध्यापकों को वहां के प्रधानाचार्य के साथ ही ज्येष्ठता नहीं दी गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के अध्यापक व प्रधानाध्यापकों की सेवा निवृत्ति

85–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी में वर्षवार क्रमशः ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उपरोक्त जनपद में विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सेवा निवृत्ति प्राप्त की? इनमें सबसे कम अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले कौन-कौन थे? वे कहां से स्थानान्तरित होकर वहां पहुंचे थे और कितने दिनों में स्थानान्तरित हो गये?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्न अत्यन्त व्यापक है, अथक प्रयास के बावजूद पूर्ण एवं सही-सही सूचना निदेशालय से प्राप्त नहीं हो सकी है। जो सेवा निवृत्त हो गये उनके स्थानान्तरण की सूचना उपयोगी भी नहीं प्रतीत होती।

माध्यमिक शिक्षा, पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण एवं पर्वतीय संवर्ग बनाये जाने संबंधी आदेश

86–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा (पर्वतीय सेल) अनुभाग के पत्रांक सेल/760-100/154 (2)/81-82 दिनांक 4-1-82 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा में पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीयकरण तथा अलग पर्वतीय संवर्ग बनाये जाने की शासकीय योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? कब तक यह कार्य पूरा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण किए जाने की दिशा में निम्नांकित कदम उठाये गये हैं:–

1-वी0टी0सी0 वेतनक्रम से अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) तक के पदों के सम्बन्ध में क्रमशः जनपदीय, मण्डलीय तथा अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) को नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया है।

2-स्थानान्तरण के संबंध में संबंधित कर्मचारियों से विकल्प मांगे जा चुके हैं।

3-पर्वतीय संवर्ग में कुछ रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु भी आदेश निर्गत किये गये थे किन्तु उनका कार्यान्वयन माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा सं0 9299/15-2-80-27 (37)/79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के पर्वतीय क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये

है? इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव किया? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे ? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया, बापू इण्टर कालेज, सलेमपुर के प्रधानाचार्य, श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति के विरुद्ध याचिका

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति बापू इण्टर कालेज सलेमपुर देवरिया में प्रधानाचार्य के पद पर करते समय शिक्षा सचिव के गोपनीय अर्द्ध शासकीय अध्यादेश 3882-2958/75-76 दिनांक 15-9-75 तथा नवीन नियुक्ति अनुच्छेद-2 का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिन्हा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से याचिका संख्या 1525/76 का निर्णय उसके विरुद्ध हो चुका है तथा प्रबन्ध समिति द्वारा दाखिल याचिका संख्या 176-ए/76 खारिज हो चुकी है फिर भी श्री सिन्हा को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है? जबकि श्री सिन्हा द्वारा दाखिल याचिका संख्या 2056/77 भी 1979 में खारिज हो चुकी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई (10) के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

जी हां । इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई (10) के अधीन निर्णय होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रतापगढ़, उतरास, सीनियर बेसिक विद्यालय प्रधान अध्यापक, श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय व अध्यापक श्री राम नारायण मिश्र की अनुपस्थिति

89–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास, विकास खण्ड मंगरारा, जनपद प्रतापगढ़ के प्रधान अध्यापक गिरीश प्रसाद पाण्डे तथा सहायक अध्यापक, श्री राम नारायण मिश्र मास मार्च, अप्रैल तथा 3 मई, 85 तक विद्यालय में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त महीनों में उपस्थित पंजिका में तिथिवार उनके हस्ताक्षर है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

प्रदेश के उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामियां) को दी गयी सहायता

90–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामिया) हैं और उनमें से कितने मान्यता प्राप्त है और कितनों को सहायता (एड) दी जा रही है।

श्री सिब्ते रजी–

उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 814 अनुदानित उर्दू मीडियम (मकतबे इस्लामियां) स्कूल है ।

यह सभी मान्यता प्राप्त है । इन सभी को शासकीय सहायता दी जा रही है ।

प्रदेश में जूनियर बेसिक स्कूलों एवं सीनियर बेसिक स्कूलों में छात्रों एवं अध्यापकों का अनुपात

91–श्री राम नाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने राज्य की प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ? निर्धारित अनुपात के अनुसार प्रदेश में कितने प्राथमिक शिक्षक चाहिए और कितने इस समय में कार्यरत है ?

श्री सिब्ते रजी–

उत्तर प्रदेश में जूनियर बेसिक स्कूलों में छात्र अध्यापक का अनुपात 40:1 का तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में प्रति विद्यालय पांच अध्यापकों का अनुपात निर्धारित है ।

निर्धारित अनुपात के अनुसार जूनियर बेसिक स्कूलों में 2,92,675 तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में 79,070 अध्यापक होने चाहिए । वर्ष 1984-85 में जूनियर बेसिक स्कूलों में 2,54,902 तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में 75,032 अध्यापक कार्यरत थे ।

प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों एवं बालिकाओं की संख्या

92–श्री राम नाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच कितने बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने नहीं ? उपर्युक्त आयु के जो बालक प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको अनिवार्यता शिक्षा देने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के बीच 161.10 लाख बालक, बालिका औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । उपर्युक्त आयु के 81.92 लाख बालक/बालिका शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के पद

93–हाजी मो0 हयात–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि रिक्त हैं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी स्कूलों की सूचना चाही गई है । पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है । शिक्षा निदेशक (बे0 शि0) को पुनः लिखा जा रहा है ।

प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई-स्कूलों से सम्बद्ध भूमि से प्राप्त आय

94–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3200 ग/33-3-147 दिनांक 5 जून, 1976 के सन्दर्भ में प्रदेश में जो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध है उससे होने वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा है के सम्बन्ध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होने वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या जिला

परिषद् इस आय को सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही है अथवा नहीं? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना एकत्र की जा रही है प्रश्न में पूरे प्रदेश के बारे में सूचना चाही गई है इस कारण समय लग रहा है।

लखनऊ में बेरोजगार बी0टी0सी0 अध्यापक

95–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में कितने बेरोजगार बी0 टी0सी0 ट्रेण्ड अध्यापक हैं और उनमें से सरकार ने अभी तक कितने अध्यापकों को रोजगार प्रदान किया है? रोजगार न मिलने वाले अध्यापकों को सरकार कब तक रोजगार का अवसर प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्राविधान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

1325।

307।

रिक्तियां उपलब्ध होने पर।

अभी शासन की नीति बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

96–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजकीय बालिका इंटर कालेज, बांदा, में व्यायाम शिक्षिका का रिक्त पद

97–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इंटर कालेज, बांदा से गत चार वर्षों से व्यायाम शिक्षिका का पद समाप्त कर दिया गया है? क्या यह सही है कि व्यायाम शिक्षिका जैसे तकनीकी पद पर किसी सामान्य विषय की शिक्षिका की नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नही ।

जी नही,

प्रश्न नहीं उठता ।

पाणिनी संस्कृत विद्यापीठ, जिला देवरिया में व्याप्त वित्तीय अनियमितता की जांच

98–श्री बालेश्वर तथा श्री सुग्रीव सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाणिनी संस्कृत विद्यापीठ, पडरौना जनपद देवरिया में हुई वित्तीय अनियमितता संबंधी श्री सुग्रीव सिंह सदस्य विधान सभा रामकोला जनपद देवरिया के शिकायती पत्र दिनांक 3-7-85 पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गई । प्राप्त सूचनानुसार शिकायतों की पुष्टि नहीं होती।

श्रीमती अरुणा सक्सेना, सहायक अध्यापिका, विष्णुनगर इंटर कालेज, खुर्शेदबाग, लखनऊ का प्रार्थना पत्र

99–श्री सत्य पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अरुणा सक्सेना सहायक अध्यापिका विष्णुनगर इंटर कालेज, खुर्शेदबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 28-8-85 के अनुपालन में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो आदेश का अनुपालन कब तक हो जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। श्रीमती अरुणा सक्सेना, सहायक अध्यापिका के प्राथना-पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में उनके अवशेष वेतन

का बिल पारित कराकर दिनांक 16-1-86 को विद्यालय को दिया जा चुका है और भुगतान की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

गोण्डा, स्व0 श्री राम सरन लाल, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, प्रह्लादगंज को मृत्यु दण्ड एवं परिवार को दी गयी सहायता एवं जी0 पी0 एफ, पेंशन की धनराशि का भुगतान

100—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम सरन लाल प्रधान अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् प्रा0 पा0 प्रह्लाद गंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की मृत्यु दण्ड लगने से दिनांक 27-1-85 को हो गई है? यदि हां, तो क्या उनके उत्तराधिकारियों को शासन के आदेश संख्या 14 (63)/78-267-78 के अनुसार सहायता शासन द्वारा दी गई ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी नहीं ।

101—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या श्री राम सरन लाल उपरोक्त मृतक के आश्रितों को परिवार पेंशन, बीमा तथा प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान किया जा चुका है जबकि इनके इस विषय में समस्त कागजात जिला परिषद् गोंडा शिक्षा अनुभाग में 7-5-85 को दाखिल हो चुका है?

श्री सिब्ते रजी—

पत्रजात अपूर्ण होने के कारण कथित देयों का भुगतान नहीं किया जा सका है । इन्हें पूर्ण कराया जा रहा है ।

102—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

उन्नाव के खण्ड विकास अधिकारी, श्री बलई राम को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 की धनराशि

103—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 जुलाई, 1984 को जिला उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर से अवकाश प्राप्त किए खण्ड विकास अधिकारी (श्री बलई राम) को अब तक प्रावीजनल पेन्शन/ग्रेच्युटी/पेन्शन/जी0 पी0 एफ0 का पैसा न मिलने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दिनांक 31-7-84 को जिला उन्नाव के बीघापुर से अवकाश प्राप्त खंड विकास अधिकारी श्री बलई राम के कार्यकाल में उनके द्वारा रूपया 53,000/- मूल्य के ह्यूम पाइप अनाधिकृत रूप से क्रय किए जाने के संदर्भ में अग्रसर जांच का परिणाम प्राप्त होने पर ही उन्हें अंतिम पेन्शन तथा अनुमन्य ग्रेच्युटी की धनराशि के भुगतान के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा । सेवानिवृत्त के दिनांक से इन्हें अनुमन्य पेंशन रूपये 741/-प्रतिमाह की दर से भुगतान अनंतिम रूप से किए जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं एवं तदनुसार भुगतान भी किया जा रहा है । जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि के भुगतान आदेश जारी करने हेतु श्री राम का प्रार्थना पत्र महालेखाकार को भेजा जा रहा है । इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही महालेखाकार के द्वारा ही की जायेगी ।

फैजाबाद मण्डल में ग्राम विकास अधिकारियों की गोण्डा में नियुक्ति

104—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मंडल में 14 जून, 83 को प्रशिक्षण पूर्ण किए हुए नवयुवकों की संख्या

इस समय 50 के लगभग होने के बावजूद भी 16 अप्रशिक्षित ग्राम्य विकास अधिकारी जो कि गढ़वाल मण्डल के हैं उनकी नियुक्ति फैजाबाद मण्डल में करने का क्या कारण है? जबकि आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास का स्पष्ट निर्देश है कि ग्राम विकास अधिकारी पद की नियुक्ति में प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों को ही प्राथमिकता दी जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

फैजाबाद मंडल में 14 जून, 83 को प्रशिक्षण पूर्ण किए हुए नवयुवकों की संख्या 50 नहीं बल्कि 31 थी ।

प्रतापगढ़ जनपद के 16 सरप्लस ग्राम विकास अधिकारियों को मंडल में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में उन्हें गढ़वाल मंडल को स्थानांतरित कर समायोजित किया गया था । यह फैजाबाद मंडल के ही ग्राम विकास अधिकारी हैं । गढ़वाल मंडल के किसी प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति फैजाबाद मंडल में नहीं की गयी है ।

श्री राम जी श्रीवास्तव ग्राम्य विकास अधिकारी, जामों, सुल्तानपुर की पत्नी श्रीमती उर्मिला मौज का प्रार्थना पत्र

105–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा अपर जिलाधिकारी (विकास) गोण्डा, कानपुर तथा सुल्तानपुर को पृष्ठांकित श्रीमती उर्मिला मौज पत्नी श्री राम जी श्रीवास्तव ग्राम्य विकास अधिकारी जामों, सुल्तानपुर का दिनांक 1-7-85 का रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थिनी अपने पति के सेवा पुस्तिका के 1969 से गायब होने तथा सेवा पुस्तिका के अभाव में वेतन पुनः पुनरीक्षण आदि न होने की शिकायत की प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । श्री राम जी श्रीवास्तव ग्राम विकास अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं जमानत पास बुक जिला विकास कार्यालय कानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिल्हौर के कार्यालय में श्री श्रीवास्तव के पूर्व में कार्यरत विकास चण्ड गैड़सी से प्राप्त नहीं हुई है । उसे उक्त विकास खण्ड से प्राप्त करने के साथ-साथ जिला विकास अधिकारी गोण्डा ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को श्री श्रीवास्तव की नयी सेवा पुस्तिका तैयार करने के आदेश भी दे दिए हैं ।

प्रदेश में ग्रामों के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत लेखा जोखा का प्रारूप

106–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक विकास खंड कार्यालय पर हर गांव के आर्थिक विकास का पूर्ण विवरण रखने हेतु कोई विकास रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया गया है? यदि हां, तो वह क्या है? प्रारूप को अन्तिम रूप देकर उसका कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने ग्राम्य स्तरीय नियोजन हेतु तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रगति सूचना का लेखा जोखा रखने हेतु आर्थिक रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप संलग्न है को अंतिम रूप देकर 17-10-85 को समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को इस आशय से भेजा गया है कि वे इसे छपवा कर प्रत्येक गांव के लिए दो प्रतियों में तैयार करवाए इस समय में रजिस्टर तैयार करवाए जा रहे हैं ।

107—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

108—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री विशम्भर दयाल शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी, ढफरा. पोस्ट अलरा का आमरण अनशन एवं मांग

109—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दिवाकर लाल शर्मा न सही तो क्या किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपनी मांगों के लिए अनशन किया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, श्री विशम्भर दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निवासी ढफरा पोस्ट-ओलरा द्वारा दिनांक 30-3-1985 से आमरण अनशन किया गया । श्री शर्मा ने अपने मांग-पत्र में यह दर्शाया था कि मानपुर स्थित उनका स्कूल जिला परिषद ने एक लिखित समझौते के आधार पर भूमि व भवन के नकद मुआवजा देने व चल सम्पत्ति तुरन्त देने को तय करके लिया था, परन्तु जिला परिषद् ने वर्ष 1962 से अब तक यह मामला नहीं निपटाया ।

जिला परिषद् के अनुसार श्री शर्मा भवन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र तथा लिखित समझौते की प्रति उपलब्ध नहीं करा सके हैं और न जिला परिषद् कार्यालय में इस प्रकार के लिखित समझौते का कोई रिकार्ड ही उपलब्ध है, जिसके आधार पर उन्हें प्रतिकर दिया जा सकता हो । अतः मामले में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् सीतापुर के मेंट, बेलदार व माली के स्थायीकरण की मांग

110—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मजदूर की मजदूरी का निर्धारण तथा स्थाईकरण सेवा योजक की आर्थिक दशा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है अथवा कार्य की दशा तथा काम के स्वरूप आदि को? यदि कार्य की दशा, स्वरूप एवं सुरक्षा की दृष्टि से स्थाईकरण आवश्यक है तो उक्त मजदूरों का स्थाईकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मजदूर की मजदूरी का निर्धारण समय समय पर शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। पदों के स्थायीकरण हेतु नियुक्तिकर्ता की आर्थिक स्थिति के साथ कार्य की दशा एवं काम के स्वरूप को भी ध्यान में रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली-1970 (11 वां संशोधन 1984) के अनुसार जिला परिषदें माली, मेट/बेलदार का पद सृजित कर सकती है। किन्तु जिला परिषद्, सीतापुर में प्रश्नगत पद सृजित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त मजदूरों को स्थायी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

111—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

राज्य विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक पद हेतु पात्रता सम्बन्धी अधिसूचना

112—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय श्री एस0पी0 सिंह के खिलाफ होने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के बाद शिक्षा अनुभाग 10 द्वारा जारी किये गये राज्यादेश संख्या 2864/15-10-85-9 (11/-84) दिनांक 31 मई, 1985 जारी करने का क्या कारण था? इस राजाज्ञा द्वारा पढ़ाने के अनुभव का लाभ देने की व्यवस्था मात्र एक अध्यापक के लिए हुयी है या प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर प्रभावी होगी?

श्री सिब्ते रजी—

उल्लिखित अधिसूचना, जो वस्तुतः दिनांक 31 मई, 1985 को जारी की गयी है, द्वारा शिक्षा के स्तर को उच्च-कोटि का बनाने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता का क्षेत्र अधिक व्यापक हो ताकि अधिक अनुभव वाले एवं उपयोगी व्यक्ति उपबन्ध हो सकें।

प्रश्नगत व्यवस्था मात्र एक अध्यापक के लिए नहीं हुई है अपितु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों पर प्रभावी होगी।

लखीमपुर खीरी, श्रीमती ईश्वरी देवी गुप्ता की सहायक अध्यापिका संस्कृत के पद पर नियुक्ति का निरस्तीकरण

113—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा अपने आदेश संख्या (139) 84-85 दिनांक 31-1-85 द्वारा श्रीमती ईश्वरी देवी गुप्ता को पूर्व आदेश 1125-84-85 दिनांक 31-1-85 द्वारा सहायक संस्कृत अध्यापिका के पद पर को गयी नियुक्ति को निरस्त करने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

श्रीमती ईश्वरीय देवी गुप्ता से दूसरी शिक्षिका श्रीमती पुष्पलता के ज्येष्ठ होने के कारण।

लखीमपुर खीरी, बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं की अध्यापिकाओं की संस्कृत अध्यापिका के पद पर पदोन्नति

114—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत नगर क्षेत्र लखीमपुर में प्राइमरी की अध्यापिकाओं की पदोन्नति संस्कृत अध्यापिका के पद पर करने में वरिष्ठ अध्यापिका की पदोन्नति करके नियुक्ति पत्र 29-1-85 को निर्गत किया गया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यभार ग्रहण के पूर्व नियुक्ति 31-1-85 को निरस्त करके कनिष्ठ की पदोन्नति की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर की प्रधानाचार्य श्रीमती सब्बरवाल के विरुद्ध आख्या

115—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राधिकृत नियंत्रक हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शाबली, जनपद मुजफ्फरनगर ने पत्रांक सी0 सी0 1/980-31/85-86 दिनांक 4-6-85 के द्वारा संस्था की

कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती सब्बरवाल के विरुद्ध निरीक्षिका मेरठ एवं निदेशक, इलाहाबाद को आख्या भेजी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्राधिकृत नियन्त्रक हिन्दू कन्या इण्टर क़ालेज, शामली जनपद मुजफ्फरनगर के कथित पत्र द्वारा संस्था की कार्यवाहक प्रधानाचार्या के विरुद्ध मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ को आख्या भेजी गई थी । यह आख्या शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को नहीं भेजी गई थी।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 7-6-85 द्वारा प्राधिकृत नियन्त्रक को लिखा कि संस्था की प्रबन्ध समिति के समस्त अधिकार उनमें निहित होने के कारण शिकायतों पर अपने विवेक से निर्णय लें ।

सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के प्रधानाचार्य, श्री ज्ञान स्वरूप गुप्त का वेतन निर्धारण

116–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य श्री ज्ञान स्वरूप गुप्त ने सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो उनको प्रधानाचार्य का वेतन क्रम के अगले सोपान में वेतन निर्धारण क्यों नहीं हुआ ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

अगले सोपान पर श्री गुप्त का वेतन निर्धारण कर दिया गया है ।

प्रदेश में सरकारी हाई स्कूलों एवं गैर सरकारी हाई स्कूलों को तीसरी भाषा की मान्यता

117–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में ऐसे सरकारी तथा गैर सरकारी हाईस्कूल कितने हैं जिनमें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए तीसरी भाषा की मान्यता नहीं है, मात्र 2 ही भाषाओं को मान्यता दी गयी है ?

श्री सिब्ते रजी–

उ0 प्र0 में 48 सरकारी तथा 417 गैर सरकारी कुल 465 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हाईस्कूल स्तर पर पढ़ाई के लिये तीसरी भाषा की मान्यता नहीं है, मात्र दो भाषाओं सहित मान्यता दी गई है।

स्व0 श्री सिकन्दर मिर्जा, बुकिंग क्लर्क, राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद के भविष्य निधि एवं पेंशन का भुगतान

118–श्री राजेन्द्र सिंह–

द्वितीय सत्र 1985 के छठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री सिकन्दर मिर्जा, बुकिंग क्लर्क, रा0 स0 परि0 निगम, फैजाबाद का ई0 पी0 एफ0 एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? उनकी पत्नी को उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

राजकुमार संजय सिंह–

स्वर्गीय श्री सिकन्दर मिर्जा, बुकिंग क्लर्क, राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद की विधवा श्रीमती सरबत आरा बेगम को भविष्य निधि में जमा धनराशि एवं इम्पलाईज डिपाजिट लिंक्ड

इन्श्योरेन्स की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। जहां तक पारिवारिक पेन्शन के भुगतान का सम्बन्ध है, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय वाराणसी द्वारा उनके पत्र संख्या 13544/ईपीएफ/उक्षेका/वाराणसी/यूपी/847/770, दिनांक 28-1-86 में अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गयी है।

सुल्तानपुर, कन्या प्राइमरी पाठशाला हारीमऊ की अध्यापिका के साथ मार-पीट एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

119—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री दल बहादुर सिंह, ग्राम गूगेमऊ का दिनांक 18-8-84 का रजि0 प्रार्थना पत्र जो कन्या प्रा0 पा0 हारीमऊ की किसी अध्यापिका के साथ मारपीट व स्थानान्तरण आदि के विषय के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की है तथा जांच के बाद अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा अधीक्षक, सीतापुर नगर पालिका के विरुद्ध शिकायती पत्र

120—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर पालिका के शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के रिकवरी लेटर के साथ कोई पत्र मई, 85 के तीसरे सप्ताह में मिला? यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

शिकायती पत्र में शिक्षा अधीक्षक, सीतापुर नगर पालिका के विरुद्ध मुख्य आरोप भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के हैं सम्पूर्ण प्रकरण में जांच हेतु शिक्षा निदेशक (बे0) को निदेश दिए गए।

जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्य के रिश्तेदार प्राध्यापकों के नियमितीकरण की मांग

121—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है उच्च शिक्षा चयन अयोग द्वारा तदर्थ प्राध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में यह बन्धन लगा दिया गया है कि वह प्राध्यापक विनियमित नहीं किये जायेंगे जो प्राचार्य के (जिस महाविद्यालय में वे कार्यरत हैं) रिश्तेदार हैं ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिनियम, 1973 में मात्र यह प्राविधान है कि प्रबंध तंत्र के सदस्य का रिश्तेदार प्रध्यापक नहीं हो सकता और प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का सदस्य नहीं होता ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। ऐसा करना उपयुक्त समझा गया। प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होता है।

हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर की छात्राओं के परीक्षाफल की घोषणा और श्रीमती कमलेश गुप्ता लिपिक का बकाया वेतन तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं कुप्रशासन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

122—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर की छात्रायें 20 मई, 83 को गृह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई थी उन्हें प्रबन्धतंत्र द्वारा जुलाई, 83 में अनियमित रूप से उत्तीर्ण करने के सम्बन्ध में विद्यालय की स्थायी प्रधानाचार्यों ने अपने पत्र 4-1-85 एवं 9-3-85 के द्वारा विभाग और शासन को आख्या भेजी थी? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

हां।

मामले की जांच कराये जाने पर शिकायतें सही पाई गईं। परन्तु उक्त छात्राओं में से वर्ष 1984 की हाईस्कूल/इण्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित छात्राओं का परीक्षाफल विशेष परिस्थितियों में शासनादेश सं0 1075/15-7-1(11)/85 दिनांक 16-3-85 के अनुसार घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

123–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर की सहायक लिपिक श्रीमती कमलेश गुप्ता को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत 26 दिसम्बर, 80 से अनुमोदित कर्मचारी मान्य किया गया था? यदि हां, तो क्या श्रीमती गुप्ता को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत उनका देय वेतन प्रतिमाह निर्धारित अवधि में भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गुप्ता का वेतन कब से कब तक भुगतान होना शेष है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

श्रीमती गुप्ता को 26-12-80 से 31-8-82 तक के वेतन का भुगतान अवशेष है। उक्त अवधि के अतिरिक्त उन्हें नियमित भुगतान किया जा रहा है। 26-12-80 से 31-8-82 तक के अवशेष का भुगतान न किये जाने का कारण यह है कि यह बिल नियमानुसार विद्यालय अधिकारियों द्वारा तैयार करके जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय को नहीं भेजा गया था।

श्रीमती गुप्ता को 26-12-80 से 31-8-82 तक का वेतन देना शेष है।

124–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं एवं कुप्रशासन के संबंध में श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता का शिकायती पत्र दिनांक 16-1-85, 31-3-85 एवं 7-4-85 शासन व विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इन शिकायती पत्रों पर कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। शिकायती पत्र मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ को प्राप्त हुए थे, जिस पर प्राधिकृत नियंत्रक को जांच करके आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया था। प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जांचोपरान्त अधिकांश समस्याओं का निराकरण भी कराया गया।

125–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज,

शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रधानाचार्या कु0 सुशीला माथुर ने अपने पत्र दिनांक 30-11-84, 2-1-85 एवं 9-5-85 के द्वारा विभाग को आख्या भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ द्वारा शिकायती पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्यालय में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देश दिये गये थे ।

प्रदेश के सरकारी हाई स्कूलों एवं गैर सरकारी हाई स्कूलों को प्राप्त दो भाषाओं की मान्यता

126–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी तथा गैर सरकारी हाईस्कूलों की पढ़ाई के लिए मात्र दो ही भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो सरकार तीसरी भाषा की पढ़ाई के लिए क्या कार्य कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर–लखीमपुर मार्ग के भरखापुर का बस स्टापेज

127–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें इस आशय का कोई मांग पत्र 20-9-85 को अथवा उसके आस पास किसी दिन मिला जिसमें सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर भरखापुर नामक स्थान पर राजकीय तथा निजी चालकों की बसें रोकने की मांग की गयी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या बसें रुकना प्रारम्भ हो गयी हैं?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां।

सीतापुर–लखीमपुर मार्ग पर भरखापुर नामक स्थान को फेयर स्टापेज घोषित किया जा चुका है। सभी निगम बस सेवायें वहां रुक कर यात्रियों को उठाती तथा उतारती हैं।

परिवहन निगम मुख्यालय स्थित भवन खण्ड में अवर अभियन्ता (बिजली) के कथित रिक्त पद

128–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय स्थित भवन खण्ड में अवर अभियन्ता (बिजली) के कितने पद रिक्त हैं? उनके न भरे जाने का क्या कारण है? नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी?

राजकुमार संजय सिंह–

परिवहन निगम के मुख्यालय स्थित भवन खण्ड में अवर अभियन्ता (बिजली) का कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शाहजहांपुर के फतेहगंज पूर्वी खेड़ा–बझेड़ा स्थान पर बस दुर्घटना एवं मृतकों की संख्या

129–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28 मई, 1985 को अथवा उसके आस-पास शाहजहांपुर जिले में एक निजी बस पलट गयी जिससे लगभग 25 व्यक्ति मर गये तथा 80 से अधिक व्यक्ति घायल हुए ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या

कार्यवाही की गयी है? बस में कितनी सवारियां थीं? क्या बस की छत पर भी यात्री बैठे थे? क्या इस रूट के लिये बस नियमानुकूल चल सकती थी? बस का परीक्षण इसके पूर्व कब हुआ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां। दिनांक 27 मई, 1985 को 7-30 बजे प्रातः शाहजहांपुर जिले में फतेहगंज पूर्वी खेड़ा-बझेड़ा के मध्य खेड़ा से 3 किमी0 दूर बरुआ झाला के स्थान पर एक निंजी बस संख्या–यू0 आर0 जी0 4729 लगभग 10 फुट गहरे सूखे नाले में गिर गयी जिससे 7 यात्रियों की मृत्यु हो गयी तथा 26 यात्री घायल हुए। दुर्घटना की जांच परगनाधिकारी, तिलहर द्वारा करायी गयी है तथा मृत 7 यात्रियों के आश्रितों को रु0 1,40,000 की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है। बस में 55 से 58 सवारियां थीं। बस की छत पर यात्री बैठे होने की पुष्टि नहीं हुई है।

हां, प्रश्नगत बस दुर्घटना के दिन बस दिनांक 23 सितम्बर, 1985 तक इस रूट के लिए अस्थायी परमिट से आच्छादित थी। बस का तकनीकी परीक्षण दुर्घटना से पूर्व दिनांक 23 मई, 1985 को किया गया था तथा 22 मई, 1987 तक के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

परिवहन निगम में प्रवर्तन पर्यवेक्षक पद हेतु चयन एवं नियुक्तियां

130–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 77-78 में जिन व्यक्तियों का चयन प्रवर्तन पर्यवेक्षक पद के लिए हुआ था परन्तु पद रिक्त न होने के कारण उन्हें प्रवर्तन कान्सटेबिल पद पर नियुक्त कर दिया गया परन्तु अब परिवहन विभाग में जब प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद रिक्त हो गये हैं तो उन्हें पर्यवेक्षक के पद पर तत्काल वापस न कर दिए जाने का क्या कारण है?

राजकुमार संजय सिंह–

दिनांक 4-8-1978 को प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 5 अभ्यर्थियों को वर्ष 1978 में 1 अभ्यर्थी को वर्ष 1979 में तथा 3 अभ्यर्थियों को वर्ष 1980 में नियुक्तियां प्रदान की गयी। 6 अभ्यर्थियों को पद उपलब्ध न होने के कारण उनकी इच्छा अनुसार प्रवर्तन कान्सटेबिल के पद पर नियुक्त किया गया। 3 अभ्यर्थियों ने प्रवर्तन कान्सटेबिल के पद पर नियुक्तियां स्वीकार नहीं कीं। इस समय परिवहन अभियुक्त संगठन में प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद रिक्त हैं परन्तु चयन सूची को वैधता समाप्त हो जाने के कारण शेष अभ्यर्थियों को प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्तियां प्रदान करना सम्भव नहीं है।

मथुरा, क्षेत्र समिति, राया ब्लाक प्रमुख का रिक्त पद

131–श्री सरदार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री की जानकारी में है कि क्षेत्र समिति राय, जनपद मथुरा में समिति के प्रमुख का पद रिक्त है जिससे जनहित को हानि हो रही है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र समिति के प्रमुख का चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

क्षेत्र समिति राया, जनपद मथुरा के ब्लाक प्रमुख डा0 गणपति सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिनांक

7 अक्टूबर, 1985 को पारित होने के फलस्वरूप डा0 गणपति सिंह द्वारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में ले जाया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र समिति राया प्रमुख का कार्य देख रहे हैं जिससे जनहित को कोई हानि नहीं हो रही है।

132—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बहराइच, नानपारा, वैद्य भगवान दीन बालिका विद्यालय के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

133—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के सत्र 1985 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित विद्यालय (नानपारा बहराइच) स्थित वैद्य भगवान दीन बालिका विद्यालय के बारे में जांच शिक्षा निदेशक को कब भेजी गयी? अब तक रिपोर्ट न प्राप्त होने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

शासन के पत्र दिनांक 31-5-84 में शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गयी थी, जो शासन को प्राप्त हो चुकी है।

134—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या अब आख्या प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो प्रत्येक बिन्दु के अनुसार आख्या क्या है तथा इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

बिन्दुवार आख्या संलग्न है। जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

वेतनमान पुनरीक्षण हेतु समिति का गठन एवं रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

135—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतनमान पुनरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर, जूनियर हाईस्कूल, बड़ागांव के भवन का निर्माण एवं लागत

136—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़ागांव वि0 खं0 परसोंडी स्कूल के भवन निर्माण में कितनी लागत लगनी है तथा धन कब तक उपलब्ध होगा? इस बात को ध्यान में रखकर कि यह भवन विगत वर्ष में ही बन जाना चाहिए था, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस भवन के लिए विशेष अनुदान न दिये जाने

छापी नहीं गयी।

का क्या कारण है ? क्या विशेष अनुदान दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां। मैदानी जनपदों में (बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर) प्रत्येक सी0 बे0 स्कूल की निर्माण लागत रु0 1,25,600 निर्धारित है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

विशेष अनुदान दिये जाने की कोई पृथक से योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

137–श्री राजेन्द्र गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

138–श्री राजेन्द्र गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

139–श्री राजेन्द्र गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

140–श्री राजेन्द्र गुप्त –

[दि0 19-8-85 के अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित।]

देवरिया, परिषदीय प्राइमरी विद्यालयों के भवनों का निर्माण

141–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कितने प्राइमरी विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1980 से 1985 के बीच शासन ने दी तथा कितने भवनों का निर्माण हो चुका है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से भवन निर्माण के मद की लगभग 92 लाख धनराशि का उपयोग नहीं हो रहा है ? क्या विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी–

वर्ष 1980-81 से 1984-85 के बीच शासन द्वारा 267 परिषदीय प्राइमरी विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 1,78,60,725 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। 47 प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्मित हो गये हैं तथा 38 प्राइमरी विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष 182 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु धन, भूस्थल तथा नजरी नक्शा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियों को दे दिया गया है। सम्बन्धित निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का है जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यवाही की जा रही है। निर्माण एजेन्सी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है ।

फर्रुखाबाद, दयानन्द इण्टर कालेज का स्पेशल आडिट

142–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 29-6-85 को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र जनपद फर्रुखाबाद के दयानन्द इण्टर कालेज में व्याप्त आर्थिक गड़बड़ियों का स्पेशल आडिट कराने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद से प्रारम्भिक जांच कराई गई। प्रारम्भिक जांच में गम्भीर अनियमितताओं प्रकाश में आने के कारण मण्डलीय आडिट इकाई को विद्यालय के लेखों का आडिट करने का आदेश संबंधित मण्डलीय उप

शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद द्वारा दिये गये हैं ।

श्री लोने सिंह कन्या जूनियर हाई स्कूल, गोला, लखीमपुर खीरी की उर्दू अध्यापिका के पद पर श्रीमती मुश्तरी बेगम की नियुक्ति

143–श्री शारदा प्रताप–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लोने सिंह कन्या जूनियर हाईस्कूल गोला जनपद लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र में जूनियर बेसिक ग्रेड में 12 वर्षों से कार्यरत उर्दू अध्यापिका श्रीमती मुश्तरी बेगम को शि0 नि0 उ0 प्र0 शिक्षा आई (1) अनुभाग इलाहाबाद के पत्रांक आई0 (1)/8347-9318/81-62/84-85, दिनांक 20-10-84, 13-11-84 में निहित निर्देशान्तर्गत सी0 टी0 ग्रेड (450–720) में उक्त विद्यालय में कार्य-भार ग्रहण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त अध्यापिका का स्थानान्तरण बाद में नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में करने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रश्नगत अध्यापिका को कन्या सीनियर बेसिक वि0 लोने सिंह नगर क्षेत्र गोला में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया था ।

संबंधित अध्यापिका को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं, वरन् उर्दू अध्यापिका के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है ।

144–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह सही है कि किसी अध्यापक/अध्यापिका का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर क्षेत्र में सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के अनुमोदन के वगैर नहीं किया जायेगा? यदि हां, तो उक्त अध्यापिका का स्थानान्तरण नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में करने से पूर्व उक्त अध्यापिका की सहमति अथवा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त अध्यापिका का स्थानान्तरण नगर क्षेत्र में कराने की कृपा करेंगे और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

अध्यापिका का स्थानान्तरण नहीं वरन् नियुक्ति की गई है इसलिए सहमति लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कैसरबाग-चन्द्रावल मार्ग एवं चारबाग-हरौनी मार्ग पर बस संचालन की मांग

145–श्री शारदा प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में चारबाग से बंथरा संचालित बस सेवा के मार्ग परिवर्तन के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-5-85 क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 लखनऊ क्षेत्र को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां । प्रश्नगत पत्र दिनांक 18-5-85 प्राप्त हुआ था। पत्र में कैसर-बाग से चन्द्रावल तथा चारबाग से हरौनी बस सेवाओं को पुनः चलाने की मांग की गयी थी ।

प्रश्नगत बस सेवायें क्रमशः माह जून, 83 तथा माह फरवरी, 75 से अत्य-धिक कम आय प्रति कि0मी0 एवं कम लोड फैक्टर मिलने के कारण बंद कर दी गयी थी। इन सेवाओं को पुनः संचा-लित करने हेतु सर्वे कराया गया, किन्तु यात्रियों की नगण्य उपलब्धता को दृष्टि-

गत रखते हुये पुनः संचालन करना संभव नहीं हो सका ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आजमगढ़ में बसों की संख्या एवं बसों की मरम्मत तथा बसों की संख्या बढ़ाने की मांग

146–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कालेज आजमगढ़ में छात्राओं को लाने और वापस कालेज से घर ले जाने हेतु कितनी बसें हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

तीन बसें हैं ।

147–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी बसें हैं उनमें से कितनी चालू हालत में हैं, कितनी खराब हैं और जो खराब हैं उन्हें बनवाने हेतु कोई उपाय किया जा रहा है यदि हां तो बसें कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

एक बस चालू हालत में है। दो बसें खराब हैं जिनमें से एक बस निष्प्रयोज्य घोषित है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शीघ्र बनवाने का प्रयास है।

प्रश्न नहीं उठता ।

148–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज में छात्राओं की संख्या देखते हुए कुछ बसें बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक नई बसें बढ़ायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर बसों की संख्या बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवा मुक्त चालक एवं परिचालकों की पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली

149–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निगम के कर्मचारियों के संबंध में शासनादेशों पर निगम द्वारा गठित समिति विचार करके शासनादेशों को अस्वीकार करने के लिए सक्षम है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि नवम्बर, 1983 के बाद चालकों तथा परिचालकों को सेवा का अवसर देने से संबंधित शासनादेशों का अनुपालन न कर अस्वीकार किया गया? यदि हां, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 की धारा 34 के अंतर्गत शासन को निम्नलिखित विषयों पर सामान्य निर्देश देने का अधिकार दिया गया है:–

(1) भर्ती
(2) सेवा शर्तें
(3) प्रशिक्षण
(4) वेतन एवं
(5) लाभ की धनराशि का उपयोग।

शासन को विशिष्ट मामलों में निगम को आदेश देने का कोई अधिकार उपरोक्त अधिनियम द्वारा नहीं दिया गया है ।

सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को "सेवा नियमावली के अन्तर्गत" अपील का अधिकार निर्णय लेने वाले अधिकारी से उच्चतर अधिकारी को दिया गया है। अतएव निकाले गये कर्मचारियों को सेवा में लेने अथवा न लेने का अधिकार निगम में निहित है। अतः शासन के आदेशों का अनुपालन न करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्राइमरी पाठशाला, बेन्हेता रजबल, जिला गोरखपुर के प्रधानाध्यापक स्व0 कृष्ण मुरारी पाण्डेय की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 के भुगतान की मांग

150–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी पाठशाला बेन्हेता रजबल, जिला गोरखपुर के प्रधानाध्यापक स्व0 श्री कृष्ण मुरारी पाण्डेय से संबंधित पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 आदि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जायेगा तथा उनके आश्रितों को सेवा में रखने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति स्वर्गीय अध्यापक की विधवा द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त दी जायेगी । ग्रेच्युटी देने का कोई प्राविधान नहीं है। जी0 पी0 एफ0 का भुगतान कर दिया गया है ।

स्थान रिक्त होने पर मृतक के आश्रित द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर उसे नियमानुसार सेवा में रखा जा सकता है ।

बस्ती जिले के कस्बा हल्लौर में परिवहन निगम के बुकिंग आफिस के भवन का किराया

151–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कस्बा हल्लौर में विभाग का कोई बुकिंग आफिस किराये के भवन में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उस भवन का किराया अदा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त भवन का किराया तत्काल भुगतान करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां । बुकिंग आफिस के किराये का भुगतान अक्टूबर, 1985 तक किया जा चुका है। अवशेष किराये के शीघ्र भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

बस्ती, शिक्षा विभाग के कर्मचारी स्व0 श्री राम चरित्र, निवासी, कुसुम्ही के पुत्र को सेवा में लिये जाने की मांग

152–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या बे0शि0प0-13336-36/एफ-2/82-83 दिनांक 15-6-83 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को यह पत्र लिखा था कि श्री बुद्धीसागर पुत्र श्री राम चरित्र ग्राम कुसुम्ही पोस्ट कुसुम्ही जनपद बस्ती को उनके पिता के मरने के कारण उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार परिषद् के पत्रांक बे0 शि0 प0/45678-916/दस-2/81-82 दिनांक 22-7-81 द्वारा पारित निर्देशों के आधार पर नियुक्त किया जाय और इस संबंध में मृतक के आश्रितों को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया जाय? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बाद बुद्धीसागर पुत्र स्व0 राम चरित्र को सेवा में क्यों नहीं रखा गया है ? क्या यह सत्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर लोगों को नियुक्त किया गया है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

रिक्त पद हेतु अर्हता न रखने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

अन्य लोग नियुक्त किये गये वे अर्ह थे ।

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड, बस्ती द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

153–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अति0 जिलाधिकारी 'परियोजना' जिला बस्ती ने 8 जून, 85 को शासकीय निकाय की बैठक में गठित की गयी उप समिति के संबंध में कोई पत्र अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड बस्ती को लिखा है ? यदि हां, तो जिस मामले की जांच के संबंध में यह पत्र लिखा गया, उसकी जांच कब प्रारम्भ की गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आये ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

दैवी आपदा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मद की राशि को एक ही मार्गों पर व्यय के मामले की जांच हेतु एक उप समिति गठित की गई । समिति द्वारा जुलाई, 1985 में जांच कार्य आरम्भ किया गया । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार दैवी आपदा एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग मार्गों पर अलग-अलग कार्य कराया गया तथा उसका व्यय भी अलग-अलग किया है ।

बरेली, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में टेलीफोन व्यवस्था की मांग

154–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कोई टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कार्यालय के कार्य को सुचारु रूप से चलाने तथा अन्य विभागों से संपर्क करने में बहुत कठिनाई होती है ? क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय में अविलम्ब टेलीफोन लगवाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

सम्प्रति, धनाभाव के कारण टेलीफोन लगाने की स्वीकृति देना सम्भव नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद त्रिपाठी, अध्यापक के विरुद्ध श्री राम बरन, ग्राम कोलवा, बाराबंकी का शिकायती पत्र

155–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 3रे सोम के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 188 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी के विरुद्ध निलम्बन के पश्चात कौन सी दण्डात्मक विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्रश्नगत अध्यापक को चेतावनी दी गई ।

गोरखपुर मण्डल विकास निगम की खाण्डसारी इकाई, रमुआपुर कली का हस्तान्तरण

156–श्री राजेन्द्र गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डलीय विकास निगम, गोरखपुर द्वारा अपनी खांडसारी इकाई, रमुआपुर कली, जिला बस्ती को लीज पर किसी व्यक्ति को 15 नवम्बर, 84 को दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों तथा उसका एग्रीमेंट कब किया गया तथा कब्जा कब दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

गोरखपुर मण्डल विकास निगम को खांडसारी इकाई, रमुआपुर कली, जनपद बस्ती को वर्ष 1976-77 में पूर्वान्चल मण्डल विकास निगम फैजाबाद से हस्तान्तरित की गई। उक्त खाण्डसारी इकाई

वर्ष 1981-82 के बाद निरन्तर हानि में आने लगी । इस इकाई पर निगम का 8.00 लाख रु0 विनियोजित हुआ है। निरन्तर हानि के कारण निदेशक मण्डल द्वारा इस इकाई को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया । इस इकाई को बिक्री करने की कार्यवाही भी की गई, किन्तु उचित मूल्य न मिलने के कारण इसे लीज पर देने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के फलस्वरूप 15 नवम्बर, 1984 को निगम द्वारा संबंधित व्यक्ति को लीज पर देने के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। किन्तु लीज से सम्बन्ति औपचारिकताएं सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पूरी न किये जाने के कारण एग्रीमेंट नहीं किया गया तथा कब्जा अभी भी निगम के पास है ।

सदन में मंत्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष जी आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-42(2) की ओर देखने का कष्ट करें, जिसमें अनुपूरक प्रश्नों से सम्बन्धित प्रश्नों पर व्यवस्था दी गई है। मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं। ''अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय संबंधी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण के हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हैं ।'' इसका तात्पर्य यह होता है कि आपने हमारे प्रश्न को नियम संगत समझते हुए माननीय मंत्री जी को बुलवाया और आपने इस प्रश्न की अनुमति भी दी। प्रश्न के उत्तर की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए आप विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 को देखने की कृपा करें । ''प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे।'' माननीय शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया था और आपने उसे नियम-संगत समझते हुए ग्राह्य भी कर लिया था । माननीय मंत्री जी खड़े हुए और उन्होंने उत्तर दिया कि ''यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।'' जबकि नियम 38 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रश्नों का उत्तर सुसंगत होगा । मंत्री का यह कहना कि प्रश्न ही नहीं उठता और मैं उत्तर नहीं दूंगा, उनका यह कहना कहां तक सुसंगत है ? आज ही कई मंत्रियों ने इस प्रकार के उत्तर दिए हैं । प्रश्न करने का हमारा जो महत्वपूर्ण अधिकार था कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का, वह कमजोर हो रहा है, इसकी आप रक्षा करें और इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें । आज की जो कार्य-सूची है, जिसके बारे में मैंने लिखकर दिया है, प्रश्न संख्या-117 है । इसका जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसे आप देखने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप किस नियम के तहत उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, इसी नियम 38 व 42 के तहत उठा रहा हूं । मैंने प्रश्न में पूछा था कि ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में तीसरी भाषा को मान्यता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यह क्या आप नियम 300 के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, नियम 38 व 42(2) को देखने का कष्ट करें । इन नियमों में अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में जो व्यवस्था दी गई है, उस पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें क्योंकि जो उत्तर दिये जा रहे हैं वे नियमतः सुसंगत नहीं हैं ?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय श्री गुप्त जी ने जो प्रश्न किया और जिन नियमों का हवाला दिया, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, माननीय अध्यक्ष को अधिकार है । जब किसी प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती तब यह कहा जाता है कि "प्रश्न नहीं उठता" का तात्पर्य यह नहीं था कि ग्राह्य नहीं मानते बल्कि यह था कि वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है । ग्राह्य तो है ही लेकिन "प्रश्न नहीं उठता" का तात्पर्य यह है कि इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है, आगे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मैंने लिखित सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मुझे कुछ कहना है ।

विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301, नियम 300, नियम 56 और नियम 51, इस सिलसिले में कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही चल सके, मैंने नेताओं की बैठक बुलाई थी और उनसे अनुरोध किया था कि यह कठिन मामला होता है । अगर नियम 301 और 300 शलाका से ले लिए जायं तो अच्छा है लेकिन माननीय नेताओं की भावना जानते हुए जो प्रक्रिया थी, वही मन्जूर हुई । जहां तक नियम 301 का सवाल है, यह तय हुआ था कि 7 से ज्यादा सूचनाएं स्वीकार न की जायं । नियम 300 के अन्तर्गत भी, जो ग्राह्यता के अन्तर्गत आते हैं, उसमें 3 या 4 सूचनाओं के ऊपर विचार हो जायगा । नियम 56 के अंतर्गत भी 3 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु स्वीकृति की जाया करे उसके बाद जो निर्णय होगा वह दिया जायेगा । "जीरो आवर" यानें शून्य प्रहर 2 बजे समाप्त हो जाया करेगा । मैं आशा करता हूं कि सदन का सहयोग इसमें रहेगा ताकि आपको बोलने का मौका कम से कम 4 घण्टे मिल जाय चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पर या बजट के ऊपर और 6 बजे के बाद सदन की बैठक नहीं होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

यह आपकी व्यवस्था है या कार्य मंत्रणा समिति इसको तय करेगी ?

श्री अध्यक्ष –

नेताओं की बैठक में जो हुआ था वह आपको बताया । "जीरो आवर" के 2 बजे तक और सदन के 6 बजे तक चलने की बात कार्य मंत्रणा समिति में भी तय हुई थी ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह के निधन की सूचना जिलाधिकारी, इटावा द्वारा समय से न भेजे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, निधन के निदेश के संबंध में व्यवस्था का एक प्रश्न है । सदन की परम्परा है कि जब किसी सदस्य का या भूतपूर्व सदस्य का निधन हो जाता है तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी जानकारी जिले के अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी माननीय अध्यक्ष को प्रेषित करते हैं....

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, इस विषय पर माननीय राम सरन जी ने आपसे पहले ही उठा दिया था....

श्री शतरुद्र प्रकाश–

व्यवस्था क्या दी आपने उस पर ?

मेरा आपसे निवेदन है कि जिलाधिकारी, इटावा को आपकी तरफ से एक पत्र चला जाय। 3 नवम्बर, 1985 को माननीय भूतपूर्व सदस्य का देहान्त हुआ था, यह 62, 57, 74 और 77 में इस सदन के सदस्य रहे थे। पूरा नवम्बर बीत गया, दिसम्बर बीत गया, जनवरी बीत गयी, अब आधा महीना फरवरी का समाप्त होने को आया है, किन्तु जिलाधिकारी, इटावा के जरिये उनकी मृत्यु का कोई समाचार नहीं मिला है, जब कि कहा यह जाता है कि हाट लाइन लगा दी गयी है। ऐसे मसलों पर आपको गम्भीर रूप अख्तियार करना चाहिये। जो सदस्यों की उपेक्षा हो रही है, यह शासन के लिये शर्म की बात है लेकिन आपकी तरफ से कड़ी नोटिस दी जानी चाहिये कि यदि कल या परसों के अन्दर नहीं आता है तो जिलाधिकारी से पूछा जाय और उनको मुअत्तल किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे अनुरोध किया कि माननीय राम सरन जी ने, जो आपने कहा है, वह उन्होंने उसी दिन उठा दिया था। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, तो जैसा आपसे अनुरोध किया कि, यह मामला उस दिन माननीय राम सरन ने उठाया था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मुख्य मंत्री जी का कहना है कि हाट लाईन से सारे जिले जुड़े हुए हैं। श्री राम सरन जी ने यह प्रश्न शुक्रवार को उठाया था जिसके बाद दो दिन बीत गये, अब तक तो इसका जवाब आ जाना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं, इसे दिखवा लिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह बात ठीक है कि उस दिन श्री राम सरन ने इस बात को कहा था, यह एक ही बार नहीं पिछले वर्ष भी कई बार इस प्रकार के सवाल उठाये गये हैं, प्रश्न यह है कि इस पर अमल क्यों नहीं होता है? आपकी ओर से इस पर व्यवस्था मांगी जा रही है। आप माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को निर्देश दें कि एक डी0 एम0 ने ऐसा क्यों किया। स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह मैनपुरी और इटावा दोनों जिलों से विधायक चुनकर आये थे। उनके दाह-संस्कार में एक लाख आदमी इकट्ठा था लेकिन जिलाधिकारी ने उसकी सूचना देने की कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से जिलाधिकारी के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही की गयी ? मैं इस परिस्थिति के अन्तर्गत मैनपुरी और इटावा दोनों ही डी0 एम0 के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि शासन ने अभी तक क्या किया है ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो आपका निर्देश है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि किन परिस्थितियों में यह जानकारी नहीं आ पायी है। यह

जानकारी आ जानी चाहिये थी, यह कोई माफी की बात नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करूंगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

राम सरन जी के कहने के बाद क्या शासन ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल की है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, कृपा करके इस सिलसिले में आप देखें कि क्यों अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना (क्रमागत)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी नम्रतापूर्वक मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी जो आपने शून्य प्रहर में सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जानकारी दी है उसमें तीन सूचनाओं पर विचार किया जायेगा, ऐसा आपने कहा था । मेरी समझ से आपके कहने का तात्पर्य यह था कि तीन सूचनाएं ही स्वीकार की जा सकेंगी क्योंकि चर्चा तो, श्रीमन् ग्राह्य सूचना पर सदन की अनुमति लेने के बाद ही होती है । यदि आपका कहने का तात्पर्य यही था तो कृपया इसमें संशोधन करा दें नहीं तो कल को माननीय सदस्यगण उस पर चर्चा की मांग करने लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

तीन ही सूचनाएं ली जायेंगी ।

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

किस नियम के अन्तर्गत आप खड़े हुए हैं ?

सदन में मंत्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय राजेन्द्र गुप्त ने अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया और सदन की कार्यवाही तेजी से आगे चलने लगी ? आपकी ओर से व्यवस्था आनी चाहिये कि आखिर यह कौन तय करेगा कि इस प्रश्न की आवश्यकता है या नहीं, यह आप तय करेंगे या फिर उत्तर को देने वाला तय करेगा ? मान्यवर, प्रश्नों के अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम इस हथियार का इस्तेमाल करके यहां जनता की भावनाओं को उजागर करते हैं और वह हथियार भी अब इस तरह से कुंठित हो रहा है । प्रश्नकाल में आज जो उधर से उत्तर आये हैं उनमें किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं आया है, केवल प्रश्नों को टालने वाली बात हुई है । जब आपने प्रश्न के लिये मंत्री को इंगित कर दिया तो मंत्री को क्या यह अधिकार है कि वह कह दे कि "प्रश्न ही नहीं उठता है" ?

श्री अध्यक्ष–

जो विषय आपने उठाया है, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई मंशा सरकार की या मंत्री की नहीं है ।

विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम सरन जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राम सरन–

मेरा निवेदन यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तो कहीं तय नहीं हुआ था कि कितनी सूचनाएं ली जायेंगी, नियम 56 में कितनी सूचनाएं ली जायेंगी। यह बात तो आयी थी कि कितने बजे से कितने बजे तक ली जायेंगी। जो आप नियम 56 आदि में लेंगे उन पर चर्चा दो बजे के बाद से शुरू हुआ करे। इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया था और न ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने ही इसका कोई जिक्र किया था। कम से कम 5 सूचनाओं को नियम 56 में लिया जाये और उन पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

नेताओं की बैठक में तय हुआ था।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप मेरी एक बात सुन लें तब आप कोई अपनी व्यवस्था दें। मान्यवर, जब तक नियमों में संशोधन न हो जाये, तब तक नेताओं की बैठक में किसी नियम को बदला नहीं जा सकता है। नियम 56 में जब तक कोई संशोधन न हो जाये, तब तक किसी प्रकार की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और अधिकार भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक नियम समिति में कोई संशोधन नहीं हो जाता है, और सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक आप मान्यवर, कोई आप ऐसी घोषणा न करें जो नियमों के प्रतिकूल हो, आप इस तरह की घोषणा न करें। नियमों में परिवर्तन करने के बाद ही आप कोई घोषणा करें। यह तो आपका विवेक है कि आप एक सूचना स्वीकार करें या दो सूचनाएँ स्वीकार करें। जिस सूचना को आप ग्राह्य करते हैं, तो वह ग्राह्य हो जायेगी। यह आप का विवेक है और यह आपका विवेक सर्वोपरि है। आपसे मेरा निवेदन है कि जब तक नियमों में परिवर्तन न हो जाये तब तक आप कोई घोषणा न करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा।

सदन में मंत्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, आपको अपने सम्मान की चिन्ता हो या न हो, परन्तु आपके सम्मान में हमारे अधिकार निहित हैं। जिस प्रश्न को आप ग्राह्य कर लेते हैं और उसके लिये मा0 मंत्री जी को बुलाते हैं तो मा0 मंत्री जी यह कहकर नहीं बैठ सकते हैं कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस पर अपनी व्यवस्था नहीं देंगे तो यह मंत्री उनको बुलाने के बाद भी उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं होंगे। अगर यह परम्परा डाली जायेगी तो प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह जायेगा। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। मैंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुना, आप मुझसे सहमत हों या न हों, आप को अपने सम्मान की चिन्ता हो न हो, लेकिन मुझे तो चिन्ता है, हमारे अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं, जब आपका सम्मान जीवित रहे।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, नियम 56 के बारे में....

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, जान बूझकर साइट ट्रैक कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी व्यवस्था पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय शतरुद्र जी ने यह बात उठाई थी, इसलिये मैं कह रहा था। मान्यवर, करण 15 और 16 में दिया हुआ है। करण 15 में है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें नियम 56 के अन्तर्गत किसी उपवेशन के लिये प्राप्त सूचनाओं में से अधिकतम तीन सूचनाओं की ग्राह्यता पर निर्णय देने हेतु सदन में पढ़ने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। और मान्यवर, इसी को सुनिश्चित करने के लिये नेताओं की बैठक बुलाई गयी थी और उसका कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा, गुप्त जी का आशय इसी कारण स्पष्ट नहीं हो सका। यह आशय नहीं था कि आपके आदेशों का पालन न किया जाये। कई बार आपने देखा होगा कि पहले भाग का उत्तर पूर्ण हो जाता है तो अगले भाग के लिये उत्तर दिया जाता है कि प्रश्न नहीं उठता है। इसलिये इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जो सप्लीमेंटरी सवाल किये जाते हैं उनके उत्तर मा0 मंत्रीगण को देना है। अब हम नियम 301 की सूचनाओं पर आते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[***]

श्री अध्यक्ष–

जो आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

न लिखा जाये लेकिन आप बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपका इस तरह से चिल्लाना गैर मुनासिब है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, राम आसरे जी आप बैठ जांय।

मिर्जापुर जनपद के छानबे क्षेत्र में गंगा की धारा के कटान से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें मैंने 6 को स्वीकार किया है। ये सूचनाएं सर्वश्री भगवती प्रसाद चौधरी, सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी, राम सागर, राजेन्द्र गुप्त, रघुवर दयाल वर्मा और श्री सरदार सिंह की है। (समय 12.40)

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद मिर्जापुर के छानबे क्षेत्र में गंगा की धारा से कटाव के कारण उत्पन्न गम्भीर समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ग्राम बबुरा ब्लाक छानबे, मिर्जापुर की आबादी लगभग 10 हजार की है। असमय में गंगा की धारा से गांव की जमीन एक सप्ताह में एक किलोमीटर कटकर गंगा की धारा में समाहित हो चुकी है। जनपद स्तर के सभी विधायक और अधिकारियों ने कटाव का निरीक्षण किया वर्तमान कटाव की गति से 15 दिन के अन्तर्गत ही पूरे गाव के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी। फलतः पूरा गांव ही गंगा की धारा में समाहित हो जायेगा और 10 हजार की आबादी को दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ेगा और महत्वपूर्ण उपजाऊ जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा।

अस्तु उपरोक्त समस्याओं को सदन के सज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि

नोट–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समस्या का शीघ्र समाधान करके सदन को भी सूचित करेंगे।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराऊ नगर में भू-स्खलन से हो रही भयंकर क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

मान्यवर, मैं अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराऊ नगर में भूस्खलन से हो रही भयंकर क्षति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, सिकन्दराऊ नगर में ब्राह्मणपुरी मुहल्ले तथा आस-पास के क्षेत्रों के मकान गत माह से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो रहे हैं। पहले मकानों में दरार पड़ती है जो कि एक सप्ताह में चौड़ी होकर मकान को फाड़ कर नष्ट कर देती है। नगर पालिका के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को इस गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए विशेषज्ञों की टीम बुलाकर मकान फटने के कारण और उसकी रोक-थाम का पता लगाने के लिये लिखा है परन्तु अभी तक जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा विशेषज्ञों के न पहुंचने के कारण अभी तक कारण पूर्णतया अज्ञात है। मकानों के नष्ट होने के कारण पूरे नगर में भय और आशंका का वातावरण व्याप्त है।

आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं जिसमें होने वाली गंभीर धन, जन की हानि को रोका जा सके।

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील में बीज एवं उर्वरकों के वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर राव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी की फसल बाढ़-पीड़ित लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीज एवं छूट पर अनुदान से उर्वरक देने का निर्णय लिया था। किन्तु यह गेहूं का बीज सभी अधिकांश जनपदों में कृषि स्टोरों पर बुआई के बाद पहुंचा। उर्वरक वितरण की भी यही स्थिति है। जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़, राम सनेहीघाट, फतेहपुर, नवाबगंज के अधिकांश कृषि स्टोरों पर छूट पाने वाले अधिकांश कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे उर्वरक का वितरण नहीं हो रहा है। बीज और खाद के व्यापारियों के हाथ चोर बाजारी हो रही है। किसान परेशान है तहसील हैदरगढ़ में कृषकों ने इस सम्बन्ध में प्रदर्शन भी किया है।

मैं आपके माध्यम से मा0 सदन एवं सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक सुविधानुसार उपलब्ध कराये जाने की तथा चोर बाजारी कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवास विकास परिषद्, सीतापुर द्वारा दुर्बल आय के भवनों के निर्माण में मुख्य निर्धारण एवं सीमा निर्धारण में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र गुप्त–

महोदय, आवास विकास परिषद्, सीतापुर में दुर्बल आय वर्ग के साथ की गई धोखाधड़ी एवं शोषण के कारण व्याप्त जनआक्रोश शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पंजीकरण हेतु 1981 में प्रार्थना प्रत्र आमंत्रित हुये। इस वर्ग हेतु 40.92 वर्गमीटर भूमि में बने भवनों का मूल्य 8 से 10 हजार रुपया, 6.5 प्रतिशत ब्याज तथा 50 से 80 रुपये की 240 किस्तों में अदायगी होनी थी।

परन्तु अब आवंटन के समय मूल्य रुपया 25, 150, ब्याज 12.5 प्रतिशत, किस्त 250 रुपये प्रतिमाह, पेशगी भुगतान 4,000 रुपये तथा भूमि को घटाकर 32.75 वर्गमीटर कर दिया। यह सूचना 31 अक्टूबर, 1985 की थी।

आवंटन 31 दिसम्बर, 1985 तक जो किस्त मांगी गई थी वह और बढ़ी मूल्य 26,150, पेशगी 4,461.50, मकान अभी पानी, बिजली, दरवाजा विहीन है।

परिषद् ने स्वयं दुर्बल वर्ग की आय 350 रुपये तय की। उसमें 250 रुपये किस्त कैसे सम्भव है? सीतापुर में भीषण असन्तोष है। सैकड़ों अपना पंजीकरण निरस्त करा चुके। आन्दोलन, घेराव तथा प्रदर्शन जारी है। मांग है कि– (1) मूल्य घटाकर मात्र युक्तिसंगत वृद्धि हो। (2) किस्त 150 रुपये से अधिक न हो। (3) पेशगी न ली जाय, तथा (4) भ्रष्टाचार के कारण लागत में हुई वृद्धि की जांच तथा दोषी अधिकारी दंडित हों।

आगरा जनपद के थाना नारवी के थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम बिदिरिका के श्री चन्द्रपाल सिंह एवं उनके पुत्र श्री राकेश पाल सिंह के साथ किये गये अमानुषिक कुकृत्यों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान निम्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं :–

दिनांक 20-10-1985 को जनपद आगरा के थाना-नारवी के ग्राम बिदिरिका के 70 वर्षीय वृद्ध चन्द्र पाल सिंह और उसके बेटे राकेश पाल सिंह 16 वर्ष को थाने में सरेआम बरगद के पेड़ के नीचे बलपूर्व नंगाकर उन्हे उल्टा लिटाकर दोनों बाप-बेटों के गुप्तांगों में थानाध्यक्ष ने स्वयं पेट्रोल डाला तथा सब इंसपेक्टर से डंडा डलवाया। इतना ही नहीं उसके बाद बेटे को बाप के ऊपर डालकर अमानुषिक कृत्य के लिये प्रेरित किया। इस शर्मनाक हृदयविदारक और मानवता पर कलंक की घटना से समूचा जनमानस हिल उठा तथा प्रशासन के प्रति विश्वास उठ गया।

इस कुकृत्य का यहीं तक सीमित नहीं रखा गया। चन्द्रपाल सिंह के दो अन्य बेटे जो हवालात में बन्द थे, को निकाल कर उपरोक्त प्रक्रिया अमल में लायी गयी और धारा 151 में उनका चालान किया गया। इस घटना की शिकायत शासन को की गई किन्तु मुझे खेद है कि शासन ने अभी तक कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की।

मैं माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे जघन्य अपराधी पुलिस कर्मियों को कठोर दण्ड दिया जाय तथा शासन इस घटना की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराये ताकि इस प्रकार के अमानुषिक और मानवता को कलंकित करने वाली घटनायें भविष्य में न हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा जनपद के गोकुल क्षेत्र में मांट ब्रांच गंगा नहर व इसके कतिपय रजबाहों से निकलने वाली माइनरों में जल रिसाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल जिला मथुरा में मांट ब्रांच गंगा नहर व इसके राजवाहे शादाबाद, आयरा खेड़ा, महावन, कारण, कुरसन्दा, जुगसनाह, बल्देव व धनैटा तथा ब्रांच व उक्त रजवाहों से निकलने वाली माइनरों से भारी सीपेज (जल रिसाव) हुआ है। इस कारण ब्रांच उक्त राजवाहे व माइनरों के किनारे-किनारे हजारों एकड़ किसानों की फसल सीपेज के कारण नष्ट हो गई है। संबंधित अधिकारियों एवं जिला अधिकारी से बार-बार निवेदन करने पर भी पानी बन्द नहीं किया गया। सीपेज का कारण कैनाल व राजवाहे व माइनरों की उपयुक्त सफाई न होना है। क्योंकि शासन ने सफाई हेतु धनराशि समय से नहीं भेजी थी। फसल नष्ट हो जाने से किसानों में भारी रोष, क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है। वह भुखमरी के कगार पर है।

आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि किसानों के तमाम देयों, बैंक ऋणों को अविलम्ब माफ किया जाय तथा पीड़ित लोगों को राहत दिलाई जाय।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अतंर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। 1 श्री काशी सिंह एरी, 2-श्री राजेन्द्र गुप्त, 3–श्री हृदय नरायण दीक्षित, 4–श्री शतरुद्र प्रकाश, 5–श्री सरदार सिंह, 6–फिर श्री राजेन्द्र गुप्त तथा 7वीं माननीय राम आसरे वर्मा जी की है। इसमें 1, 2, 3 यानी माननीय काशी सिंह एरी, माननीय राजेन्द्र गुप्त एवं माननीय हृदय नरायण दीक्षित जी की जो है उसके बारे में आप लिख कर दे दें तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैंने जब लिख कर दिया तभी तो आपने मेरा नाम पढ़ा है। मैंने जिस बात की ओर इंगित किया है वह इस सदन में घटी घटना है। पिछले दिनों अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में एक सवाल था जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया जो दो भागों में था जिसके एक भाग में कहा गया था, "जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है।"

श्री अध्यक्ष–

आपने दो सूचनाएं दी हैं, किस पर आप बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैंने दो प्रश्न दिये हैं, उसमें से एक पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो लिख कर दिया है उसे मैं माननीय मंत्री जी को भेज दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मुझे इस बात की पूरी चिन्ता है कि दो बजे तक आपको खतम करना है मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं। मैंने दो प्रश्न दिये हैं उसमें मैं एक को प्रेस करूंगा यानी परिवार नियोजन के संबंध में जो है। हम इस बात से सहमत हैं यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है लेकिन जिस प्रकार इसमें कार्य हो रहा है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अर्ज किया कि माननीय मंत्री जी से उत्तर आ जायेगा मैं उनको इसे भेज दूंगा । आपने एक कापी दी थी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मुझे अफसोश है 10 बजे मैंने यह दिया था । यह परम्परा यही रही है कि मेरी बात आप सुन लें उसके बाद मंत्री जी को जो कहना होगा वह कहेंगे । मुझे मालूम है कि उसके बाद आप मेरी बात को खारिज कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जो आपने सूचना के साथ नत्थी करने को कहा था वह उस वक्त तक नहीं आया था।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैंने कहा था कि एनक्लोजर मैं बाद में दे दूंगा । मैं आपके कार्यालय गया आप उस वक्त सचिव महोदय के साथ विचार विमर्श कर रहे थे उसे मैंने आपके कार्यालय में 10 बजकर 20 मिनट पर दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं। जो आपने कहा है उसका मैं मंत्री जी से उत्तर लेकर आपको बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

इसका मतलब है मेरी सूचना पेंडिंग रही।

श्री अध्यक्ष–

जो जबाब आयेगा उसको मैं आपको भेज दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मुझे अफसोस है अगर कार्यमंत्रणा समिति या नेताओं की बैठक में औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में इस प्रकार का निर्णय हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। मैं नेताओं की बैठक के निर्णयों का सम्मान करता हूं। आपके कक्ष में जो चर्चा होती है उसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नेताओं की बैठक में या कार्यमंत्रणा समिति में कहीं भी इस तरह का असंसदीय फैसला नही किया गया है कि औचित्य के प्रश्न को आप मंत्री के पास भेजेंगे और उसके जवाब की कापी आपके पास आयेगी। ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है । अगर कोई सूचना असंगत है जिसे आप असंगत समझते हैं तो आपके कहने पर हम उसमें बैठ जायेंगे। यदि सूचना नियमों के अधीन है उसको आप नहीं सुनेंगे तो संसदीय परम्परा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

जब तक मैं आपके विषय को मंत्री के पास न भेजूं और उत्तर न आ जाय तब तक आपसे क्या कहूं? इसलिए उत्तर आने पर आपके पास भेज दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, यह परम्परा कब से चालू हो गयी है। कई वर्षों से इस सदन का सदस्य हूं लेकिन आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि औचित्य के प्रश्नों के बारे में मंत्री से उत्तर आ जाये तो संबंधित सदस्य को सुनेंगे। श्री बनारसी दास जी ने औचित्य के प्रश्नों के संबंध में सुनना प्रारम्भ किया था, उस समय से आज तक सैकड़ों औचित्य के प्रश्नों पर यहां मैं बोला हूंगा और रिकार्ड है कि ऐसा नहीं है पहले उत्तर मंत्री से आ जाय फिर सुनेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो श्री गुप्ता जी ने प्रश्न उपस्थित किया उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक निवेदन करूंगा चूंकि यह तलवार हमारे ऊपर भी गिरेगी, इसलिए हमको एक मिनट सुन लें क्योंकि औचित्य के प्रश्न का संबंध संविधान की धाराओं और सदन की कार्यवाही से होता है और जब नियमों के अन्तर्गत सदन के अन्दर कोई औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जायेगा तो मंत्रि परिषद् उसका जिम्मेदार है कि वह आपके निर्देशों के लिए आतुर हो। इससे तो यह पिरामिड उलट जायेगा जब मंत्रियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जायेगी। इसलिये सदन के चलते यदि किसी माननीय सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है तो मंत्रि परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है कि उसके बारे में सतर्क रहें। आज प्रातः 10 बजे जब औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया गया तो मंत्रि-परिषद् के हर सदस्य को सजग रहना चाहिए था। जैसे श्री राम सरन ने नत्थू सिंह के बारे में इसके पहले कहा था, तो मंत्रि परिषद् ने कोई जानकारी नहीं दिया। इसलिये नियम 300 के नियमों के प्राविधान का अर्थ-बेअर्थ हो जायेगा यदि मंत्रियों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जायेगी इससे संविधान की धाराओं का उल्लंघन होगा। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। औचित्य का प्रश्न सदन में उठाया गया, इसका उत्तर इसी सदन में संबंधित मंत्री द्वारा आना चाहिए। जब कोई मा0 सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाता है तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है और उस पर मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया वह भी सदन की संपत्ति है। तो सदस्य का प्रश्न और मंत्री का उत्तर, दोनों पर आप द्वारा क्या व्यवस्था हुई, इससे सदन का निर्देशन होता है और माननीय सदस्यों को जानकारी होती है और आगे के लिये सुविधा रहती है कि कैसे सवाल उठायें? इसके अलावा मंत्रियों पर थोड़ा अंकुश रहता है कि प्रश्नों पर उन्हें कैसे उत्तर देना है। इसलिये यदि आप यह परम्परा डालते हैं कि औचित्य का प्रश्न उठाया जायेगा और मंत्री जी लिखित उत्तर देंगे और वह मा0 सदस्य तक पहुंच जायेगा, तो यह परम्परा असंसदीय हो जायेगी, लोकतंत्र के विरुद्ध हो जायेगी। इसलिये निवेदन है कि इस पर आप गंभीरता से विचार करें कि जो मा0 सदस्य यहां प्रश्न औचित्य का उठा रहे हैं उनका उत्तर इसी सदन में सम्बन्धित मंत्री को देने के लिये बुलाया जाये। यह ठीक होगा कि यदि आज न तैयार हों तो समय दे दिया जाये। लेकिन इस गलत परम्परा से कि औचित्य का प्रश्न मंत्री के पास भेजेंगे और उत्तर बाद में देंगे, तो ऐसे सदन नहीं चलने पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई बात नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, परम्परा रही है कि जो भी सदस्य नियम 300 में लिखकर देते हैं उनको यहां आप सुनते हैं, उसके बाद ग्राह्य करते हैं और नहीं भी करते हैं, यह आपके विवेक पर है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अभी इसके पहले यह परम्परा नहीं थी कि वह मंत्रि परिषद् के सदस्यों को भेजी जाएगी और उनकी टिप्पणी आने के बाद आप निर्णय देंगे .

श्री अध्यक्ष–

एसी बात नहीं है, राजेन्द्र गुप्त जी को जो जवाब आए थे, उसकी प्रति-लिपि भेजने को उनसे कहा था, वह आ जाए तो फिर मंत्री जी के पास जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

तो आप इनको बाद में इस पर सुनने के लिए समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जी हां।

(श्री काशी सिंह ऐरी का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इस पर आपकी क्या व्यवस्था हुई ?

श्री अध्यक्ष–

सुन तो रहा हूं।

कार्य-सूची के कतिपय अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री काशी सिंह ऐरी–

इसी विषय पर श्रीमन्, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जैसा कल्यान सिंह जी ने अभी कहा है । जैसा औचित्य का प्रश्न उठाया और जैसा आपने कहा है उस पर कि मैं लिखित रूप से मंत्री जी को दे दूं और मंत्री जी जवाब मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसको सुनिश्चित आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि वह औचित्य का प्रश्न जो सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ और सदन की प्रापर्टी है वह सदन में आ जाना चाहिए था । मैं लिखकर मंत्री जी को दे दूंगा और वह जबाब दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

वह बात सब खत्म हो गई ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

तो ठीक है और मैं आगे अपनी बात यह कहना है कि आज के एजेण्डा में जो अतारांकित प्रश्न संख्या मेरे 35, 38, 40, 83, 85, 86 हैं, उन पर जो उत्तर सरकार द्वारा दिए गये हैं, उन्हें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह जो 35 है सई, 85 में सूचित कर दिया गया था । इनके सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तरों के लिए क्रमशः 19 सितम्बर, 19 सितम्बर, 2 सितम्बर, 2 सितम्बर, व 2 सितम्बर, 85 की तारीखें थीं । लेकिन आज भी, जब यह फरवरी, 86 है, 10 महीने इन प्रश्नों को सूचित किये हुए हो गये हैं, जो उत्तर आए हैं, उसके सम्बन्ध में पहले आप क्रम सं0 35 का उत्तर देखें जिसमें मैंने प्रश्न किया था कि क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष (नारायण दत्त भट्ट) द्वारा प्रेषित पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 1-11-82 का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

मान्यवर, इसके उत्तर में, इन्होंने प्रथम भाग के लिए तो स्वीकार किया है कि वह प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग जो था कि– "यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई?'' उसके बारे में यह उत्तर देते हैं कि– ''सम्प्रति शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं।'' तो यह एक तरफ कहते हैं कि ज्ञापन प्राप्त हो गया है, किन्तु जब कार्यवाही की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि ज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं है?

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भिजवा दें, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

दिनांक 7-2-86 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 के अनुपूरक प्रश्न का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तथ्यों से विपरीत उत्तर देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त–

यहां जब परिवार नियोजन के बारे में प्रश्न उठा था, तो सरकार की ओर से कहा गया था कि दण्डात्मत्क कार्यवाही का कोई प्राविधान नहीं है। किन्तु वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है, शासनादेश संख्या 6553/16/11/84, दिनांक 27-10-84 के द्वारा स्पष्ट रूप से परिवार नियोजन के लक्ष्य पूर्ण न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं । इसमें साफ लिखा है– (1) अपेक्षित लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक उपलब्धि पर दीघ्र दण्ड, (2) 10 से 25 प्रतिशत तक उपलब्धि पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना और लगातार दो वर्ष तक ऐसा हो तो दीघ्र दण्ड, (3) अपेक्षित लक्ष्य के 25 से 50 प्रतिशत तक दक्षतारोक तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा था कि यह केवल परिवार नियोजन कर्मचारियों के बारे में है। पर स्थिति इसके भी प्रतिकूल है और सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1457/16-11-85-6(27)85, दिनांक 30 अप्रैल, 85 की फोटोस्टेट काफी मेरे पास है, जिसमें बड़े विस्तार से लिखा हुआ है।

मान्यवर, इसमें डिप्टी सी0 एम0 ओ0, चिकित्साधिकारी, महिला, पुरुष आदि के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसमें लिखा है कि शिथिलता पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, आपको स्मरण होगा आप उस समय इस आदरणीय सदन के सदस्य थे इमरजेंसी में इस प्रकार की कई राजाज्ञायें जारी की गयी थीं जिसमें जुल्म की बात की गयी थी। लेकिन उसके बाद जब जनप्रिय सरकार बनी तो वह सारी राजाज्ञायें निरस्त की गयीं थीं । मान्यवर, मैंने जो उध्दरण दिया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि इसके पहले की जो राजाज्ञा थी उनको निरस्त किया गया है। उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या 2762/7/16-11-81 दिनांक 9/2/81 तथा 18 जून, 81 को निरस्त किया गया है। जिसमें लिखा गया था कि यह कार्यक्रम स्वेच्छा के आधार पर चलाया जाय।

मान्यवर, जहां तक परिवार कल्याण का संबंध है मैं इसमे बिल्कुल असहमत नहीं हूं लेकिन इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को जोर जुल्म के बल पर बिल्कुल नहीं चलाया जाना चाहिये । इसमें जो भय की दशा उत्पन्न की जा रही है उसके खिलाफ मेरा स्वर है । मान्यवर, आप जिस औचित्य के प्रश्न को चाहें ग्राह्य करें लेकिन इस सदन में सदन को गुमराह करने वाले और सदन को भ्रमित करने वाले उत्तर नहीं आने चाहिये। मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोनों राजाज्ञायें दी हैं उसके आधार पर मैं साबित करता हूं कि माननीय संसदीय का. राज्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री ने जो छवि उजागर करने की चेष्टा की है उससे सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गयी है । न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि सब डिपार्टमेन्टस पर जोर डाला जा रहा है । लोगों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं । अगर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये जाइये तो कहा जाता है कि केस लाइये। बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण कराने जायं तो केस लाइये । तो एसी स्थिति से सम्पूर्ण प्रदेश में हाहाकार मचा है। सरकार द्वारा जो गलत बयानी की गयी है उस संबंध में मैं औचित्य का प्रश्न उठाते हुये व्यवस्था चाहूंगा कि क्या मंत्रियों को तथ्यों से परे सदन को भ्रमित करने वाले गलत उत्तर देने की आजादी दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आपने दो सूचनाएं दी हैं। एक शिक्षा विभाग से संबंधित है और दूसरी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैं इसी पर प्रेस करता हूं । समय की कमी की वजह से मैं इसी पर प्रेस करता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपको इस सिलसिले में कुछ कहना है।

श्री मैनेजर सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं उसी के फलस्वरूप यह औचित्य का प्रश्न आया है। माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने अभी आपके सामने संदर्भित जी0 ओ0 प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने गलत बयानी की। इसी प्रकार के अनर्गल उत्तर मा0 मंत्रियों द्वारा दिन प्रति दिन श्रीमन्, दिए जा रहे हैं । हम लोग आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं तो आप बहुत हल्के ढंग से नजर अंदाज कर देते हैं । इतना अमूल्य समय सदन का औचित्य के प्रश्न उठाकर लिया जा रहा है। श्रीमन्, अगर आप रोकेंगे नहीं और मंत्रियों से सही और तर्कयुक्त उत्तर नहीं दिलवायेंगे तो इस सदन की गरिमा की रक्षा नहीं हो पायेगी । जिस ढंग से प्रारम्भ में आपने इस प्रश्न को हल्के ढंग से लिया उससे मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है। आपने कहा कि मैं मंत्री को भेज दूंगा और जो उत्तर आयेगा वह प्रेषित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह मेरी मंशा कतई नहीं थी ।

श्री मैनेजर सिंह–

अगर आपकी यह मंशा नहीं थी तो ठीक है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप प्रश्नों के समय में थोड़ा सतर्क दृष्टि से काम लें । आप यह देखें कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है ? न अनर्गल प्रश्न हो और न अनर्गल उत्तर हो । आप इसको सुनिश्चित करें । हमारा प्रश्न अनर्गल हो तो हमें रोक दीजिए और अगर अनर्गल उत्तर हो तो मंत्रियों को रोक दीजिये । आज ही माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो उत्तर दिये हैं वह कदापि उचित उत्तर नहीं है।

माननीय परिवहन मंत्री जी का उत्तर कोई सटीक और तथ्यपूर्ण नहीं था। फियटकारों के बारे में सवाल हुआ। हम लोगों ने पूछा कि जिन 75 कारों को निजी स्तेमाल के लिए अधिकृत कर दिया गया। वे गाड़ियां टैक्सियों के रूप में

जिन दिनों चली उन दिनों का रोड टैक्स टैक्सियों के आधार पर लिया गया या नहीं और दूसरा जो इक्साईज की छूट उन्होंने ली थी, वह राशि वसूल हो गयी या नहीं। मंत्री जी ने इसका सही उत्तर नहीं दिया।

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि शासन में कुछ लोग बहरे और गूंगे सदस्य आ गये हैं। जिसके कारण कुछ ऐसे लोगों को 4-5 विभागों को दे दिया गया है और सदन में उत्तर देने के लिए जिनसे पूछा जाता है 'क' के बारे में उत्तर देते हैं 'ख' के बारे में जानबूझकर क्योंकि वह जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष हमको टोकेंगे नहीं। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मा0 मंत्रीगण से सही उत्तर दिलवाइये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने मौका दे ही दिया और मान्यवर जो औचित्य का प्रश्न मा0 गुप्ता जी की ओर से उठाया गया है, इसी तरह का औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी औचित्य की सूचना पर कह रहे हैं या गुप्ता जी ने नसबन्दी के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के बारे में कहा है, उसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

जी हां, मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न गुप्ता जी ने उठाया है नसबंदी के सिलसिले का उसी पर मैं भी कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

उसी सिलसिले में तो आपने 7 नम्बर पर अपनी सूचना दी है, उसी समय आपको मौका दिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि नियमों में जो औचित्य के प्रश्न उठाने की व्यवस्था की गयी है, इस के अन्तर्गत वह बात उठानी चाहिए जिसकी नियमों में कहीं और व्यवस्था न हो। अगर माननीय मंत्री जी के उत्तर तथ्यों से परे हैं तो इसकी व्यवस्था नियमों में है। करण संख्या 218 के अंतर्गत आप अपनी बात को उठा सकते हैं उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। माननीय गुप्ता जी भी इस बात को खूब जानते हैं। तो मान्यवर, जो व्यवस्था जिस चीज के लिए निर्धारित की गयी है हमें उसी के तहत कार्य करना चाहिए। नहीं तो सदन का सारा समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। कृपया आप इसे औचित्य के प्रश्न में उठाने की अनुमति न दें। तथा माननीय सदस्य इसे करण 218 और 219 में उठायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी व राम आसरे जी ने जो विषय उठाया है 7-2-86 को जो उत्तर मा0 स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था मैं समझता था कि वह बात वहीं समाप्त हो गयी और अगर अभी समाप्त नहीं हुयी तो आप इसे नियम 49 में चर्चा कर लें। (शोर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, नियम 49 तब होता है जब प्रश्नों से हमारा मामला साफ नहीं होता, तब नियम 49 के अन्तर्गत ऐसे बिन्दु उठते हैं, लेकिन हमारा मामला ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अगर ऐसा है तो आप विशेषाधिकार का नोटिस दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

यह ठीक है, मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है अगर आप समझते हैं कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और यह प्रश्न विशेषाधिकार का बनता है तो हम उसमें दे देंगे।

श्री राज्यपाल द्वारा सदन आहूत किये जाने के उपरान्त ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युत की दरों में वृद्धि करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो मैंने आपको औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है, उसकी मान्यवर. तीन प्रतिलिपि दी हैं और जैसा कि अक्सर होता यही रहा है कि उसकी एक प्रति संबंधित माननीय मंत्री को भी दी जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऊर्जा मंत्रालय के न तो मंत्रि परिषद् के सदस्य और न ही राज्य मंत्री ही उपस्थित हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित था। 22 जनवरी, 1986 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा के सत्र का आह्वान किया और 22 जनवरी के बाद 6 फरवरी से हम लोगों को यहां पर बैठना था। लेकिन 1 फरवरी, 1986 को ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदेश में विद्युत दरों की घोषणा कर दी और वह जो वृद्धि हुई है, वह 9 फीसदी से लेकर 56 फीसदी तक हुई है। विभिन्न मदों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, इसके बारे में घोषणा की गयी है।

मान्यवर, करों का बढ़ाया जाना निश्चित तौर पर यह एक नीतिगत मसला है कि किस मामले में कितनी दर की वृद्धि की जायेगी, या न की जायेगी, यह नीति से संबंधित मामला है। 1 फरवरी, 1986 को ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत की दरों में वृद्धि की घोषणा की और कई समाचार पत्रों को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री ने इस सम्बन्ध में विवरण भी बताया। मान्यवर, जब विधान सभा का सत्र आहूत हो गया हो और सदन 6 फरवरी को बैठने वाला हो, उस मौके पर सरकार की नीति सम्बन्धी घोषणाओं को सदन के अन्दर ही करना चाहिए, सदन के बाहर नहीं करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 23 फरवरी, 1983 की लोक सभा की कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस समय माननीय मधु दण्डवते लोक सभा के सदस्य थे, आज भी हैं, उन्होंने बजट सत्र के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा जब पेट्रोलियम उत्पादों की दरों में वृद्धि की गयी थी, उसके संबंध में एक औचित्य का प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न को उठाते हुए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने जगह-जगह जो अपनी टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कहा है। यह 23 फरवरी, 1983 की कार्यवाही है, यह पृष्ठ 307 पर है। मान्यवर, यह आप देख लें। मान्यवर, इसमें लिखा है–"मैं मानता हूं कि यह प्रोप्रायटी नहीं है।" फिर आगे लिखा है–"आप रूल बदल दीजिए।" मान्यवर, रूल बदलने के बारे में मैं कुछ नहीं फरमाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर अपनी व्यवस्था दी कि यह प्रोप्रायटी नहीं है। जब बजट सत्र का आह्वान कर दिया गया हो, उस समय पेट्रोलियम मंत्री सदन के बाहर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादकों की दरों में वृद्धि की घोषणा करें, उसके बारे में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी में दिया है। इसी तरह से इसी सदन के अन्दर जब-जब इस तरह के काम सदन के चलते किये गये, तो अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दी गयी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि नीतिगत मामलों में माननीय मंत्री जी को सदन के अन्दर ही घोषणा करनी चाहिए।

मान्यवर, माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने 23 फरवरी, 1983 को इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है, जो संदर्भित है। मान्यवर, उसमें साफ लिखा है कि यह प्रोप्रायटी नहीं है। मान्यवर, इसके लिए कोई दण्ड संहिता नहीं बनी हुई है कि जिसके तोड़ने पर दण्ड का प्राविधान किया गया हो। इसकी गरिमा का पालन माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रि परिषद् के सदस्य नहीं करेंगे, तो जनतंत्र के अन्दर मर्यादाओं की कल्पना करना केवल हवा में उड़ना ही होगा। मान्यवर, इस समय तो बिजली की दर तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। मान्यवर, इस समय जिस तरह से महंगाई बढ़ी है। इस समय जिस तरह से आम आदमी परेशान है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में बिजली के दाम बढ़ाना सही नहीं है। इस समय प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, औद्योगिक पिछड़ापन स्पष्ट नजर आ रहा है, ऐसे समय में बिजली के दाम बढ़ाने से औद्योगिक विकास रुक जायेगा और जो छः फीसदी औद्योगिक विकास की बात कही गई वह फीसदी घट जायेगी। औद्योगिक विकास की प्रगति को देखते हुए ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यदि बिजली के दाम बढ़ाये भी थे, तो इतना साहस होना चाहिए था कि सदन के अन्दर इस तरह की घोषणा करते। मैं चाहूंगा कि गम्भीरता पूर्वक इसको लिया जाये। ऊर्जा मंत्री सदन के अन्दर खेद प्रकट करें। इस तरह से मंत्री जो संसदीय आचरण का पालन नहीं करेंगे तो सदन की क्या मान मर्यादा रह जायेगी। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी सदन के अन्दर खेद प्रकट करें कि इस तरह का आचरण वह नहीं करेंगे।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। यह सही है कि सदन के चलते हुए नीतिगत मामलों में घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन आहूत करने के तुरन्त बाद सदन का चलना माना जायेगा? मान्यवर, सदन तो चल नहीं रहा था यह जानकारी आपको भी है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो दरों को बढ़ाने वाली बात है, तो दरों को बढ़ाना और घटाना विद्युत परिषद् के अधिकार क्षेत्र की बात है। उसमें ऊर्जा मंत्री और शासन सीधे रूप से शामिल नहीं होते। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, जो इलेक्ट्रीसिटी एक्ट है उसकी धारा-49 पढ़ना चाहता हूं–"प्राविजन फार दि सेल आफ इलेक्ट्रिसिटी बाई दि बोर्ड टू परसन्स अदर दैन लाइसेंस–(1) सब्जेक्ट टू दि प्राविजन्स आफ दिस एक्ट एण्ड आफ रेगुलेशन्स इफ एनी, मेड इन दिस बिहाफ दि बोर्ड मे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटि टू एनी परसन नाट बीइंग ए लाइसेन्सी अपान सच टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स सच दि बोर्ड थिंग्स फिट एण्ड मे फार दि परपज आफ सच सप्लाई फ्रेम यूनिफर्म टेरिफ।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसको हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, धारा-49 के अन्तर्गत विद्युत परिषद् को अधिकार दिया गया है कि वह विद्युत सप्लाई एवं विद्युत टैरिफ को स्वयं निर्धारित करती है। बोर्ड ने जो मूल्य बढ़ाये इससे किसानों पर कोई भार नहीं बढ़ा, ट्यूबवेल पर कोई भार नहीं बढ़ाया गया, इसके लिये तो आपको सरकार को बधाई देनी चाहिए थी यह कदम बहुत अच्छा उठाया गया है इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इन्होंने इलेक्ट्रीसिटी एक्ट का उदाहरण दिया। कोई भी चीज बिना कैबिनेट के फाइनल नहीं होती है अगर कैबिनेट बुलायी गई होगी तो उसमें यह जरूर गये होंगे, तो कैबिनेट में जब यह मामला आ गया, तो कैबिनेट के एप्रूवल के बाद इसे सदन में लाना जरूरी नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रश्न उठाया है इसमें काफी समय हो रहा है। इसमें लोक सभा की कार्यवाही से भी चर्चा की गई है। लोक सभा की 6-2-83 की कार्यवाही का जो हवाला दिया गया है उसको देखने के बाद ही मैं कोई निर्णय दे सकता हूं।

विधान सभा के एक वर्ष में तीन सत्र तथा नब्बे दिन का उपवेशन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह–

संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत और हमारी जो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत विधान सभा का सत्र 90 दिन तक चलना चाहिए। कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय 4 के 14 को आप देखें। उसमें लिखा है अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात्/आय व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे।

मान्यवर, आप देख रहे हैं आपकी पीठ से बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद यह सरकार 40-45 दिन का सत्र बुलाती है। इससे हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है और कार्यसंचालन नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग जनता की बात कहने के लिये आते हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था का प्रश्न था, महंगाई का प्रश्न था, हम लोगों को आन्दोलन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बराबर यह सरकार जनतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है और जितने दिन सत्र बुलाना चाहिये, नहीं बुला रही है। आप हमारे संरक्षक हैं, आपका संरक्षण चाहता हूं आप सरकार को निर्देशित करें कि नियमानुसार सत्र सरकार बुलायें।

श्री अध्यक्ष–

17-9-84 को औचित्य का प्रश्न उठा था जो स्वीकार नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस दिशा में प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक सदन बैठे।

(मद संख्या 6 पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के संबंध में "माया" पत्रिका में प्रकाशित लेख के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप मद संख्या 4 से आगे बढ़ गये। मान्यवर, मैं मद संख्या 4 के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैंने नियम 63 के अनुसार एक सूचना दी थी। माया पत्रिका में प्रथम पक्ष में एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें एक लेख था अशोक चौधरी के बारे में हजारों अनपढ़ों को डाक्टर बना दिया गया। उसमें माननीय कृषि मंत्री चौधरी नरेन्द्र सिंह के बारे में काफी लम्बा छपा है। मैंने विशेषाधिकार दिया तो उसकी कापी करके दिया। क्योंकि मंत्रि मण्डल के एक मंत्री और जिनका इतना राजनीतिक जीवन रहा हो, जब तक सारे तथ्य नहीं आ जाते हैं तब तक तो मंत्री जी को उसने कलंकित कर ही दिया वैसे मंत्री जी के लिये यह कोई नई बात नहीं है। जो प्रश्न मैंने दिया है वह इस आधार पर वापस किया जा रहा है कि जो लेख है उसकी मूल प्रति नत्थी करूं। नियम 64 में लिखा है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख है तो मूल लेख या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। मान्यवर, आप देखें क्या मुझे मूल लेख उपलब्ध हो सकता है। मैंने प्रतिलिपि संलग्न किया था लेकिन आपके कार्यालय ने कहा कि मूल प्रति दीजिये। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नियम को आपने कोई कमेटी बैठाकर परिवर्तित करवा दिया है या यथावत यह लागू है। वैसे मंत्री जी बहुत घाट का पानी पी चुके हैं लेकिन मैं चाहता था कि मंत्री का कलंक कुछ धुले।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, चूंकि पाण्डेय जी ने मेरा नाम लिया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पूरी छान-बीन होनी चाहिये कि बात क्या है। अशोक चौधरी का जो चित्र मैंने देखा है, उस किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। उससे सरोकार होने का तो वास्ता ही नहीं उठता। मैं ऐसा समझता हूं और मेरा ख्याल है कि किसी ने शरारतन मेरे को आरोपित किया है और इस तरह की खबर छपाई है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय माता प्रसाद जी ने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय मंत्री जी के खिलाफ कोई बात कही गयी, लेकिन वह बात क्या है वह हमें पता नहीं है। हाउस को भी वह बात पता नहीं है और माननीय मंत्री जी सफाई देने के लिये खड़े हो गये। तो यह मामला क्या है? यह हाउस में आ जाना चाहिये, तब मंत्री जी सफाई दें तो ठीक रहेगा। मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जब इस बात की हाउस को जानकारी नहीं है तो मंत्री जी सफाई क्यों दे रहे हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें चूंकि मेरा नाम संदर्भित किया गया था, इसलिये सफाई देने की जरूरत हुई।

परिवहन मंत्री के शोधन वक्तव्य को संसदीय कार्य राज्य यंत्री द्वारा पढ़े जाने पर आपत्ति

(मद संख्या 6 पुकारे जाने तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के शोधन वक्तव्य पढ़ने हेतु खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हमारे नियमों में जो व्यवस्था है, उसको आप देख लें और करण 219 भी देखें। इस मद के वक्तव्य को संजय सिंह जी, परिवहन मंत्री को पढ़ना है। ऐसी हमारे नियमों में व्यवस्था है। ऐसे पूर्व के दृष्टांत और परम्पराएं हैं कि जिस मंत्री के नाम से एजेंडा होगा, वह स्वयं वक्तव्य देगा। वह यदि किसी कारण से अनुपस्थित होना चाहते हैं तो वे आपसे अनुमति लेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या संजय सिंह जी ने आपसे अनुमति प्राप्त की है कि किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के चलते विधान सभा से अनुपस्थित रहेंगे और अपने स्थान पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री को वक्तव्य पढ़ने के लिये उन्होंने अधिकृत किया है। यह अपरिहार्य एवं अनिवार्य है कि परिवहन मंत्री को आपसे अनुमति लेनी चाहिये। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। मेरा आरोप है कि वे अपने को सुपर मिनिस्टर समझते हैं और माननीय अध्यक्ष के प्रति तो उनके मन में कोई सम्मान है ही नहीं। आज प्रश्न काल में भी मैंने यही देखा कि आपने उत्तर देने को कहा किन्तु वे बिना उत्तर दिये बैठ गये। उनके इस असंसदीय आचरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूं। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि उन्होंने आपसे यहां अनुपस्थित रहने के लिये लिखित अनुज्ञा प्राप्त की है या नहीं। आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी को इस वक्तव्य को पढ़ने की अनुमति न दें तथा सदन की कार्यवाही रोक कर संजय सिंह जी को यहां बुलाएं और प्रताड़ित करें। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि सदन की कार्यवाही रोक कर यहां पर मंत्रियों को तलब किया गया है और उन्होंने स्वयं आकर वर्वतव्य दिया है। मुख्य मंत्री जी भी इन परम्पराओं का पालन करते हैं। मुझे याद है कि हम लोग जब आपके कक्ष में बैठे थे तो उस समय मुख्य मंत्री जी ने आपके कक्ष में आकर दिल्ली जाने के कारण सदन से अनुपस्थित होने की अनुमति मांगी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संजय सिंह जी ने आपसे इस प्रकार की कोई लिखित अनुमति मांगी है और आपने दी है, यदि हां, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह अनुज्ञा उन्होंने नहीं प्राप्त की है, तो आप किसी भी दशा में माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को इसकी अनुमति न दें।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के पुनः खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मैंने आपसे इसकी जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका उत्तर दूंगा। संसदीय कार्य राज्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, पहले यह अवगत कर दें कि उन्होंने अनुमति ली है?

*संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, माननीय संजय सिंह जी आज प्रश्न प्रहर में स्वयं मौजूद थे, उन्होंने शिक्षा तथा परिवहन विभाग से संबंधित तमाम प्रश्नों के उत्तर भी दिये थे। जहां तक माननीय गुप्त जी ने मद संख्या-6 के ऊपर जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, माननीय गुप्त जी नियमों में पारंगत हैं, यह मात्र एक शोधित वक्तव्य है। माननीय मंत्री जी खुद मुझसे आग्रह कर गये थे कि इसे सदन में पढ़ दीजियेगा और माननीय अध्यक्ष जी से इसकी आज्ञा ले लीजियेगा। वे बहुत ही आवश्यक काम से गये हुए हैं। माननीय गुप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने जो सदन की अवमानना की बात कही है, मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम किसी भी दशा में सदन के अवमानना के प्रश्न की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे मन में पूर्ण आदर है आपके प्रति और माननीय सदस्य के प्रति।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पहला प्रश्न तो यही है कि आपसे उन्होंने जाने के लिये आज्ञा ली अथवा नहीं। यह प्रश्न तो बाद में उठता है, जो माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझसे आग्रह किया उन्होंने कि मैं आपसे इसकी अनुमति ले लूं। वह अनुमति मैं आपसे मांग रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर ,मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने एक प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर दे लेने दीजिये।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, यह कोई तरीका नहीं है।

जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे मंत्री जी की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। मगर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने उनसे आग्रह किया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, यह कोई परम्परा नहीं है।

(मद संख्या-6 पुकारे जाने पर तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री मित्रसेन, डा0 दिनेश जौहरी, श्री शारदा प्रताप सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री को इसे पढ़ने की अनुमति न दी जाय)

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या 7 पर आता हूं। मद संख्या 6 को मैंने स्थगित कर दिया है।

(तत्पश्चात् उक्त सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

मैंने मद संख्या–6 को छोड़ दिया है और मद संख्या-7 को ले लिया है। लेकिन मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से अनुरोध करूंगा कि यह रोज-रोज वेल पर आना कहां तक उचित है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने हम से ही प्रश्न कर दिया कि वेल पर आना कहां तक उचित है? यह तो आपका निर्णय है कि कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित? सरकार की ओर से जिस प्रकार का उत्तर आता है, उसी आधार पर माननीय सदस्यगण वेल पर आते हैं, वह उचित है। मान्यवर, आपसे व्यवस्था पूछी गयी थी कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने आपसे इजाजत ली थी कि नहीं। यदि आपसे इजाजत नहीं ली थी तो माननीय संसदीय कार्य-राज्य मंत्री जी को पेश न करने दिया जाय। जिसका उत्तर आपको देना था। संस-

दीय कार्य राज्य मंत्री जी कहते है कि वह मुझसे कह गये थे। लेकिन उस पर आपका निर्णय नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इतनी देर हो गई। अब आपने जो उत्तर दिया है, वह अधूरा दे दिया है। पहला, तो आपने यह स्वीकार कर लिया है कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने आपसे नहीं पूछा था और न ही सदन छोड़ने की आपसे आज्ञा ली थी और न ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी को पेश करने के लिए कहा था।

दूसरा प्रश्न अब यह उठता है कि आपसे आज्ञा न लेने के बाद भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इसे पेश करेंगे। माननीय सदस्यों की भावना यह है कि इस मद को संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी को पेश न करने दिया जाय और या फिर परिवहन मंत्री जी को बुला लिया जाय। सदन को नियमतः चलाने के लिए ही माननीय सदस्य वेल पर आये, उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया।

[समय 1 बजकर 42 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो 11 विषयों से सम्बन्धित है। प्रथम सूचना सर्वश्री मनोहर लाल, राजेन्द्र गुप्त, सत्य प्रकाश विकल, अनुग्रह नारायण सिंह, राम सजीवन, राम नरेश, शारदा प्रताप, राम आसरे, हृदय नारायण दीक्षित और श्री जौहरी लाल त्रिवेदी की है, जो कानपुर नगर में हड़ताल के बारे में है। दूसरी सूचना सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, राम सरन माता प्रसाद पाण्डेय, भोपाल सिंह, राम सागर, शारदानंद अंचल, सरदार सिंह, भगवानदीन कुशवाहा, अवधेश प्रसाद, शतरुद्र प्रकाश, फरीद महफूज किदवई और अचल सिंह की है जो लोकदल द्वारा रास्ता रोको आन्दोलन के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना सर्वश्री कल्यान सिंह, राजेन्द्र सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, बंगाली सिंह, किशन लाल, जगवीर सिंह, सत्य प्रकाश विकल और श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है जो अतरौली, जनपद अलीगढ़ में दिनांक 24-1-1986 को फायरिंग की घटना से संबंधित है। चौथी सूचना सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, फजलुल बारी, काजी कलीमुररहमान, फसीउर्रहमान, शफीकुर्रहमान बर्क, अमीर आलम खां, मोहम्मद मसूद खां, मोहम्मद रिजवानुल हक और श्री मोहम्मद अकिल की है जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बारे में है। पांचवीं सूचना गाजीपुर में रिक्शा चालक की मृत्यु के संबंध में श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी, वीरेन्द्र सिंह तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी जी की है। छठी सूचना गन्ना किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में सर्वश्री राम सरन, हरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह भाटी, दिवाकर विक्रम सिंह, भोपाल सिंह, कनक सिंह तथा सरदार सिंह जी की है। सातवीं सूचना बस्ती जिले में चीनी मिलों के चालू न होने के बारे में श्री धनराज यादव की है। आठवीं सूचना वन संरक्षक, नैनीताल श्री हेमचन्द्र जोशी की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी की है। नवीं सूचना मिर्जापुर में 7 माह से मजदूरी न मिलने से असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राज किशोर सिंह की है। दसवीं सूचना फैजाबाद में 17 वर्षीय बालक सुरेश कुमार को

जिंदा जलाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद की है। ग्यारहवीं सूचना रुदौली में अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन की है।

अब कानपुर नगर की हड़ताल के बारे में, जिन्होंने सूचना दी है, उनमें से कोई एक माननीय सदस्य बोलें।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, [xxx] नम्बर, 1 पर मेरा नाम है, मैं ही बोलूंगा।

मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने संवैधानिक अधिकारों पर, उत्तर प्रदेश सरकार जिसका हनन कर रही है, नियम 56 के अन्तर्गत मेरी सूचना को विचारार्थ स्वीकार किया।

मैं अभी व्यवस्था के प्रश्न पर एक बात पूछ रहा था, अब नियम 56 के सवाल में पूछता हूं। अभी माननीय कृषि मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे 'माया' मैगजीन के बारे में। आज के 'दैनिक जागरण' अखबार में निकला है कृषि मंत्री का बयान कि कानपुर के हड़तालियों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। क्या यह भी शरारतपूर्ण बयान है, जो यह निकलवा दिया कि राज्य कर्मचारी, जिनकी संख्या 80 हजार है, उन्होंने हड़ताल वापस ले ली ? यह शरारतपूर्ण बयान है उत्तर प्रदेश सरकार का और कृषि मंत्री जी का, वास्तविकता यह है कि किसी ने हड़ताल वापस नहीं ली है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने जेल से कहा है कि समझौता मान्य नहीं है। कानपुर के 5 विधायकों को बिठाल कर माननीय कृषि मंत्री ने अपने आवास पर समझौता कर लिया, जिसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। इन्होंने बयान दिलवा दिया कि जो 80 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली और समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले फरवरी, 85 में हड़ताल हुई थी जिसमें 'ए' ग्रेड की सुविधायें प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने चूंकि चुनाव का दौर चल रहा था और राज्य कर्मचारियों से वोट लेना था, उनसे बेईमानी करवानी थी, इसलिए उन्होंने 18 फरवरी, 85 को कानपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से समझौता करवा दिया और कहा कि चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है और अगर कोई समझौता करते हैं तो यह होगा कि वोट लेने के लिये घूस दी गयी है इसलिये चुनाव के समय अपनी हड़ताल वापस ले लें और चुनाव के बाद, मेरे पास लिखित समझौता है, उसकी कापी मौजूद है, डी0 एम0, कानपुर ने हस्ताक्षर किये हैं और साफ लिखा है कि स्टेट एसेम्बली के चुनाव के बाद 'ए' ग्रेड की सुविधायें राज्य कर्मचारियों को दे दी जायेंगी। यह एश्योरेंस तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के जरिये राज्य कर्मचारियों को दिया गया, उसके बाद 18 फरवरी, 85 को हड़ताल समाप्त हो गयी।

मैं यह जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सामन्तवादी विचारधारा की है ? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार साम्राज्यवादी नीति की है ? क्योंकि सामान्तवादी विचारधारा में यह समझते हैं कि वह शासक है और दूसरे लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गुलाम है, सामान्तवादी विचारधारा में भी एक तरफ शासक होता है और दूसरी तरफ गुलाम होता है । मौजूदा मुख्य मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे 80 हजार राज्य कर्मचारियों से बात कर सकें ।

यहां हड़ताल के दो पक्ष हो गये है— एक तो 25 लाख की कानपुर की जनता और दूसरी 80 हजार राज्य कर्मचारियों की संख्या। दोनों पक्षों को बतलाने के लिये कम से कम चार घण्टे का समय चाहिये लेकिन मैं यहां पर केवल दोनों पक्षों की खास-खास बातों की ही ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की मूर्खतापन के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार की हठ-धर्मी के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता के कारण जो हड़ताल वहां 16 जनवरी से चल रही है । जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री हर वर्ष कानपुर में 26 जनवरी की शाम को फूलबाग की मीटिंग को सम्बोधित करता था । इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 जनवरी, 1986 को मौजूदा मुख्य मंत्री, जो श्री वीर बहादुर सिंह है

श्री अध्यक्ष—

आपके पास अब केवल 5 मिनट का समय और है, पूरा दिन इस पर नहीं लगाया जा सकता है ।

श्री मनोहर लाल—

मुझे स्वीकार है, लेकिन आप हमें बोलने तो दीजिये । आप किसी प्रकार का भेदभाव न लगायें क्योंकि यह गम्भीरतम मामला है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते है कि शाम तक यही बात होती रहे ?

श्री मनोहर लाल—

हां, होती रहे । पांच राज्य कर्मचारियों को रासुका में बन्द कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने केवल पांच मिनट का ही समय और आपको दिया है, इसी में आप अपनी बात को कह कर समाप्त करें ।

श्री मनोहर लाल—

ठीक है, मुझको फिर आप बोलने तो दीजिये । मैं कह रहा था कि पांच आदमियों को रासुका में बन्द कर दिया गया है उन्नाव, फतेहगढ़ और कानपुर की जेल में वे बन्द है। 500 या 480 कर्मचारी फतेहगढ़ की जेल में बन्द है और 70 से अधिक कानपुर की जेल में बन्द है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो हजार के करीब कर्मचारी विभिन्न जेलों में बन्द है । संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी बन्द है जिसमें कि शिक्षक वर्ग के लोग है, पी0 डब्लू0 डी0 के लोग है और नगरपालिका के लोग है । सारे राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के लोग है जो कि विभिन्न जेलों में बन्द है । मंत्री जी ने कह दिया कि समझौता हो गया और अखबार में दे दिया कि हड़ताल वापस । मुख्य मंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि एक मिनट लगा कर बात कर लेते। 26 जनवरी, 1986 को फूलबाग की मीटिंग तक में वे नहीं गये और कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि हड़ताल वापस हो गयी । मान्यवर, कत्याल जी बार-बार सफाई पेश करने के लिये खड़े हो रहे है. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप उनको मौका दीजियेगा तब वे सरकार की तरफ से बोल लें, अभी आपने केवल मुझे ही

5 मिनट का समय दिया है, इसलिये वे अभी मुझको बोल लेने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, आपके पांच मिनट हो गये ।

श्री विलायती राम कत्याल–

मुझे पता लगा है कि मोर्चा संघ के लोगों को विपक्ष के लोग हड़ताल करने के लिये बल दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मनोहर लाल–

इन लोगों का ही हड़ताल कराने से संबंध है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं–

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय मंत्री जी के सुनने के बाद जरूरी हो तब कहें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त–

आपको ग्राह्यता के बारे में सुनना चाहिये । अगर आप नहीं सुनेंगे तो ग्राह्यता पर निर्णय किस प्रकार से देंगे? आप नियम 58 को देख लें उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आज जो घटना घटी है, उसका कारण यह है कि 1982 में केन्द्रीय सरकार ने अपने कानपुर के कर्मचारियों को ए-क्लास की सुविधा दी थी । एक केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी और प्रान्तीय सरकार का कर्मचारी जो एक ही भवन में रहता है उसकी सुविधाओं में भेद भाव किया जा रहा है । राज्य सरकार के कर्मचारी उस सुविधा से वंचित हैं जो सुविधा केन्द्रीय कर्मचारियों को कानपुर में प्राप्त है । इसी मांग को लेकर हजारों कर्मचारी जेल चले गये और कानपुर शहर का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस ओर सरकार उदासीन है और सरकार न्याय संगत फैसला नहीं कर रही है । इसलिये मान्यवर, आप इस पर कार्य स्थगन के रूप में चर्चा करा दें, जिससे बहुत से फैक्ट्स सामने आ जायें और जो उनकी न्याय संगत मांग है, वह पूरी की जा सके । सरकार का जो रवैया है उसकी भर्त्सना की जा सके, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, ...

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी अब अपनी बात को समाप्त करें । जो कुछ बोला जायेगा वह नहीं लिखा जायेगा । आपके नेता खड़े हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मा0 मनोहर लाल जी ने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा है और मा0 गुप्ता जी ने बताया कि कानपुर शहर का जन जीवन 25 दिनों से अस्त व्यस्त है, ठप्प पड़ा है । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो राज्य कर्मचारी आन्दोलन पर हैं उनका आन्दोलन का अधिकार है, लेकिन सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन उन पर अत्याचार कर रहा है । मान्यवर, 2000 कर्मचारी जेलों में बन्द हैं, उनमें से 300 से ऊपर ग्रेजुएट हैं और इतने ही लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन उनमें से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक या दो को सुपीयिर क्लास दिया गया है । यह कार्य जान बूझकर सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है । मैं उन्नाव जेल गया था, वहां पर 564 लोगों में से केवल एक राज्य कर्मचारी को सुपीरियर क्लास दिया गया है और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के इशारे पर और उसकी ओर से एक जिम्मेदार मंत्री ने यह बयान दे दिया कि राज्य कर्मचारियों के साथ सरकार का समझौता हो गया है । अगर समझौता हो गया है तो क्या उनकी रिहाई के भी आदेश हो गये हैं, राज्य कर्मचारी रिहा हो गये हैं ।

अभी एक अध्यादेश के बारे में हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी, वह कानपुर के राज्य कर्मचारियों के बारे में सिद्ध हो गया है, उनको रासुका के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है । इससे यह साबित हो गया है कि वह अध्यादेश गुन्डों और असामाजिक तत्वों के लिये नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है और जो राज्य कर्मचारी नेता हैं उनको रासुका के अन्तर्गत बन्दी किया गया है । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि 80 हजार कर्मचारी हैं, जो एक ही 80 हजार कर्मचारी हैं, जो एक ही शहर के हैं उनके असंतोष का कारण यह है कि उसी शहर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको ए-क्लास की सुविधा दी जा रही है और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको ए-क्लास की सुविधा नहीं दी जा रही है । समान कार्य के लिये समान वेतन की जो आपकी नीति है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है । इसलिये उन्होंने अपनी जायज मांगों के लिये आन्दोलन चलाया है । तो सरकार ने दमन का रास्ता इस्तेमाल किया है । उनकी जो जायज मांगे हैं उनको मानने के बजाय उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है । इसलिये आप इस मामले पर विशेष ध्यान देकर सुनें और सरकार से कोई रास्ता निकालने के लिये आश्वासन दिलवायें ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल के बाद आप खड़े हैं । नेता विरोधी दल के बोलने के बाद आप का खड़ा होना मुनासिब नहीं है ।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, अभी हमारे मित्र मनोहर लाल जी कह रहे थे कि समाचार पत्र में जो खबर छपी है वह शरारतपूर्ण है । मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वह खबर शरारतपूर्ण नहीं है, तथ्यपूर्ण है और पूरी तरह से समझौता हुआ है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, शरारतपूर्ण बात तो हमारे मित्र मनोहर लाल जी कर रहे हैं इधर तो निपटाने की बात है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता के बोलने के बाद इस तरह से काम नहीं चलेगा । अनुग्रह नारायण जी आपके नेता बोल चुके और अब आप बोलना चाहते हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय, मैंने अभी निवेदन किया कि समाचार पत्रों में जो समाचार छपा है वह पूर्णतया सही है, तथ्यपूर्ण है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। माननीय मंत्री जी आप जारी रखें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कानपुर के जो कर्मचारियों की हड़ताल थी उसके संबंध में लगातार प्रयास होते रहे हैं।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

2 बजने वाले हैं। नियम 56 के जितने हैं, जितने और विषय हैं, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कानपुर के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में लगातार प्रयास होते रहे हैं। 23 जनवरी को लखनऊ में बात हुई थी और तमाम नेताओं ने और कर्मचारियों ने आकर उस वार्ता में भाग लिया था।

(श्री मनोहर लाल व अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, यह कोई तरीका नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह कहना कि यह समाचार शरारतपूर्ण है, यह कथन सही नहीं है। यह समाचार पूर्णतया तथ्यपूर्ण है। कल मेरे निवास पर तमाम कर्मचारियों की और ट्रेड यूनियन के लोगों की बैठक हुई और वहां पर यह फैसला लिया गया। उन लोगों ने जनहित में हड़ताल वापिस ली। जो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। सेवा में, मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ....

(श्री मनोहर लाल, श्री राम सजीवन, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शारदा नंद अंचल और श्री जौहरी लाल त्रिवेदी चर्चा की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ऐसा लगता है कि हमारे मित्र माननीय मनोहर लाल जी कानपुर की समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते हैं। वहां के नेताओं ने कभी-कभी जो पत्र हमें लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठेंगे तभी तो मैं निर्णय दे सकूंगा।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अभी दो वाक्य कहे हैं और दोनों में बड़ा विरोधाभास है। एक बात उन्होंने कही कि 'शरारतपूर्ण नहीं है'..

(शोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात कैसे सुनूं। सब

लोग शांत हो जायं तभी तो सुनूं । कृपया आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जायं ।

(श्री राम सरन के प्रयास से उक्त सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल सुन लें । कानपुर के सवाल पर जो माननीय मनोहर लाल जी ने कहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है । इस प्रश्न की ग्राह्यता पर शासन की तरफ से जो बयान आ रहा है वह संदेह से युक्त है । मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की भावना को देखते हुए उसमें आप दो घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । उससे इस मसले पर कानपुर के सारे तथ्य सदन के अन्दर आ जायेंगे । क्योंकि अभी तक रिहाई नहीं हुई है और उनके ऊपर रासुका का इस्तेमाल किया जा रहा है । सरकार अपने कर्तव्य से मुकर रही है । इसलिये ग्राह्यता के सम्बन्ध में नियम 58 में जो वक्तव्य के लिये शर्तें लिखी गई हैं और जैसा कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है, उसे मैं दुहराना नहीं चाहता, उन्होंने काफी तथ्य रखे हैं । शासन की तरफ से जो कहा गया उससे सच्चाई पर पर्दा पड़ रहा है । इसलिये मेरी गुजारिश है कि कानपुर के सवाल पर आप 2 घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें ताकि इस महत्वपूर्ण सवाल पर यहां पर बहस हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी और माननीय सदस्यगण, आपने अपनी बात कह दी है और मेरी बात सुनते ही नहीं। हो सकता था कि जो भावना मा0 सदस्यों की है उनके बारे में मैं कुछ कहता । जब आप मुझे ही मौका नहीं देंगे बोलने का तो कैसे काम चलेगा ।

(व्यवधान)

अब आप लोग कृपा करके बैठ जाएं । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । जब आप खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूं तो कैसे काम चलेगा ? कृपया बैठ जायं माननीय मित्रसेन जी, बैठ जायं । मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये इस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर 2 माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की है ।

(व्यवधान)

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, 6 फरवरी से यह देखा जा रहा है कि माननीय विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है । इसमें टैक्स फेयर का पैसा खर्च हो रहा है और हम लोगों को मानसिक कष्ट हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं अब उसके आगे कोई बात नहीं रह जाती है । (श्री बेनी प्रसाद वर्मा से) अब आप ही अकेले इस पर बोलेंगे ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हो रहा है । हम लोग सदा शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करते रहे हैं । उसी का परिणाम है कि इस विधान सभा का गठन हुआ है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार पूरे प्रदेश में लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है । अभी 28 जनवरी को लोकदल के द्वारा जन प्रशासन और जनजागृति के लिए रास्ता जाम आन्दोलन का आयोजन किया गया क्योंकि इस समय प्रदेश में तमाम समस्यायें हैं। यहां सदन चल नहीं रहा था जहां पर हम बोल सकें। इसलिए शान्तिपूर्ण ढंग से 28 जनवरी को रास्ता जाम आन्दोलन की योजना बनाई गई । उसमें कहीं पर भी लोकदल के लोग हिंसक नहीं हुए, हमारा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहा लेकिन सरकारी साजिश में लगे सरकारी अफसरशाही के लोगों ने तमाम जिलों में बर्बर लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई, हमारे लोगों को तमाम अपराधों में बन्द कर दिया ।

हमारे जालौन में कालपी के भूतपूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आन्दोलन चल रहा था लेकिन वहां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिना वार्निंग के गोलियां चला दी, 100 राउण्ड गोलियां चली जिसमें 90 लोग घायल हुए और सैकड़ों लोगों को जेल में बन्द कर दिया । भोगनीपुर में माननीय मौजीलाल कुरील के गुप्तांगों में पुलिस ने डण्डों से प्रहार किया । हमारे वर्तमान सदस्य रामजनम जी को पुलिस ने डण्डों से पीटा और जिसके निशान अभी भी मौजूद हैं । अगर इस तरह से दमन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब जनता पुलिस के इस दमन का जवाब गोली और बम से देगी । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को इस तरह काम न करने दें। आप उनकी हां में हां न मिलायें हमारी आप पर पूरी आस्था है और रहेगी। हमारे अधिकारों के दमन में कभी आप सरकारी बोली बोल जाते हैं तो इससे हमारे अधिकारों का दमन होता है।

रास्ता जाम आन्दोलन में फैजाबाद के एक ब्लाक प्रमुख जिया लाल जी को 389 में जेल में बन्द कर दिया। हमारे राम जनम जी पर भी 389 धारा लगा दी। तो इस तरह से जनप्रतिनिधियों का दमन हो रहा है । पुलिस के बर्बर कृत्यों से जनता त्रस्त है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसे साधारण रूप में न लें सभी माननीय सदस्यों को आप सुनें और इस पर सदन में दो घंटे की चर्चा करायें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का आन्दोलन था और इतना जबरदस्त आन्दोलन था कि सरकार ने सारे कालेजों और विद्यालयों को बन्द कर दिया था । बसों को रद्द कर दिया था । जिले-जिले की घटनाएं हैं. इसलिए सभी को नहीं किन्तु 2-4 लोगों को अवश्य सुन लें जिससे सारे तथ्य आ जायं और उससे आपको निर्णय में आसानी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

कौन-कौन बोलेंगे आप बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री राम जनम को चोट आई है इसलिए वह तो बोलेंगे ही ।

*श्री सरदार सिंह–

28 जनवरी, 1986 को शान्ति एवं रास्ता जाम आन्दोलन में प्रशासन द्वारा अपनाए गए बर्बर एवं अलोकतांत्रिक रवैये के संबंध में वाराणसी, गाजियाबाद, बस्ती गोरखपुर. सहारनपुर, पीलीभीत, कानपुर शहर व देहात, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़ व गोंडा जनपदों में पुलिस ने लाठी चार्ज किया । दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय मार्ग में जनता ने पूरी तरह रास्ता अवरुद्ध कर दिया । विधायक श्री लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में शान्तिपूर्ण भीड़ पर लाठी चार्ज पुलिस ने किया जिसमें दर्जनों व्यक्ति घायल हुए और उनका भतीजा बेहोश हो गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छाता में पूरी तरह रास्ता बन्द रहा जिससे कोई विहिकिल नहीं निकल पाई । बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को थाने में लाए तो उन्होंने पानी मांगा । पानी मांगने पर सिपाहियों ने उनको पेशाब पिलाई । तो जनतंत्र में जब यह होगा तो यहां जनतंत्र का क्या होगा? इसी प्रकार हमारे निर्वाचन क्षेत्र के गांव सोनई, बिरहाना, अयेरा आदि में पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं और महिलाओं को बुरी तरह पीटा । इस प्रकार लोकतंत्र में अनशन करना और प्रदर्शन करना हमारा अस्त्र है किन्तु सरकार की पुलिस उन पर अत्याचार करे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? इसलिए अनुरोध है कि आज की कार्यवाही रोककर इस पर पूरे दिन चर्चा करायें ।

[समय 2 बजकर 18 मिनट]

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 28 जनवरी को लोकदल ने जो अपना आन्दोलन किया उससे 2-3 बातें साफ हो गई हैं । एक तो यह कि सरकार का जनहित की मांगों के बारे में कोई गम्भीर दृष्टिकोण नहीं रह गया है । जो लोकदल के आन्दोलन में प्रमुख मांग थी कि गांव का पैसा गांव को दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग थी कि जितनी स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं आज तक उनका चुनाव नहीं कराया गया है, खास तौर से नगर पालिकायों और नगर महापालिकाएं जितनी हैं उनमें 1968 से लेकर आज तक चुनाव नहीं कराये गए हैं और सरकारी अधिकारी वहां तैनात किए गए हैं, इसलिए इन संस्थाओं के चुनाव करायें । तीसरी मांग थी कि किसानों की फसल को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है वह मिलना चाहिए । स्थानीय मांगों को भी जोड़ा गया है । शिक्षा नीति समान तरह की चलाई जानी चाहिए जिससे सभी के बच्चे एक जैसे स्कूलों में पढ़ने जायं यह नहीं कि गरीब का बेटा खराब स्कूल में पढ़ने जाए और अमीर का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए। इस तरह से कुछ मांगें थीं जिनके संबंध में 28 जनवरी को आन्दोलन किया गया लेकिन आज तक प्रदेश सरकार के मुखिया श्री वीर बहादुर सिंह ने उन 5 मांगों के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि क्या करेंगे? मान्यवर, 28 तारीख को इस प्रदेश में 5 हजार से 25-30 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर गलत दफायें लगाई गई हैं । कई लोगों को रासुका में भी बन्द करने की कोशिश की गई है । जालौन और उरई आदि तमाम जनपदों में गोलियां भी चलाकर लोकदल कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है और उन पर सरकार द्वारा घोर दमनचक्र चलाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार ने सारी की सारी बसों का चलना बन्द कर दिया, शिक्षण संस्थाओं को बन्द कर दिया और प्रचार शुरू हुआ कांग्रेस सरकार की तरफ से कि आन्दोलन में कोई दम नहीं है। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि झूठ और असत्य बोलने का कितना अच्छा काम यह सरकार कर सकती है, लोकदल द्वारा आयोजित 28 जनवरी के इस कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया है । जनहित और लोकहित में किये गये किसी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन का जवाब लाठी-गोली से दे देने से समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा । आज भी गांव घोर उपेक्षा के शिकार हैं और उनमें रहने वालों का शोषण किया जा रहा है । आज भी स्वायत्तशासी संस्थाओं को अफसरों के हवाले रखकर उसमें गैर प्रजातान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसके चलते आज भी देश के 85 प्रतिशत बच्चे बिना छत के नीचे खुले में पढ़ने के लिए विवश हैं । इन सबके बारे में यह सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि कोई ठोस बयान देती तो समझ में आता कि इसकी जनतन्त्र में आस्था है । यदि प्रजातान्त्रिक मूल्यों में इसका जरा भी विश्वास है तो वह इस पर 1-2 घन्टे की चर्चा करा ले, ताकि जनता और सदन को पता चल जाए कि जिन जनहित की मांगों को लेकर हमने आन्दोलन किया था, उन पर आंख बन्द करके इस सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो विधायक पीटा गया है, उसको भी आप अपने बारे में बोल लेने दीजिए.....

(व्यवधान)

(सर्वश्री बलराम यादव, शारदानन्द अंचल व राम जनम अपने हाथों में फोटो लिए सदन के फ्लोर पर आ गये । श्री शारदा नन्द अंचल, श्री अध्यक्ष के पास फोटो दिखाने के लिए चले गये । श्री रामजनम ने अपने पीठ पर लगे चोट के निशान को अपना कुर्ता उतार कर, अध्यक्ष-पीठ की ओर अपनी पीठ करके दिखाया ।)

(संसदीय कार्य राज्यमंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह–

अभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने दो प्रकार की बात कहीं.....

श्री शारदा नन्द अंचल–

अभी नहीं, पहले आप राम जनम को अपनी बात कह लेने दें, फिर किसी को बोलने दें । पहले आप उनको अपनी बात कहने की इजाजत दें ।

(श्री रामजनम, श्री बलराम यादव के साथ अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राम जनम (सदन के फ्लोर से)–

हमारे यहां 10 आदमियों को गम्भीर रूप से चोटें लगी हैं, 10 आदमी पूरी तरह घायल हैं, तो पुलिस बल पर यह सरकार नहीं चलेगी ।

(सदन के फ्लोर पर आए हुए सभी सदस्य जोर-जोर से नारे लगाने लगे–जिस से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जांय।

श्री शारदानन्द अंचल–

इस पर 2 घंटे की चर्चा करवाइये।

(श्री सरदार सिंह व कुछ अन्य सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज के पास आकर कागज फेंकने लगे तथा जोर-जोर से नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित हुई। 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किये जाने की सूचना मार्शल ने सदन में दी। 3 बजे श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही का स्थगन 3 बज कर 30 मिनट तक और बढ़ाये जाने की सूचना मार्शल ने सदन में पुनः दी। पुनः 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही का स्थगन 15 मिनट तक और बढ़ाये जाने की सूचना मार्शल ने सदन में दी। तदोपरान्त 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

[समय 3 बजकर 45 मिनट]

मान्यवर, आज जो भी घटना हुई है उस घटना से आप दुखी हैं और मैं भी

दुखी हूं। यह माननीय सदस्यों को नहीं करना चाहिए लेकिन मान्यवर, इसका दूसरा भी पक्ष है कि माननीय सदस्यों के सामने रास्ता क्या है दूसरा? 28 जनवरी को रास्ता रोको आन्दोलन लोक-दल द्वारा चलाने का प्रस्ताव था यह प्रस्ताव दो ढाई महीने पहले से था। पूरे प्रदेश में हमारे दल के सभी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी थी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, इस बात का मुझे फख्र है कि किसी भी कार्यकर्ता ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की हिंसक घटना नहीं की। लेकिन सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से हिंसा की गई। इस आन्दोलन को दबाने और कुचलने के लिए कई जिलाधिकारियों ने धमकी दी की जो इस आन्दोलन में हिस्सा लेगा उसके खिलाफ रासुका का इस्तेमाल किया जायेगा, किया भी गया। गिरफ्तारियां की गईं और बाद में कहीं-कहीं के जिलाधिकारियों ने लोगों को छोड़ा है। 28 जनवरी के रास्ता रोको आन्दोलन में विधायक राम जनम को जो चोट आयीं वह आज भी मौजूद हैं, वह अपनी व्यथा यहां कहना चाहते हैं।

सरकार तो मान्यवर, हमेशा निरंकुश होती है, सत्ता पक्ष सहमत हो या न हो, जनता की आवाज बिपक्ष बोलता है। सरकार तो जनता की आवाज बोलती नहीं है। जो आन्दोलन था वह जनता की आवाज थी। जनता की आवाज को दबाने के लिये गोलियां चलाई गईं, कालपी में गोली चली मान्यवर, भोगनीपुर के भू0 पू0 विधायक माननीय सदस्य मौजी लाल कुरील हैं, उनसे शायद आप परिचित हों, सत्ता पक्ष के बहुत से लोग उनसे परिचित हैं, वह बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं और उनकी उम्र भी इस तरह की नहीं है। उनको पुलिस ने पकड़ कर हवालात में बन्द किया और उनके गुप्तांगों में डंडों से चोटें मारी गयीं, डाक्टरी रिपोर्ट में यह बात आयी है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? वहां की पुलिस दण्डित नहीं हुई। कहीं-कहीं पेशाब पिलाने की कार्यवाही की गई, घोड़े छोड़ दंगे अहिंसक लोगों पर तो रास्ता क्या है? यहां आकर हम नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम दो घंटे की चर्चा इस पर कराइये और एक माननीय सदस्य राम जनम को अपनी बात कह लेने दें। एक निवेदन मैं माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री से करूंगा जिन पुलिस कर्मी ने इस तरह का अमानुषिक कार्य किया है, मैं सब पुलिस वालों को नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ पुलिस के लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जिनके आचरण की जांच नहीं हुई है। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अमानुषिक अत्याचार किया, उनकी जांच कराकर उनको बर्खास्त किया जाय। आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जितने भी मुकदमें कायम किये गये हैं, सारे वापस लिये जायं और जो कालपी और जालौन में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाय। उसके साथ ही यह भी निवेदन है कि इस सम्बन्ध में श्री राम जनम जी को बोलने दिया जाय।

श्री राम जनम–

मान्यवर, 28 तारीख को अपने दल के निर्देशानुसार मैं जौनपुर बाजार में जो अपने विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है, रास्ता रोको आन्दोलन को सफल करने के लिये अपने साथियों के साथ अनुनय विनय कर रहा था, प्रार्थना और निवेदन कर रहा था कि हमारे दल के निर्देशानुसार 28 तारीख को रास्ता रोको आन्दोलन को सफल करना है। हम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से

निर्देश मिला था कि यह आन्दोलन शांतिपूर्ण ढंग से करना है। माननीय, साढ़े बारह बजे के समय एस0 आई0 राज बहादुर द्विवेदी, एस0 आई0 छेदी लाल और योगेन्द्र सिंह, सुरेश सिंह थाना जीयनपुर तथा जय नारायण गुप्ता आदि थाना सिधारी के लोग ये सब पहुंच गये। उनके साथ पी0 ए0 सी0 के जवान भी थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता। इन्होंने मेरी सदरी का कालर पकड़ लिया और एस0 आई0 राज बहादुर ने ललकार कर कहा मारो साले को। हम लोगों पर लाठी से प्रहार किया गया। मुझको गम्भीर रूप से चोटें आयीं। मेरे साथी गुलाम मोहम्मद, जानकी प्रसाद, वीरेन्द्र सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजपति, योगेन्द्र, सीताराम, हीरा लाल, ओम प्रकाश तथा ताज आदि को भी चोटें आईं। इसके बाद हमारे 38 साथियों को पकड़ कर ले गये और जेल में बन्द कर दिया गया।

(व्यवधान)

मुझे गम्भीर रूप से चोटें आईं। आजमगढ़ जेल में हम सब लोगों को बन्द कर दिया गया। बाद में हम लोगों को पता लगा कि भा0 द0 वि0 तथा क्रिमिनल एक्ट की धारा 147, 332, 336, 427, और 188, 379 लगाकर हम लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है...

(घोर व्यवधान)

श्री बलराम यादव–

श्री राम जनम अध्यक्ष जी की आज्ञा से बोल रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, आपका जो आदेश था, उसके अनुसार राम जनम जी यहां बोले हैं। माननीय, यह बात तो सच है कि हम लोग तो हैं जनता के दलाल और यह लोग हैं पुलिस के दलाल।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विषय पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं कार्य स्थगन के रूप में उक्त सूचनाएं अस्वीकृत की हैं और जो बाकी सूचनाएं आयी हैं, उनको कल के लिये स्थगित करता हूं।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में मैंने आपको लिखकर के दिया है।

[* * *]

(व्यवधान)

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय, महामहिम राज्यपाल के आचरण के ऊपर यहां पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। संविधान में भी इसका उल्लेख है। इसे आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के आचरण पर कोई टिप्पणी सदन में नहीं की जा सकती है।

(मेजों की थपथपाहट)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं [xxx] जब तक इस अभिभाषण पर यहां पर चर्चा होगी, तब तक के लिये मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार करता हूं।

नोट–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह कार्यवाही से निकलवा दिया जाय और इनकी भर्त्सना की जाय ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

[समय 3 बजकर 58 मिनट]

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि–

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 6 फरवरी, 1986 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपने असली भाषण पर आऊं मैं यह आवश्यक बात समझता हूं कि कुछ बातें शुरू में कह दी जायं । हम सब इस असेम्बली में पूरे सूबे से चुनकर अपने लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को पूरा करने के लिए जन साधारण के नुमाइन्दे की हैसियत से अपनी बात को रखकर, कानून में यदि कोई कमी हो, काम करने के ढंग में यदि कोई कमी हो, या फिर जनहित में किसी मामले पर रूल आफ ला नहीं चल रहा है और या फिर प्रोग्राम्स का सही एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा हो, तो हम सब अपने इस खास अधिकार के तहत अपनी बात यहां पर कह सकते हैं।

आपका अपना काम करने का ढंग है और हमारा यह काम है कि हम अपने प्रोग्राम्स और पालिसी यहां पर रखें । इलेक्शन कमीशन के नाते जो फैसला किया गया है और जो निर्णय दे दिया गया है और संविधान के तहत काम करने का जो अख्तियार दिया गया है और आपको विरोध पक्ष में बैठकर दिया गया है, इन दोनों में सिर्फ अन्तर यह यह है कि आप उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं।

हम नियमों से बंधे हुए हैं, और आप लोग भी नियमों से बंधे हुए हो और यह सदन नियमानुसार चलता है और माननीय अध्यक्ष जी भी स्वयं नियमों से बंधे हुए हैं। लोकदल के जो महान नेता हैं, मैं उनको भी जानता हूं कि वह नियमों के तहत किस प्रकार बंधे हुए हैं। वह इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि जिस प्रकार का आचरण किया जा रहा है और बार-बार यहां पर किया जाता है। तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाता है और तर्क बहुत कठोर होता है। अगर नरम जुबान से भी तर्क का उत्तर दिया जाय तो वह भी भारी पड़ता है। आप भी यदि सख्त से सख्त ढंग से कोई बात कहेंगे तो हम उसे सुनेंगे लेकिन कहने का एक ढंग होता है, एक अन्दाज होता है और एक लहजा होता है। लहजे के अलावा यदि हम कोई बात कहते हैं तो हम अपने कीमती वक्त को जाया करते हैं । अफसोस तो यह है कि सिद्धान्त को तसलीम करने की बात कह कर आपके नेता ने पूरी परम्परा और पूरी नियमावली को एक तरफ रख दिया जम्हूरियत के टुकड़े-टुकड़े कर दिये ।

मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण पर यह भी हो सकता था कि मैं प्रस्ताव करता या फिर इस आदरणीय सदन का कोई भी मेरा साथी प्रस्ताव करता और आप में से एक उस पर बोलता फिर हम सब फैसला कर लेते कि चलो इस प्रस्ताव को पास कर लिया जाय

और हम उसे पास कर लेते। . . .

मान्यवर, जम्हूरियत का तकाजा है, हमने उसके लिये 4 दिन, चूंकि नियम है, इसलिये रखे क्योंकि इसमें जो कमी है उसे आप कहें, जो अच्छी बातें हैं, उन्हें हम कहें ताकि जनता के सामने फैसला जाय और वह उसको देखें । यह फैसला दूसरी प्रकार भी हो सकता था कि इस पर बोलने का समय ही न दिया जाता, लेकिन हम जम्हूरियत के फैसलों को मानते हैं । इससे पहले कि मैं सीधी-सीधी बातों पर उतरूं, मैं एक-दो वाकया सुनाना चाहता हूं । सिर्फ जिक्र करना है ताकि अन्दाजा कर सकें कि मार कहां पड़ रही है?

एक साहब, जो कुछ जिद्दी तबियत के थे, कहने लगे कि दो और दो पांच होते हैं । दूसरे साहब ने उन्हें समझाया कि दो और दो चार होते हैं ।

एक सदस्य –

दो और दो तो पांच ही होते हैं ।

(तीव्र हंसी)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

वह घर गये, उन्होंने शर्त भी लगा दी । उनकी बीबी भी पढ़ी-लिखी थी । बीबी ने कहा कि दो और दो तो चार ही होते हैं, आप शर्त हार गये । उनके लड़के ने भी कहा कि आप शर्त हार गये । उन्होंने कहा कि दो और दो चार होंगे तो तब जब मैं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं कि दो और दो चार होते हैं, तो शर्त कैसे हार जाऊंगा?

दूसरा वाकया एक कमजोर और ताकतवर का है । एक लड़का बड़ी बेशर्मी के साथ सड़क पर पेशाब कर रहा था । उधर से एक शरीफ आदमी निकला, उसने कहा बेटा ऐसे मत करो, यह गलत है । इस पर लड़के का बाप घर से निकल आया, जो कि तगड़ा था, उसने उस आदमी को एक झापड़ मार दिया । इसके बाद चूंकि वह शरीफ आदमी था, उसने अपनी बात पलटी और कहने लगा कि वाह, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है । इसी काम को तुम अपने घर की छत से करो तो और अच्छा होगा । इस पर वह लड़का अपने घर की छत पर चढ़ गया और उसने वहां से काम करना शुरू कर दिया । इतने में उधर से एक बलवान सिंह निकले उनके ऊपर जब लड़के का पेशाब पड़ा तो वे लड़के के घर घुस गये और वहां जाकर उन्होंने लड़के को और उसके बाप को दोनों को मारा, तब उनकी समझ में आया कि वह गलत काम था ।

इसी प्रकार, अगर आप जम्हूरियत और शाइस्तगी से बात मान जायेंगे तो ठीक है । आपने नारा दिया कि "रास्ता रोको", मैं पूछना चाहता हूं आप किसका रास्ता रोकेंगे ? आपने कहा कि जनता का पक्ष, विपक्ष का पक्ष है, अगर ऐसा होता तो आपका आन्दोलन सफल होता, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ ।

(घोर व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी–

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में जम्हूरियत गिरा दी और यहां जम्हूरियत का उपदेश दे रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 140 दिन हो गये हैं, श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार को और इस अर्से में जब अभिभाषण को पूरा पढ़ा गया, देखा गया उसके एक-एक पैराग्राफ को ।

आपने तो उसे पढ़ने भी नहीं दिया, पढ़ा हुआ मान लिया गया । तो मैं कर रहा था कि उसको देखने के बाद उसका अध्ययन करने के बाद नीतियों को, उसकी बारीकियों को और आगे के लिये उसमें जो कार्यक्रम लाये गये हैं, जो प्रोग्राम तरदीव हुए हैं चाहे वो कृषि के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे आबपाशी के हों, चाहे खेतिहर को मजदूरी देने के लिये हों, चाहे गन्ने के दाम को बढ़ाने के लिये हों, सारे प्रोग्राम इस प्रदेश के लिये, यह प्रदेश जो कि काश्तकारों का प्रदेश है, जहां इण्डस्ट्रियलाईजेशन के लिये जोर मारा जा रहा है ताकि प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़े और इसका चौतरफा विकास हो और नेशनल लेविल पर इसका सामंजस्य हो सके और हम प्रगति के रास्ते पर चल सकें, यह सब बातें उसमें दी हुई हैं ।

हमारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्रोग्राम है । मैं एक-एक करके आपको संक्षेप में उन प्रोग्रामों की उपलब्धियों के बारे में, नये-नये कार्यक्रम जो आते हैं उनके बारे में बतलाना चाहूंगा । जिसमें बुनियादी सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त हो ।

श्री विजय सिंह राणा–

बुनियाद तो उधर ही है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

राणा जी, यह काम मैं भी जानता हूं । तो मैं कह रहा था कि बुनियादी बात यह है कि माहौल और फिजा कैसी बने प्रगति के लिये । तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने के लिये उतना मुमकिन नहीं है, तरक्की की गति तब बढ़ती है जब जनता में पीस हो, शान्ति हो, सुकून हो और प्रशासन चुस्त हो और देखने वाले अपनी नजर उस तरफ ही रखें और वह देखें कि काम किस तरह से चल रहा है। मैं देखता हूं कि प्रशासन चुस्त करने के लिये, प्रोग्राम को देखने और समझने के लिये वेरीफिकेशन किस-किस स्तर पर, क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं, यह सब देखने की जरूरत है ।

आपको मालूम है कि माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार, जिसका कि उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मिलता है –

(व्यवधान)

तो मैं अर्ज कर रहा था कि प्रशासन को चुस्त बनाने के लिये सबसे पहले काम हमारी पार्टी ने, इस सरकार ने जिसका कि नेतृत्व वीर बहादुर सिंह जी कर रहे हैं, उसके द्वारा कई कदम उठाये गये हैं । सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है जो कि सबसे बुनियादी कदम है कि पूरे सूबे के सिविल केसेज और जमीन के कब्जे और ना-कब्जे के मुकदमें जो कि आपकी तरफ से माईट और राईट से कब्जा न देने के लिये था उसको रोकने के लिये, उसको खत्म करने के लिये .....

(व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मा0 जाहिदी साहब जी रख रहे हैं और इनके बाद अभी मा0 नेता विरोधी दल बोलेंगे और अन्य नेतागण बोलेंगे । मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा बनानी चाहिये जिससे कि किसी के बोलते समय कोई

अवरोध न उत्पन्न करे । अभी नेता विरोधी दल बोलेंगे तो इधर के लोग भी बाधा डाल सकते हैं । अगर उधर के लोग इस तरह का आचरण करेंगे तो इधर के लोग भी वही कर सकते हैं । इसलिये यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा जा रहा है तो इस तरह की टोका टोकी शोभा नहीं देता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

हाउस में जब सदन चल रहा हो, तो टीका टिप्पणी या रनिंग कमेंटरी हुआ करती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इधर कुछ अति हो गयी है । मैं निवेदन करूंगा कि इस अति को रोकें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

तो मान्यवर, मैं एक-एक करके राजस्व के सम्बन्ध में जो सुझाये गये कदम हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मंडल स्तर पर जो कमिश्नर थे, उनको अधिकार दिये गये हैं, बहुत दिनों से उनकी क्लैरिकल पोजिशन बनी हुई थी और उनके पास उससे अधिक कार्य नहीं था। उनको अब यह मौका दिया गया है कि वह 'डेवलपमेंटल प्रोग्राम की समीक्षा कर सकें, उन जिलों को जहां पर वह हैं। यही नहीं बल्कि जो फैसले जज की ओर जाते थे और उनमें सालों लगते थे, उन मामलों के फैसले भी उनके पास अपील में जा सकते हैं और वह उनका निर्णय कर सकते हैं। उनके नीचे के कार्य को मजबूती से चलाने के लिये यह फैसला लिया गया है कि वह दूसरे दर्जे तक के जितने मुलाजिम हैं उनके ट्रान्सफर, स्थानान्तरण वह किया करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उनके ट्रान्सफर में भी वह अपनी संस्तुति किया करेंगे ।

मान्यवर, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, पूर्वान्चल के 15 जिलों में चीफ रेवेन्यू आफीसर जो डी0 एम0 लेविल का है कि नियुक्ति की गयी है । अभी एक जिले में देखा गया है कि वहां पर 1 लाख 42 हजार मुकदमें जो सिविल के हैं और लगभग इतने ही मुकदमें जो क्रिमिनल के हैं । जहां पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में मुकदमें हों उनका निबटारा 10–10 साल तक नहीं किया जा सकता है, तो इससे गरीब किसान, कमजोर आदमी जिसको जमीन मिली है, वह किस तरह से काम कर सकता है और किस तरह से तरक्की कर सकता है । तो मान्यवर, हम प्रशासन को चुस्त करना चाहते हैं, हर लेविल पर चुस्त करना चाहते हैं । अगर हम जिला लेविल पर समीक्षा करें, आयुक्त लेविल पर समीक्षा करें और स्टेट लेविल पर समीक्षा करें और जब यह वेरीफिकेशन होता जायेगा तो हमारे काम की प्रगति होगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, जिस टारगेट को लेकर हम चले हैं, उसमें प्रगति होगी ।

मान्यवर, मैं इसी सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह के मामले हैं जिनमें आदमी का पहुंचना जरूरी है, परन्तु जिला लेविल पर अफसरान के पास काम अधिक होता है, इसलिये वह स्पाट पर पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिये इस बात को देखते हुये यह फैसला किया गया है कि इस अधिकार को कानूनगो को सौंप दिया गया है । पहले लेखपाल दस्तावेजों में इन्दराज करते थे लेकिन अब कानूनगो को अख्तियार दिये गये हैं कि वे कचहरी का चक्कर न काटें बल्कि स्पाट पर जाकर उनकी

मुकम्मल कर दें इसमें कोई कमी होगी तो आगे आप कहेंगे। लेकिन जो सिलसिला जारी है और जिसका अधिकार है, वह उसको देना चाहिए। इसमें यह बात बनती है। ऐसे जिले हैं 17 तकरीबन, जिसमें अतिरिक्त एस0 डी0 एम0 बनाये जा रहे हैं, ए0 एस0 डी0 एम0 बनाये जायेंगे जिनकी पावर एस0 डी0 एम0 के बराबर होगी, जहां पर पांच लाख से ज्यादा आबादी है। रवेन्यू के सिलसिले में जो और काम किये गये हैं उनकी सराहना इसलिए मुझे करनी पड़ती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, जो बहुत दिनों से फैसले के लिए पड़ा हुआ था उन पर यह फैसला लिया गया है और मैं समझता हूं कि यह क्रान्तिकारी कदम राजस्व विभाग का ही नहीं बल्कि प्रशासन की उस सीढ़ी को चुस्त करेगा, उसको मजबूत बनायेगा जिस पर छोटे किसानों की जिन्दगी निसार है जिस पर गरीब किसानों की जिन्दगी निसार है, जिनको जमीनें मिल रहीं हैं उन लोगों की निसार है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे वह ऊपर उठेंगे ? इसलिए इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।

मान्यवर, दूसरी तरफ ला एण्ड आर्डर, कानून की वालादस्ती, रूल आफ ला यह एक इम्पार्टेन्ट काम है किसी मुल्क की तरक्की का। इसीलिए संविधान में यूनिटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके बगैर प्रगति हो नहीं सकती। यदि पीस नहीं है तो भाइयों में चाहे एक ही मजहब के हों, मस्जिद नहीं बनती, मंदिर नहीं बनता। यह प्रदेश की तरक्की का सवाल है, अगर इनमें तनाव है तो प्रदेश की तरक्की कैसे होगी? मैं यह अर्ज कर रहा हूं रूल आफ ला की इम्पार्टेन्स का, अगर रूल आफ ला चले तो प्रगति भी बढ़ेगी। प्रगति तभी बढ़ेगी जब रूल आफ ला होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले भी 20-25 मिनट दिया गया है आप कितना समय लेना चाहते हैं?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं पिछला रिकार्ड ले आया हूं कि कितना समय दिया गया है? इसमें समय ज्यादा दिया गया है और इसमें एक घंटे सवा घंटे जो हमारे माननीय सदस्य लाल प्रताप जी बैठे हैं, वह बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

हमेशा 20–25 मिनट ही दिया जाता रहा है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है इसलिए आप समय निर्धारित करें जो 10–15 या 20 मिनट दिया गया हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस अमन को कायम करने के लिये और इस मामले को लेने के लिये किस तरह से हमारी कानून व्यवस्था सही हो, हमने एक फैसला लिया और हम एक अध्यादेश उसके लिये लाये। एक अध्यादेश पहले इसी असेम्बली के सामने पेश किया गया है जो गुन्डा उन्मूलन के नाम से है। (व्यवधान)

माननीय माता प्रसाद जी, इसका फैसला तो आपके कार्यक्रम पर होगा। किसी को कोई बन्द नहीं करता। यह उसके कार्यक्रम पर निर्भर करता है। मान्यवर, मुझे 4/5 बातें जो बहुत इम्पार्टेन्ट हैं, वह कहनी हैं। एक

तो यह कि एक जमाना था कि चोर उचक्के और खादी पहनने वाले, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों नजर नहीं आया करते थे लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि अब वे लोग कत्ल और डकैती करते हैं मारा-मारी करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, शरीफों को जिन्दगी जीना हराम करते हैं और आज हमारे मंच पर खड़े होकर उनकी पैरवी करते हैं और हमसे उनकी पैरवी करने की बात करते हैं। यह परम्परायें किस हद तक पहुंचेगी? (व्यवधान)। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें सबसे बड़ी बात माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठायी थी।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इस मामले में एक कमेटी बना दी जाय। (व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

कहा जाता है कि कत्ल के मुल्जिम को इसलिये नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि उसके गवाह नहीं मिलते हैं और यदि गवाह मिल भी जाते हैं तो उसकी जान को खतरा होता है। क्या रूल आफ ला इसको कहते हैं? जो शरीफ लोग हैं, वे परेशान नहीं हैं? जो जुर्म करें, वह बचे नहीं इसके लिए अध्यादेश में व्यवस्था की गई है ऐसे मामलों के गवाह की गवाही क्लोज डोर्स में होगी और गवाहों को पेश भी किया जा सकेगा। यह जज को और प्रोसीक्यूटर को मालूम होगा। यह बात उस अध्यादेश में सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आधार पर कही गई है। लोग गवाह को देख सकेंगे। पुलिस प्रशासन में जो जरूरी बातें थीं, थानों की संख्या कम थी उनको बढ़ाने का प्राविधान किया जा रहा है। हर चौकी पर मुकम्मल तौर पर टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाय, इसकी व्यवस्था हो रही है। यही नहीं, इसी तरह से सर्किल आफीसर्स बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है ताकि इस तरह के लोगों को देखा जा सके। जो लोग ऐसा काम करते थे वे आज हमारे बीच में राजनीति में आ गये हैं, उनको बढ़ावा न मिल सके इसलिए यह अध्यादेश लाना पड़ा। आज अखबार में कहीं नहीं निकलता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। अखबारों में आता था कि बन्दूकों के जरिये टेन्डर दिये जाते थे लेकिन आज वही टेन्डर का सिस्टम बदल दिया गया। यह है रूल आफ ला। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि हर आदमी अपनी तिजारत कर सके, बच्चे स्कूल जा सकें, वे पढ़ सकें, मास्टर पढ़ा सकें, नौकरी करने वाले अपनी नौकरी में जा सकें . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

स्कूल है ही नहीं, बच्चे कहां जायं?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि बच्चे पढ़ें, मास्टर पढ़ायें, टीचर्स और कर्मचारी अपने काम पर जा सकें। लोग 10 बजे सेक्रेटेरिट में आ जायं, 5 बजे जायं। बीच में समय न लें। जहां हमको शिकायत होती है, मैं आपके ऊपर नहीं कहता हूं लेकिन जो आम चीज है उसके बारे में कह रहा हूं। जो चीज हमारे पास नहीं पहुंचती है उसके लिए जम्हूरी रास्ता कबूल नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए हमें जनतांत्रिक रास्ता अपनाने की बात करनी चाहिये। मान्यवर, रूल आफ ला का मतलब है

जो जिस व्यवसाय में लगा है देश की प्रगति के लिए उसमें वह लगा रहे। इसलिए प्रदेश में अमन जरूरी है उसको लाने के लिए आपका भी उतना ही दायित्व है जितना इधर के लोगों का है। रूल आफ़ ला में आपको सहयोग करना चाहिये। इस पर आपको सोचना चाहिए हम तो उसमें लगे ही हैं, ऐसे लोग जो चोरबाजारी कर रहे हैं, जो जुआं खिलवा रहे हैं, जो गुण्डा गर्दी करवा रहे हैं, जो आतंकवाद में लगे हैं, हाईजैकिंग करते हैं उनको इस कानून के तहत जो हमारी सरकार ला रही है, में गिरफ्तार किया जा सकेगा।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी आप आपत्ति कर रहे हैं। यह सोचने की बात है कि इसका क्या नतीजा होने वाला है। हमारा पी0 जी0 आई0 बन रहा है, नये नये किस्म के रिसर्च हो रहे हैं, इम्यूनलाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। सातवीं योजना तक हमारी कोशिश है कि सबके लिए स्वास्थ्य की गारन्टी होगी।

कृषि के मामले में हमारे कृषि मंत्री जी को मारकेटिंग में शील्ड मिला है। भारत वर्ष में सबसे प्रथम नम्बर पर हम आये हैं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह अशोक चौधरी को नहीं लाये हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

इनाम है कप की शक्ल में जो एप्रीशियेशन में दिया जाता है, अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में अच्छे नहीं चले तो हमारी हालत क्या होगी? यह सोचने की बात है। मान्यवर, हमारा सूबा 297.5 लाख हेक्टेयर में है जिसमें 173.80 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैण्ड है जिसमें से 11.20 लाख हैक्टेयर ऊसर जमीन है। इस समय हम 57 प्रतिशत जमीन में ही पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। हम हर खेत को अभी पानी नहीं दे पाये हैं हमारी कोशिश है कि हर खेत को पानी मिले यह हमारा सिलसिला है। हमारी यही कोशिश है कि खेती की तरक्की हो चाहे खेत को पानी मिल सके चाहे बैराज बनाकर पानी दें, या पम्प सैट से दें या बिजली के पम्प सैट लगा कर दें। 35 लाख हेक्टेयर को हम ट्यूबवेल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य गंगा प्रोजेक्ट बना लिया, रोहिणी बना लिया, तो कहने का मतलब कि यह बैराज बन गये हैं जिनसे काम हो रहा है। आज हाई टेक्नालोजी का सिलसिला आया है और उसमें कोशिश हो रही है कि एक तरफ तो बिजली का प्रोडक्शन बढ़ायेंगे, थरमल से बिजली बनायेंगे और रिहन्द के जलाशय का कम से कम इस्तेमाल करेंगे जिसका नतीजा है कि उससे सिंचाई की जा सकेगी और जो गर्मी में परेशानी सिंचाई की होती थी वह अब नहीं होगी। अब कोशिश की जा रही है कि थरमल में 10 प्रतिशत ईंधन की कमी किन्तु 15 प्रतिशत प्रोडक्शन में अधिक बढ़ोत्तरी करेंगे तो यह हाई टेक्नोलोजी की बात है। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है। इससे महसूस करते हैं कि 25 प्रतिशत की कमी को इस तरह से पूरा कर ले जायेंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, हमारी आबादी दो हजार सन् में 17 करोड़ होनी चाहिए। उसके लिए 460 लाख मैट्रिक टन

अनाज चाहिए। इसलिए हमारी दिशा, हमारा रुख इस प्रकार का हो कि हम बढ़ोत्तरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं। हम देखते हैं कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल का लक्ष्य 202 लाख मैट्रिक टन रबी की फसल के लिए रखा गया है। 90 हजार टन चावल खरीद लिया है, 21 लाख टन गेहूं खरीदा और आलू के केन्द्र बना दिये गये हैं और बड़ी तादाद में मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की गयी है जिसमें 6 एजेन्सियां काम कर रही हैं।

मान्यवर, आज हमारा दबाव जमीन पर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है। इसलिए शहरों से गांव की तरफ जाना चाहिए, गांवों को कस्बे बनाना चाहिए और कस्बों को शहर बनाने की आज आवश्यकता है। इसी को देखते हुए एक मिनी इंडस्ट्रियल सेक्टर हर जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है और उद्योग एवं फर्टीलाइजर प्लान्ट लगा रहे हैं। आपका प्रस्ताव है, स्माल स्केल इंडस्ट्री पर आप जोर दे रहे हैं, उससे अच्छा हमारा प्रस्ताव है कि एक लाख यूनिट कायम करने का हमने लक्ष्य बनाया है। यह लक्ष्य बड़ा है, इसको कायम करने में बहुत समय लगेगा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 हजार ट्रेन्ड व्यक्ति होने चाहिए जो सूबे में इंडस्ट्री लगा सकें।

मान्यवर, अब सवाल है कि शांति और अमन को कायम करने के लिए अकलियतों में हरिजन भाइयों में, इस सिलसिले पर घंटों बोलने के लिए तैयार हूं, "अगर सुनिए तो वर्षों तक न रुकेगी जुबां मेरी, गर न सुनिए तो बहुत ही मुक्तसर है दास्तां मेरी।"

मान्यवर, हमारी जो उपलब्धियां हैं वह अभिभाषण में पूरी की पूरी दी गयी हैं, टारगेट दिये गये हैं और उसके साथ उनको पूरा करने की बात की गयी है। मुझे भी सुझाव देना है, मेरा भी दिल चाहता है कि बोलूं और सुझाव दूं। टारगेट और रियल टारगेट बनाने की आवश्यकता महसूस करता हूं। 1237 बसें चलाई जा रही हैं, नई बसें आ गई हैं अब चलेंगी। आप कहते हैं कि अनुबन्धित बस चलें। अकलियतों के लिये निगम बनाया गया है और यह भी किया गया है कि अब आगे से सभी चयन समितियों में अकलियतों का एक मुनाइन्दा हुआ करेगा। तो उनको ऊपर उठाने का हर प्रयास किया जा रहा है। (लाल बत्ती होने पर) अभी दो मिनट का समय और हमें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मनोहर लाल–

मैं श्री जाहिदी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं यहां पर, वह चाहें तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

वह बैठ नहीं रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अकलियत की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्य किये गये हैं। उनके सामने जो दिक्कतें हैं वे जजबात के आधार पर अदालतों के फैसले के कारण हैं। किन्तु उनको एक्जीक्यूटिव के फैसले से हम बदल नहीं सकते हैं। हमारी नेता इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी एक बार कोर्ट ने प्रतिकूल फैसला दे दिया था, उसके प्रति हम लोगों के मन

में और जनता के दिलों में घोर असंतोष था, किन्तु उस सबके बावजूद भी हम उसको बदल नहीं सकते थे। जहां तक अकलियतों और हरिजनों को ऊपर उठाने की बात है, इसमें साथ में एक अन्य कमजोर वर्ग भी आता है। मैं चाहता हूं कि इसकी व्याख्या होनी चाहिये। क्या ऊंचे वर्ग के लोग दो वक्त की रोटी नहीं खाते हैं। इसलिए आर्थिक लाइन पर ही इसको हल करने की पूरी कोशिश और तैयारी की जा रही है। जिनको जाति के आधार पर नहीं मिलता है, उनको आर्थिक लाइन पर ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारी, हमारे नेताओं और हमारे लोगों की कोशिश यह होती है कि एक लाइन पर हम एक तरह से अपने रूल को चलाएं, हमारे जो प्रोग्राम हैं वह अधिक से अधिक कामयाब हों, हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठा सकें। आपके यहां मुखतलिफ फैसले होते हैं। जिन सवालों पर आपके नेता उत्तेजित होते हैं, उन पर आप अपने महान नेताओं की राय भी मालूम कर लिया करें, तो अच्छा रहे। इसलिये मैंने यह बात कही है, हमारे भाई राजेन्द्र गुप्त जी ने अभी एक बात कही, तो वी0जे0पी0 की एक्जीक्यूटिव से कौन निकाला गया है (व्यवधान) यह एक सिलसिला है, जो आप लोगों के यहां चल रहा है। जिन सवालों को लेकर आप उत्तेजना पैदा करोगे, उन पर आपके नेता की राय नहीं है। मेरे नेता ने बार बार कहा है, पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा है, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने कहा है कि हम मजहब के मामले में कोई दखल नहीं देते हैं, जैसा निर्णय वह करेंगे उसको हम मानेंगे। अब मैं अपनी बात खत्म करते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि कितना अनुदान कृषक लोगों को दिया गया है वह अनुदान अपने में देखने की चीज है और उससे फायदा उठाने की चीज है। आप उसके बारे में अपने यहां के किसानों को बताएं और उनको वह उपलब्ध करायें।

यह काम हम सबको मिलकर करना है।]

श्री उपाध्यक्ष–

जाहिदी साहब समाप्त करें।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर गरीबों को तरक्की के रास्ते पर लाना है तो कांस्टीट्यूशन की इस बात को मानना होगा कि अमन नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी। जो शक्तियां प्रगति को रोकना चाहती हैं आतंक के जरिये, टेरोरिज्म के जरिये उनको हमें रोकना होगा। एक दिन की बंदी से डेढ़ अरब का नुकसान होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रगति हो आप दबाव डालते हैं कि प्रगति हो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टैक्सेज कम कीजिये तो फिर रिसोर्सेज कहां से आयेंगे। यह पैराडाक्टस नहीं चलेगा। अगर तरक्की करनी है तो रिसोर्सेज ढूढने पड़ेंगे। तो दो मन से बात न कीजिये या तो तरक्की की बात कहें या फिर तरक्की को रोकने की बात कहें। इन शब्दों के साथ प्रगति की ओर बढ़ते हुये यह कदम जिसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी के पालिसी मैटर में है और जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, हम उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस प्रस्ताव को पास करें।

"एक चेहरा इसी चेहरे पे लगाये रखिये,
लोग पहचान न लें खुद को छुपाये रखिये।"

[समय 4.45]

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने माननीय साथी जाहिदी साहब के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्रीमन् अभिभाषण पर मैं कुछ कहूं इसके पूर्व अभिभाषण से पूर्व जो घटनायें हुयीं, अगर आप अनुमति दें तो दो लाइनें मैंने जो लिखी हैं उनको पढ़ना चाहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा:–

"राना ही रावण बन बैठे मेवाड़ में नींद नहीं आये,

फिर वर्क साहब का फर्ज है क्या जो वाजदार बन कर आये।"

माननीय माता प्रसाद जी चले गये थे अब आ गये हैं, मैं गुजारिश करूंगा

"माननीय सदस्य माता प्रसाद पानी के गुब्बारे भर लाये,
और देख नुमाइंदों की करनी प्रदेश की जनता शरमाये।"

(मेजों की थपथपाहट।)

श्रीमन्, दो लाइनें और जोड़े देता हूं–

"जब राज्यपाल पद गरिमा का ध्यान हमें ही ना होगा,
कानून बनाने वालों का डंडे घूसे से आदर होगा,"

बच्चे का बचपन यहां नहीं, यह सदन सदस्यों की गरिमा,
मेंटे न इसे यह अमर रहे, यह अमर शहीदों की महिमा।"

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, माननीय सदन में जो घटनायें हुयीं उसके बारे में यह मैंने लिखा है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे दिल में अनादर की भावना नहीं है।

श्री विजय सिंह राना–

"ये शांति अहिंसा सदाचार के नारे,
हीरा मोती पन्ने पर लिखकर मत दिखलारे।
हम पेट की पीड़ा के हैं मारे,
और हृदय में जलते रहते हैं शत-शत अंगारे।"

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वैसे ही एक संदेश होता। जैसा हमारे संविधान में प्रिर्योबिल है, उसमें एक संदेश दिया गया है कि इस प्रकार के समाज की रचना हमें करनी है और यह कार्य अपने देश में करने हैं।

वैसे ही महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो है वह एक संदेश होता है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी की सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करने जा रही है और इस पर बहस तो हम लोग करेंगे और इस पर प्रस्ताव भी पारित होगा परन्तु इस अभिभाषण पर निर्णय तो जनता लेगी और पिछले 5 अभिभाषणों पर भी जनता ने निर्णय लिया तभी हम लोग यहां इस रूप में मौजूद हैं और इस अभिभाषण सहित पांच अभिभाषणों पर फिर जनता ही अगले 5 वर्षों के बाद निर्णय लेगी। हम तो पिछली उपलब्धियों की बात करते हैं आने वालों की बात नहीं करते। अब श्रीमन्, मैं सिर्फ दो एक बातों पर और आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं क्योंकि समय थोड़ा है और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। केवल 2-4 आंकड़े जो हमारी सरकार के लक्ष्य हैं, उन्हीं को आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें सर्वप्रथम कृषि उत्पादन के बारे में कहना चाहूंगा। कुछ लोग अपने को किसान का हमदर्द कहते हैं लेकिन समय जब आया तो मालूम हो गया कि कौन किसानों का हमदर्द है?

आज माननीय, किसानों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसी को यह देन है जो आज इस क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है लेकिन बहुत से हमारे साथी इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं हैं कि इतना-इतना उत्पादन कैसे हो गया? इसलिए इन आंकड़ों पर उन्हें विश्वास नहीं आता है कि गेहूं का उत्पादन इतना कैसे हो गया है? फलां का उत्पादन इतना कैसे हो गया? परन्तु सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिक उत्पादन अंदाजे से अधिक के कारण ही खरीद केन्द्रों पर खरीद में समस्या पैदा होती है। कृषि उत्पादन में समस्या अब भी है और तब भी थी पर इनके सामने भुखमरी की थी, हमारे सामने आशाओं से भी अधिक की है। विद्युत सप्लाई के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जितनी कटौती पहले होती थी, उतनी न होकर अब बहुत कम रह गई है। पिछले वर्ष उद्योगों पर कटौती 33 से 50 प्रतिशत थी अब 33 से अधिक कहीं नहीं है। पिछले वर्ष लोड फैक्टर 35 परसेंट था, 84 की दुर्घटना के कारण इस वर्ष हमने 45 प्रतिशत किया है और आगे 31 मार्च, 86 तक 55 प्रतिशत का लक्ष्य है देहात का औसत सप्लाई 7 घंटे के लक्ष्य के विपरीत 9 घंटे है। साथ ही मान्यवर, निजी क्षेत्रों निजी उद्योगों में पहले उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रहा परन्तु अब हम इस ओर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और जहां तक बड़े-बड़े उद्योगों की बात है, जैसे 4 बड़े खाद कारखाने एरोमैटिक्स कारखाना उसका ताल्लुक भारत सरकार से है और उनमें पूंजी निवेश भी वह तथा बड़े बैंक ही करते हैं। उनका भी उत्थान हो रहा है परन्तु जो छोटे लघु उद्योग हैं और इनके पनपने की जो बात है वह इस अभिभाषण में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि करीब 20 हजार उद्यमियों को प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग दी जायेगी कि वह अपने पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार करें? उद्योग को कैसे चलायें? पहले होता यह था कि उन्हें पैसा दे दिया जाता था परन्तु इसकी ट्रेनिंग उन्हें नहीं दी जाती थी और उद्योग फेल हो जाते थे। अगली पंचवर्षीय योजना में एक लाख छोटे उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य है। मान्यवर, हमारा लक्ष्य यह है आने वाले पांच वर्षीय योजना में कि लघु उद्योग को और उठाया जाय और इस ओर लोगों को अधिक प्रोत्साहित किया जाए इसलिए हमारे बुनकर भाइयों के उत्थान के लिये दो योजनाएं एक सामूहिक बीमा की और दूसरी बचत योजना प्रारम्भ करने की है। लघु क्षेत्र में हमारी सरकार जो उनको प्रोत्साहन दे सकती है वह देगी और मान्यवर, तीसरे यह सिंचाई व्यवस्था को भी हम चुस्ती से काफी हद तक आगे बढ़ा रहे हैं पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का सिंचन सिर्फ निजी नलकूपों से हुआ था जो अपने आप में एक रिकार्ड है कि अपनी क्षमता तथा लक्ष्य से भी अधिक कार्य किया गया

है। पहले इतनी सिंचन क्षमता का एक वर्ष में सभी साधनों को मिलाकर भी विस्तार नहीं हुआ। यह अपने आप में कीर्तिमान है। आने वाले 5 वर्ष में भी 35 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ाने का विचार है। और श्रीमन्, इसके साथ हमारे जो ग्रामीण विकास के दूसरे पहलू थे, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली दफा हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने इस बात की व्यवस्था की है कि ब्लाकों तथा आर0 ई0 एस0 इत्यादि के द्वारा बनाई जाने वाली जिन सड़कों के रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं था, उनकी मरम्मत भी नहीं हो पाती थी। अगर 10 ईंटे भी उखड़ जाते थे, तो सारी सड़क धीरे-धीरे बेकार हो जाती थी। इस बात को सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उनकी मरम्मत के लिए कहीं पर भी प्राविधान नहीं था। तो पहली बार हमारी सरकार ने उनकी मरम्मत के लिए पैसे का प्राविधान किया और ये जो स्थायी परिसम्पत्तियां बनी हुई थी, उनके स्थायी रख-रखाव का इन्तजाम हुआ इसी तरह जीर्ण शीर्ण स्कूलों की मरम्मत का कार्य हुआ है। 46 हजार विधवाओं और विकलांगों के भरण-पोषण की समस्याओं को हल करने की कोशिश की गयी है।

भूमि-व्यवस्था के लिए जो अतिरिक्त राजस्व अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, 15 पूर्वी जिलों में, जहां पर भूमि विवाद अधिक थे, लड़ाई-झगड़े थे, तथा बड़े-बड़े भूमिपति कमजोर लोगों को भूमि पर कब्जा नहीं देते थे, जो बड़े-बड़े जमींदार थे, हरिजनों को कब्जा नहीं होने देते थे, अब ये अधिकारी मौके पर जाकर उन्हें कब्जा दिला सकेंगे, क्योंकि इनका यही कार्य होगा। 35 तहसीलों में अतिरिक्त परगनाधिकारी तथा 88 तहसीलों में अतिरिक्त तहसीलदारों की नियुक्ति की गयी है। इस प्रकार से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की कोशिश की गयी है और ये आंकड़े इस सरकार के अथवा भारत सरकार के नहीं हैं जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि ये आंकड़े कांग्रेस सरकार के हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय के हैं, क्योंकि वही इस योजना को सुपरवाइज करता है। लोक अदालतों के जरिये से अधिक से अधिक वादों को निपटाने का प्रयास किया गया है और इसमें प्रदेश, सारे देश में दूसरे नम्बर पर है। जिस प्रकार माननीय जाहिदी साहब ने जिक्र किया, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है कि कानून और व्यवस्था ठीक रहे।

वर्ष 1980 की स्थिति का आंकलन आप कर लें। उस समय के अखबारों की सुर्खियों में रोज खबर रहती थी, 50-50, 60-60 डकैतों के गिरोह खुलेआम डकैती डालते थे। उन्हें समाप्त करने के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत डकैतग्रस्त घोषित जिलों में पुलिस को वह सारे अधिकार जैसे कि डकैती से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करना तथा विशेष न्यायालय में मुकदमें चलाना भी शामिल था. दिये गए । इस समय जो गिरोहबन्दी को समाप्त करने का अध्यादेश जारी हुआ है, उसमें भी अब सफेद पोश डकैतों को जो हथियारों से नहीं बल्कि अपने आतंक तथा दबिश से लोगों को आतंकित करते हैं उसके लिए प्राविधान किया गया है। वैसे मैंने पहले ही कह दिया कि राम राज्य तो अभी नहीं आया है। और अपराध अभी भी होते हैं। अब जो दूसरा प्रहार है, वह

सफेद पोश माफिया डकैतों पर है, जो कार-तूसों की पेटियां लगाये हुए और कंधों पर बन्दूक टांगकर घूमा करते थे, उनको तो समाप्त कर दिया है और अब जो अपने छोटे-छोटे साम्राज्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अध्यादेश आया है । जो 1982 में कानून बना था, उसका सही नतीजा सभी के सामने है । इसका भी नतीजा सही होगा और जल्दी सामने आ जायगा। किसी भी सरकार ने दुनिया में कानून बनाया है, तो किसी न किसी ने उसका दुरुपयोग अवश्य किया होगा । परन्तु इसी वजह से दुरुपयोग होगा कानून नहीं बनायेंगे, तो हम इस विधान सभा में अपंग होकर रह जायेंगे । यह ऐसा है जैसे–

"आने वाले किसी तूफां का रोना रोकर,
नाखुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा।"

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, "मुंह है एक, जीभ है दो-दो, यही बहुत खलता है, यहां डबल थिंकिंग चलता है ।"

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में मैं कुछ कह रहा था । हमें यह भी मालूम है कि इस कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ छोटे-बड़े लोग इसके रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे । डकैत प्रभावित 12 जिलों के लिए कानून बनाया गया, उसमें करीब 200 पुलिस कर्मियों ने अपनी पूर्ण आहुति, पूर्ण बलिदान, अपनी जानें दीं और इस नए कानून को भी लागू करने में अगर पुलिस फोर्स को बलिदान देने की जरूरत पड़ी, तो मुझे विश्वास है कि वह कभी नहीं छोड़ेगी । वह करेंगे । परन्तु यह बातें यह समझ नहीं सकते । इनकी विचारधारा कुछ और ही है । हम नए रास्ते बनाने की बात करते हैं, स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे बनाने की बात करते हैं कच्ची सड़कों को पक्की कराने की बात करते हैं, जहां कच्ची पुलिया है उन्हें पक्की कराना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता रोकने की बात याद रहती है।

(शोर)

मान्यवर, एक पेण्टर था । उसने कला सीखी और एक तस्वीर बनाई, तस्वीर बनाने के बाद उसने अपने गुरू को तस्वीर दिखाकर पूछा, मैंने कला सीख ली उसके गुरू ने कहा हां, सीख ली, लेकिन उसने कहा कुछ कमी लगती है ? गुरू जी ने कहा, इसके तुम चौराहे पर लगा दो, और उसके नीचे लिख दो कि जिसको जो कमी नजर आए वह इसमें ठीक कर दें, अगले दिन उसने जाकर तस्वीर देखी तो वह पूरी तरह मिट चुकी थी । उसी तरह से अगर इनका संशोधन जोड़ दिया जाए तो सब मिट जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

उसके बाद मान्यवर, वह पेण्टर बहुत निराशा हुआ, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सका मेरी सारी साधना बेकार रही । गुरु ने कहा तुमने कला सीख ली है, लेकिन कुछ और बातें सीखना है कुछ करना है तो एक तस्वीर और बनाओ और उसको चौराहे पर टांगकर उसके बगल में कागज पर लिख दो, कि जिसको जो कमियां दिखाई दें वह उन कमियों को निकालकर एक तस्वीर बना दे । अगले दिन वह गया तो उसे कोई तस्वीर बनी हुई नहीं मिली, उसी तरह से हमारे विपक्षी भाई जब इन्हें तस्वीर बनाने को कहा जाए तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं ।

(पुनः मेजों की थपथपाहट)

हम मानते हैं कि हमारी तस्वीर में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इससे बेहतर

तस्वीर बनाने वाली और कोई पार्टी और कोई दल इस प्रदेश में नहीं है ।

श्रीमन्, इनके दिमागों में अपने निहित स्वार्थों का इक़ नक्शा रहता है और जब हम अपनी इस तस्वीर को बनाकर सामने रखते हैं तब इनको इस तस्वीर के बनने से अपने जहन में अपना नक्शा मिटता सा नजर आता है । इसलिए इन्हें इतना कह कर बैठ जाता हूं:-

"सिर्फ एक मिटती हुई दुनिया का
नजारा न कर,
आलमे तखलीफ में है, इक जहां यह भी
तो देख,
माना कि मरहले हैं, सख्त राहे है दराज,
मिल गया है अपनी मंजिल का निशां यह
भी तो देख ।।"

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शारदा नन्द अंचल-

मान्यवर, एक शेर कहना चाहूंगा-

"जुल्म करते हैं ज्यादती ही इनकी नीयत है फिर भी कहते हैं कि इन्साफवर मुझको कहिए।"

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें माननीय अध्यक्ष ने कोई सूचना स्वीकार नहीं की है, चारों **सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं।**

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
10 फरवरी, 1986

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

तालिका 'क'

प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी योजना तक शिक्षा हेतु निर्दिष्ट बजट

(आंकड़े लाख में)

योजना	वर्ष	अनुदान संख्या	कुल प्राविधानित (शिक्षा हेतु)	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रतिशत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर सम्मिलित			
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–52	18	737.183	354.071	48.03	बजट में आयोजनागत या आयोजनेतर आंकड़ों का पृथक-पृथक अंकन नहीं ह।
	1952–53	18	785.195	383.649	48.86	तदैव
	1953–54	19	823.638	391.390	45.85	तदैव
	1954–55	18	946.465	393.976	41.62	तदैव
	1955–56	18	1020.165	424.736	41.63	तदैव
	योग . .		4342.646	1947.822	44.85	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956–57	18	1288.249	464.050	36.02	बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेतर आंकड़ों का पृथक-पृथक अंकन नहीं है।
	1957–58	18	1511.562	495.544	32.78	तदैव
	1958–59	18	1603.884	566.815	35.34	तदैव
	1959–60	20	1655.368	548.865	33.16	तदैव
	1960–61	20	1794.220	610.168	34.00	तदैव
	योग . .		7853.283	2685.442	34.20	

1	2	3	4	5	6	7
			आयोजनागत बजट			
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961–62	20	438.364	260.998	59.54	
	1962–63	18	618.973	313.154	50.59	
	1963–64	17	788.164	393.774	49.96	
	1964–65	17	1157.681	543.814	46.97	
	1965–66	17	1497.750	675.473	45.10	प्राविधिक शिक्षा की धन-राशि घटाकर।
	योग ..		4500.932	2187.213	48.59	
वार्षिक योजनाएं	1966–67	17	270.959	44.420	16.39	प्राविधिक शिक्षा की धन-राशि घटाकर।
	1967–68	18	448.349	179.593	40.05	
	1968–69	18	529.860	263.961	49.81	
	योग ..		1249.168	487.974	39.86	
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969–70	18	533.664	336.447	63.00	प्राविधिक शिक्षा की धन-राशि घटाकर।
	1970–71	18	606.733	376.229	62.00	तदैव
	1971–72	18	1097.594	660.011	60.13	तदैव
	1972–73	18	1574.295	1005.481	63.87	प्राविधिक शिक्षा एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं घटाकर।
	1973–74	18	1612.264	789.759	48.98	तदैव
	योग ..		5424.550	3167.927	58.40	

पंचम पचवर्षीय योजना	1974–75	28	1003.900	617.416	61.50
	1975–76	28	939.335	550.561	59.46
	1976–77	28	1341.902	770.901	57.45
	1977–78	28	1872.090	891.091	47.60
	1978–79	28	2556.203	1531.894	59.93
	योग	..	7713.438	4369.863	56.65
वार्षिक योजना	1979–80	34	695.540	423.940	60.95
षष्ठम पंचवर्षीय योजना	1980–81	33	1544.710	756.840	48.99
	1981–82	33	2140.270	1842.498	48.71
	1982–83	55	3719.050	1495.970	40.22
	1983–84	56	3421.180	1788.460	52.28
	1984–85	56	4675.750	2351.070	50.28
	योग	..	15500.960	7434.830	47.96

टिप्पणी––वर्ष 53–54, 55–56, 57–58, 68–69, 69–70, 71–72 एवं 72–73 के अनुपूरक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका "ख"

पर्वतीय क्षेत्र

(आंकड़े लाख में)

योजना	वर्ष	अनुदान संख्या	कुल	प्राथमिक	प्रतिशत	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1973–74 से वर्ष 1975–76 बजट में सेक्टरवार आंकड़ प्रदर्शित नहीं हैं।						
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1976–77	42	279.734	93.335	33.36	प्राविधिक शिक्षा को घटाकर।
	1977–78	43	440.438	175.284	39.79	तदैव
	1978–79	44	739.851	244.826	33.09	तदैव
वार्षिक योजना	1979–80	53	457.210	295.220	64.56	तदैव
षष्ठम पंचवर्षीय योजना	1980–81	50	772.530	420.510	54.43	तदैव
	1981–82	50	744.660	383.960	51.56	तदैव
	1982–83	33	1103.520	551.130	49.94	तदैव
	1983–84	33	1030.620	578.950	36.17	तदैव
	1984–85	33	1779.700	866.020	48.66	तदैव

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

वर्ष 1983–84 में स्वीकृत नवीन भवन निर्माण हेतु चयनित जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा विद्यालयों की सूची—

प्राइमरी स्कूल	ब्लाक का नाम
1—आ0वि0 कुठ	थलीसैण
2—आ0वि0 रिखोली	,,
3—आ0वि0 ठडेली	,,
4—आ0वि0 मताई	पौड़ी
5—आ0वि0 खाड़े	कोट
6—आ0वि0 बगौड़ी	पोखाड़ा
7—आ0वि0 डुडेरा	नेनी डांडा
8—आ0वि0 मजियाड़ीसेण	रिखानी खाल
9—आ0वि0 खाण्ड	द्वारीखाल
10—आ0वि0 मेड़गांव	डुगड्डा
जूनियर हाई स्कूल	
1—जू0हा0 स्कूल, सिराला	कोट
2—जू0हा0 स्कूल, तिलखारखाल	यमकेश्वर
3—जू0हा0 स्कूल, खमोला	द्वारीखाल

वर्ष 1984–85 की शिक्षा समिति की बैठक के निर्णयानुसार भवन निर्माण हेतु चयनित विद्यालयों की सूची—

1—आ0वि0 पाटों	थलीसेण
2—आ0वि0 बनैर	,,
3—आ0वि0 ओखल्यू	,,
4—आ0वि0 दीला	,,
5—आ0वि0 साखले	,,
6—आ0वि0 बारेवण्डी	पावों
7—आ0वि0 खलकरसेण	,,
8—आ0वि0 मण्कोली	,,
9—आ0वि0 खुराड़ी	खिसू
10—आ0वि0 झाला	,,
11—आ0वि0 कवली	पोड़ी
12—आ0वि0 पावों ल0	,,
13—आ0वि0 खाल उतरासू	कोट
14—आ0वि0 खेड़वानी	कल्जीखाल
15—आ0वि0 जखनोली	,,
16—आ0वि0 गजेरा	एकेश्वर
17—आ0वि0 ऐसोली	पोखड़ा
18—आ0वि0 तलाई	वीरोखाल
19—आ0वि0 रिखाड़	,,
20—आ0वि0 सीली	,,
21—आ0वि0 भरोलीखाल	,,

22—आ0वि0 सामेखाल .. .. नेनीडांडा
23—आ0वि0 जगदेई .. .. ,,
24—आ0वि0 पाली खण्डोली .. .. जहरीखाल
25—आ0वि0 जुयालगांव .. .. ,,
26—आ0वि0 सेरोगाड़ .. .. रिखनीखाल
27—आ0वि0 कोटनाली .. .. ,,
28—आ0वि0 मरोड़ा .. .. यमकेश्वर
29—आ0वि0 पीनाकाटल .. .. ,,
30—आ0वि0 खाड़े .. .. दारीखाल
31—आ0वि0 जल्ली .. .. ,,
32—आ0वि0 सितावपुर .. .. दुगड्डा

जूनियर हाई स्कूलों की सूची

1—जू0हा0 खालखड़ा .. .. पावों
2—जू0हा0 स्वीत .. .. खिसू
3—जू0हा0 गहड़ .. .. ,,
4—जू0हा0 उरेगी .. .. पौड़ी
5—जू0हा0 घमण्ड .. .. कोट
6—जू0हा0 नलईखगल .. .. तल्लीखाल
7—जू0हा0 पुरियाडांग .. .. ,,
8—जू0हा0 सितारखाल .. .. एकेश्वर
9—जू0हा0 चारेखिण्डा .. .. वीरोंखाल
10—जू0हा0 विनायखाल .. .. नैनीडांडा
11—जू0हा0 राजवाद .. .. दारीखाल
12—जू0हा0 पाली लंगूर .. .. ,,
13—जू0हा0 हतनडु .. .. ,,
14—जू0हा0 कोटड़ीढाक .. .. दुगड्डा
15—जू0हा0 यमगांव .. .. ,,
16—जू0हा0 फतेहपुर .. .. ,,

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

जनपदवार मकतबों की संख्या और उनके सम्मुख अंकित सहायता अनुदान की अंकित धनराशि—

मकतबों की सूची

क्रम-सं0	जिले का नाम	मकतबों की संख्या	वार्षिक अनुदान की धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
	मण्डल मेरठ			
1	मेरठ ..	43	19,392	
2	सहारनपुर ..	38	27,360	
3	मुजफ्फरनगर ..	8	4,176	
4	बुलन्दशहर ..	12	5,568	
5	गाजियाबाद ..	..	..	मेरठ तथा बुलन्दशहर में सम्मिलित है।
	योग	101	56,496	
	मण्डल-आगरा			
6	अलीगढ़ ..	8	5,040	
7	मथुरा ..	3	4,166	
8	आगरा ..	20	36,262	
9	मैनपुरी ..	..	..	
10	एटा ..	10	3,528	
	योग	41	48,996	
	मण्डल-बरेली			
11	बरेली ..	9	13,320	
12	बदायूं ..	12	6,756	
13	शाहजहांपुर ..	..	..	
14	पीलीभीत ..	4	3,720	
	योग	25	23,796	
	मण्डल-मुरादाबाद			
15	मुरादाबाद ..	12	6,488	
16	बिजनौर ..	23	9,336	
17	रामपुर	4	3,800	
	योग	39	19,624	

1	2		3	4	5
	मण्डल–इलाहाबाद				
18	फर्रुखाबाद	..	5	2,040	
19	इटावा	..	6	5,640	
20	कानपुर	..	8	1,980	
21	फतेहपुर	..	21	7,200	
22	इलाहाबाद	..	40	20,160	
		योग	80	37,020	
	मण्डल–झांसी				
23	बांदा	..	8	7,312	
24	हमीरपुर	..	5	2,520	
25	झांसी	..	2	1,480	
26	जालौन	..	1	480	
27	ललितपुर	..	2	8,400	
		योग	18	20,192	
	मण्डल–वाराणसी				
28	वाराणसी	..	18	7,736	
29	मिर्जापुर	..	4	2,280	
30	जौनपुर	..	32	14,760	
31	गाजीपुर	..	18	10,060	
32	बलिया	..	4	2,472	
		योग	76	37,308	
	मण्डल–फैजाबाद				
33	गोण्डा	..	25	9,240	
34	बाराबंकी	..	10	5,628	
35	सुल्तानपुर	..	16	4,608	
36	बहराइच	..	25	15,180	
37	फैजाबाद	..	22	37,218	
38	प्रतापगढ़	..	14	4,800	
		योग	112	76,674	
	मण्डल–गोरखपुर				
39	गोरखपुर	..	52	19,320	
40	देवरिया	..	74	11,520	
41	बस्ती	..	66	20,424	
42	आजमगढ़	..	85	20,760	
		योग	277	72,024	

1	3		3	4	5
	मण्डल—लखनऊ				
43	लखनऊ	..	2	960	
44	उन्नाव	..	3	2,460	
45	रायबरेली	..	14	7,056	
46	सीतापुर	..	15	8,638	
47	हरदोई	..	5	10,923.50	
48	खीरी	..	..	..	
		योग	39	30,037.50	
	मण्डल—नैनीताल				
49	नैनीताल	..	4	9,000	
50	अल्मोड़ा	..	..	..	
51	पिथौरागढ़	..	..	..	
		योग	4	9,000	
	मण्डल—पौड़ी गढ़वाल				
52	देहरादून	..	2	858.00	
53	चमोली	..	..	..	
54	पौड़ी गढ़वाल	..	..	..	
55	उत्तरकाशी	..	..	..	
56	टिहरी गढ़वाल	..	..	..	
		योग	2	858.00	
		सम्पूर्ण योग	814	432025.50	

पी0एस0यू0पी0—एल0 14 वि0सभा (14)—1986—813।